Wednesday, 04 December, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 18, बुधवार, 4 दिसम्बर, 1968/13 अग्रहायण, 1890 (शक)

No. 18, Wednesday, December 4, 1968/Agrahayana13, 1890 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
511. भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि का नियतन	Allotment of Agricultural Land to Ex-Servicemen	.. 1233—1234
513. चौथी योजना में देहाती तथा शहरी क्षेत्रों का विकास	Development of Rural and Urban Areas during Fourth Plan	.. 1235—1236
514. लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग की इमारत पर ब्रिटिश ताज का चिह्न	Insignia of British Crown on Building of Indian High Commission London	.. 1236—1238
515. सेना के लिए आधुनिक उपकरण	Modern Equipments for Army	.. 1238—1240
518. फिल्म इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया तथा नेशनल फिल्म आर्काइव्ज आफ इण्डिया के लिए सलाहकार समिति	Common Advisory Committee for Film Institute of India and National Film Archives of India	.. 1240—1241
519. प्रतिरक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in the Defence Ministry	.. 1241—1243
520. पाकिस्तान की भारतीय द्वीपसमूहों को हड़पने की कोशिश	Pakistan's Attempt to Grab Indian Islands	.. 1243—1244
521. फार्मों और नियमावलियों का हिन्दी अनुवाद	Translation of Forms and Manuals in Hindi	.. 1244—1245
522. जोंड-5 अन्तरिक्ष यान	Zond-5	.. 1245—1246
524. मानव अधिकारों के बारे में विश्व घोषणा	Universal Declaration of Human Rights	.. 1246—1248

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

526. हिन्दी कार्यक्रम के प्रसारणों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Hindi Programme Broadcasts	..	1248—1249
527. भारत जापान सम्बन्ध	Indias Ties with Japan	..	1249—1250

अ० सू० प्र० संख्या

S. N. Q. No.

8. नूनमती तेल शोधक कारखाने में एक कर्मचारी की मृत्यु	Death of a Worker in Noonmati Refinery	..	1250—1252

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

512. छिपे नागाओं द्वारा दुर्ग का निर्माण	Fort Built by Naga Undergrounds	..	1252—1253
516. श्रीलंका की नागरिकता के लिए आवेदन पत्र देने वाले भारतीय	Indians who Applied for Ceylonese Citizenship		1253
517. छिपे नागाओं द्वारा धन का जुटाया जाना	Raising of Funds by Underground Nagas	..	1253—1254
523. भारतीय फिल्म वित्त निगम लिमिटेड	Film Finance Corporation of India Ltd.	..	1254—1255
525. विदेशों से प्रतिरक्षा सहायता	Defence Aid from Abroad	..	1255
528. जैसलमेर में फील्ड फायरिंग रेंज	Field Firing Range in Jaisalmer	..	1255
529. गैर-हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के लिए हिन्दी में प्रसारण	Hindi Broadcast for non-Hindi Speaking Areas	..	1256
530. संयुक्त राष्ट्रसंघ में काश्मीर का प्रश्न	Kashmir Issue in UNO		1256
531. कच्चाटीबू द्वीप के सम्बन्ध में चर्चा	Discussion on Kachchativu Island	..	1256—1257
532. नागालैंड में ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था	Village Security Arrangements in Nagaland	..	1257
533. भारत और नेपाल के सम्बन्ध	Indo-Nepal Relations	..	1257—1258
534. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड	Hindustan Aeronautics Ltd.	..	1258

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
535. आयात कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers ..	1258—1260
536. भारतीय आण्विक वैज्ञानिक	Indian Atomic Scientists ..	1260
537. केरल में औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री का वक्तव्य	Statement of Minister of Industrial Development and Company Affairs on Industrial Relations in Kerala ..	1260—1261
538. विज्ञापनों का प्रसारण	Commercial Broadcasts ..	1261—1262
539. युद्ध पश्चात् पुनर्निर्माण निधि	Post-War Reconstruction Fund ..	1262—1263
540. आकाशवाणी में लद्दाखी सांस्कृतिक कार्यक्रम	Ladakhi Cultural Programme in A.I.R. ..	1263
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3180. विदेशों में भारतीय फिल्में बनाना	Shooting of Indian Films Abroad	1263
3181. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले	Hill Districts of U. P. ..	1264
3182. पाकिस्तानियों को भारतीय बन्दरगाहों में समुद्र तट पर आने की अनुमति	Permission to Pakistanis to go Ashore to Indian Ports ..	1264
3183. भारतीय सेना की वर्दी में पाकिस्तानी घुसपैठिये तथा नागा विद्रोही	Pak Infiltrators and Naga Hostiles in Indian Army Uniforms ..	1265
3184. आकाशवाणी में ड्राफ्ट्समैन तथा ट्रेसरों के खाली पद	Vacant Posts of Draughtsmen and Tracers in AIR ..	1265—1266
3185. आकाशवाणी में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा कार्य करने का समय	Working Hours for Class III Staff of AIR	1266
3186. आकाशवाणी सम्बन्धी आन्तरिक समिति	Internal Committee on AIR ..	1266—1267
3187. विदेशी दूतावासों द्वारा जारी किये गये प्रकाशन	Publications Issued by Foreign Embassies	1267
3188. त्रिपुरा में प्रति व्यक्ति आय	Per capita income in Tripura ..	1268

3189.	चौथी पंचवर्षीय योजना में पनडुब्बियों, विमान वाहक जहाजों तथा युद्ध पोतों का निर्माण	Manufacture of Submarines and Aircraft Carriers and Warships during Fourth Plan ..	1268—1269
3190.	त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं का सीमांकन	Demarcation of Boundaries on Tripura—Pakistan Borders ..	1269—1270
3191.	इन्दौर जिले में भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि	Land for Ex-Servicemen in Indore District	1270
3192.	उर्दू तथा हिन्दी समाचार पत्रों को दिये गये विज्ञापन	Advertisements given to Urdu and Hindi Papers ..	1270—1271
3193.	मध्य प्रदेश के रीवा डिवीजन में आकाशवाणी केन्द्र	A.I.R. Station in Rewa Division of Madhya Pradesh ..	1271
3194.	गोविन्द वल्लभ पन्त पालि-टेक्निक, नई दिल्ली के राष्ट्रीय छात्र सेवा दल के छात्र सैनिक	N.C.C. Cadets of G. B. Pant Polytechnic New Delhi ..	1271—1272
3195.	राजनैतिक दलों द्वारा पत्रि-काओं का प्रकाशन	Publication of Journals by Political Parties	1272
3196.	पश्चिम बंगाल में प्रदर्शित विदेशी फिल्में	Foreign Films Screened in West Bengal ..	1272—1273
3197.	सूचना सेवा के अधिकारियों का भारतीय विदेश सेवा में अन्तर्लयन	Absorption of Officers of Information Service in Indian Foreign Service	1273
3198.	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ व्यापार	Trade with German Democratic Republic ..	1273—1274
3199.	पूर्वी पाकिस्तान में रविन्द्र नाथ टैगोर के अवशेष	Rabindra Nath Tagore's Relics in East Pakistan ..	1274
3200.	चीनियों द्वारा सीमा का अतिक्रमण	Border Violation by Chinese ..	1274—1275
3201.	पाकिस्तान द्वारा सीमा का उल्लंघन	Border Violations by Pakistan ..	1275
3202.	डिसोई घाटी में नागा शिविर	Naga Camps in Desoi Valley ..	1275—1276
3203.	केन्द्रीय वित्त उपमंत्री के विरुद्ध आरोप	Allegation Against Union Deputy Finance Minister ..	1276

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3204. विदेशों में भारतीय दूतावासों में विदेश सेवा निरीक्षकों की सिफारिशें	Foreign Service Inspectors' Recommendation on Indian Missions Abroad ..	1276—1277
3205. संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय विद्यार्थियों के लिये कार्य	Jobs for Indian Students in UNA ..	1277
3206. एयर आफिसर्स कमान्डिंग-इन-चीफ का सम्मेलन	Air Officers Commanding-in-Chief Conference ..	1277—1278
3207. बोहरा सम्प्रदाय के प्रमुख का तंजानिया का दौरा	Visit of Head of Bohra Community to Tanzania ..	1278
3208. सान्ताक्रुज में भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना	Crash of IAF Plane at Santa Cruz ..	1278—1279
3209. थोरियम की कमी	Shortage of Thorium	1279
3210. उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in U. P.	1279
3211. नोवोस्ती के साथ समाचारों का आदान प्रदान	Exchange of News with Novosti ..	1279—1280
3212. भारत में पत्रकारिता पर विदेशी प्रभाव	Foreign Influence on Journalism in India ..	1280
3213. छावनी अधिनियम का संशोधन	Amendment of Cantonment Act ..	1280—1281
3214. विदेशों में पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार को निष्प्रभावी बनाना	Counteracting Anti Indian-Pakistani Propaganda in Foreign Countries	1281
3215. उड़ीसा में दुर्लभ परमाणु खनिज	Rare Atomic Minerals in Orissa	1282
3216. गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड	Garden Reach Workshop Ltd. ..	1282—1284
3217. प्रागा टूल्स लिमिटेड	Praga Tools Ltd. ..	1284—1285
3218. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	Bharat Earth Movers Ltd. ..	1285—1287
3219. यूरेनियम कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	Uranium Corporation of India Ltd. ..	1287—1288
3220. 'स्पाई इन रोम' फिल्म	Film 'Spy in Rome'	1288
3221. पाकिस्तान में परमाणु भट्टी	Atomic Reactor in Pakistan ..	1288—1289

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3222. 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा सम्मेलन	Second Conference of UNO in 1975 ..	1289—1290
3223. पाकिस्तान के साथ कुछ बस्तियों का तबादला	Exchange of Enclaves with Pakistan ..	1290
3224. अणु शक्ति संयंत्र कलपक्कम (मद्रास)	Atomic Energy Plant Kalpakkam (Madras) ..	1290
3225. लड़ाकू विमानों के चालकों का प्रशिक्षण	Training of Fighter Pilots ..	1291
3227. चीन द्वारा सीमा क्षेत्र में प्रचार	Chinese Propaganda on Border Areas ..	1291
3228. राष्ट्र के विकास में फिल्मों का योगदान	Role of Films in the Development of Nation ..	1291—1292
3229. राजस्थान के बांकली गांव पर वृत्त चलचित्र	Documentary Film on Bankli Village in Rajasthan ..	1292
3230. संयुक्त राष्ट्र में पख्तूनिस्तान का मामला	Pakhtoonistan issue in United Nations ..	1292—1293
3231. आपसी विवादों को हल करने के लिये पाकिस्तान के साथ बातचीत	Negotiations with Pakistan for resolving mutual disputes ..	1293
3232. गत हड़ताल की अवधि में कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका नामक समाचार-पत्र का परिचालन	Circulation of Amrita Bazar Patrika Calcutta during the last Strike Period ..	1293—1294
3233. समाचार पत्रों में पढ़ने योग्य सामग्री का स्थान	Reading Space in Newspapers ..	1294
3234. आकाशवाणी का 'टुडे इन पार्लियामेंट' कार्यक्रम	'Today in Parliament' Programme of AIR ..	1294—1295
3235. आकाशवाणी के कर्मचारियों को पुस्तकें लिखने की अनुमति	Permission to Employees of AIR for Writing Books ..	1295
3236. तीसता नदी पर पाकिस्तान द्वारा बांध का निर्माण	Construction by Pakistan of a Dam on Teesta River ..	1295
3237. देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with countries	1296

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3238. ट्रांजिस्टर सेटों का निर्माण	Manufacture of Transistor Sets ..	1296
3239. मंत्रियों के लिये आचरण संहिता	Code of Conduct for Ministers ..	1296—1297
3241. आकाशवाणी द्वारा प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में कार्यक्रम का प्रसारण	AIR coverage of Prime Minister's Tour Abroad ..	1297
3242. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्य में संगणकों का प्रयोग	Use of Computer in the National Sample Survey Work ..	1297—1298
3243. भारतीय सांख्यिकी संस्था, कलकत्ता में संगणक का लगाया जाना	Installation of Computer in Indian Statistical Institute, Calcutta ..	1298
3244. भारतीय सांख्यिकी संस्था	Indian Statistical Institute ..	1298—1299
3245. भारतीय सांख्यिकी संस्था	Indian Statistical Institute ..	1299
3246. चीन तथा पाकिस्तान के बारे में लन्दन में उप-प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	Statement by Deputy Prime Minister about China and Pakistan in London ..	1300
3247. जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अन्य वर्गों के सैनिकों को विशेष भत्ता	Special Allowance for Junior Commissioned Officers and other Ranks ..	1300—1301
3248. जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अन्य वर्गों के सैनिकों के बच्चों को शिक्षा भत्ता	Education Allowance to Children of Junior Commissioned Officers and other Ranks ..	1301
3249. प्रतिरक्षा मंत्री का रूस का दौरा	Defence Minister's visit to USSR ..	1301
3250. योजना कार्यक्रमों का ग्रामों पर प्रभाव	Impact of Plan Programme on Villages ..	1302
3251. चीनी दूतावास नई दिल्ली द्वारा चीन समर्थक साहित्य का वितरण	Distribution of pro-Chinese Literature by the Chinese Embassy in New Delhi ..	1302—1303
3252. मजगांव गोदी	Mazagon Dock ..	1303
3253. ग्रामों में मूल सुविधायें न मिलना	Non-Availability of Basic Amenities in Villages ..	1303—1304

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3254.	आकाशवाणी में हिन्दी अनाउन्सर	Hindi Announcers in the AIR ..	1304
3255.	आक्सिलोस्कोपों का निर्माण	Manufacture of Oscilloscopes ..	1304—1305
3256.	समाचार पत्रों में प्रकाशित शिशु मृत्यु संख्या	Infantile Mortality Among Newspapers ..	1305
3257.	रेडियो प्रसारण सम्बन्धी एशियाई सम्मेलन	Asian Conference on Radio and Broadcasting ..	1305—1306
3258.	विदेशों में बसे हुए भारतीय	Indians Settled Abroad ..	1306
3259.	काश्मीर का प्रश्न	Kashmir Question ..	1306—1307
3260.	प्रतिरक्षा उपकरणों का देश में उत्पादन	Indigenous Production of Defence Equipment ..	1307
3261.	अणुशक्ति विभाग में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Department of Atomic Energy ..	1307—1308
3262.	हिंडन हवाई अड्डे पर भारतीय हवाई सेना के एक विमान का आग लगने से नष्ट हो जाना	Destruction of an IAF Plane in Fire at Hindon Aerodrome ..	1308
3263.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में लेखा एवं प्रशासन अधिकारी का पद बनाना	Creation of Post of Accounts-cum-Administrative Officer in the National Sample Survey Directorate ..	1308—1309
3264.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में कर्मचारियों की संख्या सम्बन्धी निरीक्षण	Staff Inspection of Directorate of National Sample Survey ..	1309—1310
3265.	दैनिक, साप्ताहिक तथा अन्य प्रकाशन	Dailies and Weeklies and other Publications	1310
3266.	केरल के मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत चौथी योजना के बारे में वैकल्पिक नीति दृष्टिकोण	Alternate Policy Approach to the Fourth Plan Submitted by Chief Minister, Kerala ..	1310—1311
3267.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग द्वारा फसल के अनुमान एकत्र करना	Collection of Crop Estimates by National Sample Survey ..	1311—1312
3268.	भारत और जापान के बीच गोल मेज सम्मेलन	Round Table Conference between India and Japan ..	1312

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3269. मंत्रालयों के सचिवों की नियुक्ति	Appointments of Secretaries in Ministries..	1312
3270. 'हाउ टू स्टील ए मिलियन' के प्रकार के विदेशी चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाना	Banning of Foreign Films of the Type of 'How to Steal a Million' ..	1313
3271. ईरान में भूकम्प से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता	Help to Victims of Earthquake in Iran ..	1313
3272. चैकोस्लोवाकिया के प्रश्न पर भारत का दृष्टिकोण	India's Stand on Czechoslovakia Issue ..	1314
3273. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टेलीविजन सेट	T. V. Sets for Rural Areas	1314
3274. भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों के महासंघ द्वारा चौथी योजना के बारे में सुझाव	Suggestions by Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Re. Fourth Plan ..	1314—1315
3275. भारत सरकार के सचिवों के पदों पर नियुक्तियां	Appointments of Secretaries ..	1315
3276. अमरीका द्वारा वित्तपोषित हिमालय सीमा अध्ययन परियोजनायें	US Financed Himalayan Border Study Projects ..	1315—1316
3277. श्री त्रिलोक चन्द की पाकिस्तान द्वारा रिहाई	Release by Pakistan of Shri Trilok Chandra	1316
3278. नेपाल के साथ व्यापार करार	Trade Treaty with Nepal ..	1315—1317
3279. आकाशवाणी के लिए निगम	Corporation for AIR	1317
3281. इसराइल के प्रतिरक्षा मंत्री की पत्नी की भारत यात्रा	Visit to India by Israeli Defence Minister's Wife ..	1317—1318
3282. पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध घृणा फैलाने का प्रचार	Hate India Campaign in Pakistan ..	1318
3283. भारत में आयोजना के बारे में एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग द्वारा विश्लेषण	Analysis of ECAFE Planning in India ..	1318—1819

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3284. भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों का विदेशियों से विवाह	Marriage of IFS Officers with Foreigners ..	1319—1320
3285. आकाशवाणी द्वारा अनुश्रवण (मानिटरिंग) सेवा	Monitoring Service of All India Radio ..	1320
3286. राष्ट्र मण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन	Commonwealth Prime Ministers' Conference ..	1320—1321
3287. गुड़गांव में प्रतिरक्षा के लिये ली गई भूमि का वापिस किया जाना	Derequisitioning of Land in Gurgaon Village Acquired for Defence Purposes..	1321
3288. पूर्वी पाकिस्तान में रवेन्द्र नाथ टैगोर के अवशेष	Rabindra Nath Tagore's relics in East Pakistan ..	1321—1322
3289. 'औलाद' चलचित्र	Film 'Aulad' ..	1322
3290. विदेशों में फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट	Films exempted from Entertainment Tax in Foreign Countries ..	1322
3292. भारतीय वायु सेना के एक विमान का चांदा के निकट मजबूरन नीचे उतरना	Force landing of IAF Plain near Chanda ..	1322—1323
3293. बल प्रयोग न करने की घोषणा	Declaration of non-use of Force	1323
3294. रेडियो और टेलीविजन प्रसारण कर्मचारियों के प्रशिक्षण का संस्थान	Institute for Training of Radio and Television Broadcasting Staff ..	1323—1324
3295. मुरादाबाद के निकट एक उड़ती हुई वस्तु का फटना	Explosion of a Flying Object near Moradabad	1324
रोडेशिया के स्वतन्त्रता सेनानियों की दया याचिकाओं को अस्वीकार किया जाना	Rejection of Mercy Petitions of Rhodesian Freedom Fighters ..	1324,1325—1326
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege ..	1325
श्री जे० एम० बिस्वास की पश्चिमी बंगाल में कथित गैर-कानूनी गिरफ्तारी	Alleged Illegal Arrest of Shri J. M. Biswas in West Bengal	1325
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	Paper Laid on the Table ..	1325
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions ..	1325
इकतालीसवां प्रतिवेदन	Forty-first Report ..	1325

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
सड़क परिवहन जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re : Final Report of Road Transport Enquiry Committee	..	1326—1332
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	1326—1327
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar		1327
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	..	1327—1332
बीमा (संशोधन) विधेयक	Insurance (Amendment) Bill	..	1332—1349
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as reported by Joint Committee	..	1332
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	..	1332—1334
श्री चं० चु० देसाई	Shri C. C. Desai	..	1334—1337
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	..	1337—1338
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	..	1338—1340
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	..	1340—1341
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	..	1341—1342
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	..	1342—1343
श्री वी० कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	..	1343—1344
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	1344—1345
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	..	1345—1346
श्री ओंकारलाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	..	1347—1348
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	..	1348—1349
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	..	1349
देश में सूखे की स्थिति पर वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	Motion Re : Statement on Drought Conditions in the Country	..	1349—1359
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	..	1349—1350
श्री जी० कुचेलर	Shri G. Kuchelar	..	1350—1351
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	..	1351—1352
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	..	1352—1353
श्री राजशेखरन	Shri Rajasekharan	..	1353—1454
श्री निहाल सिंह	Shri Nihal Singh		1354
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar	..	1354—1355

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री सत्यनारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh	..	1355—1356
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	..	1356—1359
इण्डियन एयरलाइन्स के लिये विमानों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	Half an-hour discussion Re. Air Craft for IAC	..	1359—1362
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	..	1359—1362
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	..	1362

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 4 दिसम्बर, 1968/13 अग्रहायण, 1890 (शक)
Wednesday, December 4, 1968/Agrahayana 13, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने कल कहा था मैं प्रश्नों को शीघ्रता से निपटाना चाहता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकूंगा। अतः मैं सदन के दोनों पक्षों को केवल एक अथवा दो अनुपूरक प्रश्न पूछने दूंगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Allotment of Agricultural Land to Ex-Servicemen

*511. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that arrangements have been made by some State Governments to allot agricultural land to ex-Servicemen ;

(b) whether such land is allotted only to those ex-Servicemen who are landless and are not in Government or private service or to those also who are in Government or private service against salaried jobs ;

(c) whether enquiries to the effect that such allottees already possess any land or are in service, are made before land is allotted to them ;

(d) if not, whether Government are aware that some ex-Servicemen while already being in salaried services of Government, have applied for such land ; and

(e) if so, the action contemplated by Government in this regard ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ). राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know as to when they have written to the State Government and when their reply is expected ? Further I want to know whether Government will collect the information showing the number of servicemen who after putting in service of only 4-6 days have got the land allotted ? A large number of such people have got land. Will the Government get this information ?

श्री म० रं० कृष्ण : भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में मारे जाने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य सरकारें भूमि का वितरण करती हैं। अनेक राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों को दिये जाने के लिये भूमि नियत की है। हम निरन्तर राज्य सरकारों को याद दिलाते रहते हैं और जब भी प्रतिरक्षा मंत्रालय में सीधे कोई आवेदन प्राप्त होता है तो हम उसे सम्बन्धित राज्य सरकार को भेज देते हैं और राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों की सहायतार्थ विशेष समितियों का गठन किया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether the Government while allotting land to the ex-servicemen takes into consideration the number of the members of their families ? Apart from that there are certain people who are doing business and have demanded land from Government. Will Government give land to these people also ? May I know the number of such persons who have applied for land and have not got land so far ?

श्री म० रं० कृष्ण : सभी राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनके आश्रितों को दी जाने वाली भूमि के मान नियत किये हुए हैं। जैसा मद्रास सरकार ने 5 एकड़, आंध्र प्रदेश सरकार ने भी ऐसे ही निश्चित की है। हमने भी प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। जिन लोगों ने मुख्यत: भूमि पर ही निर्भर करना होता है राज्य सरकारें उनके बारे में विशेष ध्यान देती हैं। ताकि उन्हें समय पर भूमि मिल जाये।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, I had asked whether land has been given to those who are doing business ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय सदस्य यदि कोई विशेष मामले बतायें तो हम जांच करेंगे।

श्री विश्वनाथ राय : उत्तर प्रदेश में उपजाऊ भूमि का बड़ा क्षेत्र भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया है। क्या उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया गया है ?

श्री म० रं० कृष्ण : इन बातों पर राज्य सरकारें ध्यान देती हैं।

Shri Ram Charan : Mr. Speaker, Sir, the Ministry of Defence gives land by way of lease and by bidding to the ex-servicemen. In Bulandshahr cantonment a man has been given land on lease at Rs. 500/- p.m. I want to know as to why that land cannot be given to landless labourers. It is 500 Bighas of land. May I know whether Government will acquire that land and give on lease terms to others ?

श्री म० रं० कृष्ण : राज्य सरकारें स्थायी तौर पर पट्टे पर भूमि भूतपूर्व सैनिकों को देती हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा मंत्रालय भी फालतू भूमि को अस्थायी तौर पर भूमि की नीलामी करता है। यह मुख्यत: भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु किया जाता है।

चौथी योजना में देहाती तथा शहरी क्षेत्रों का विकास

*513. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए देहाती तथा शहरी क्षेत्रों के विकास पर चौथी योजना में प्रस्तावित खर्च का अनुमानित अनुपात क्या है ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं कि शहरी क्षेत्रों का विकास तेजी से हो रहा है जबकि देहाती क्षेत्रों में विशेषकर सड़कें, मकान तथा जीवन की अन्य सुविधाओं के क्षेत्रों में गत कुछ वर्षों से कोई विकास नहीं हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). यह कहना ठीक नहीं कि देहाती क्षेत्रों की अवस्था वैसी ही है जैसी कुछ वर्ष पूर्व थी। जबसे हमने सुनियोजित विकास का काम हाथ में लिया है तबसे देहाती क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हुआ है। फिर भी, यह सही है कि अभी देहातों में विशेष सड़कें बनाने, आवास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करने के क्षेत्रों में काफी कुछ करना शेष है।

चौथी योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। देहाती प्रवेश पथ तथा आवास जैसे मामलों में देहाती क्षेत्रों में विकास कार्य-कलापों को बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है। देहाती क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को वांछित गति देने में जो प्रत्यक्ष कठिनाइयां हैं वे हमारे देश में पांच लाख से अधिक गांवों का होना और साधनों की उपलब्धि सीमित होना है।

श्री स० चं० सामन्त : चौथी योजना के मसौदे पर 'सी' समिति के एक संसद् सदस्य ने कहा था :—

"कि ग्रामीण क्षेत्रों की योजना तैयार करते समय प्रत्येक गांव के लोगों की सलाह ली जानी चाहिये। फिर जिला योजना बनायी जानी चाहिये।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह किया गया है या किया जा रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : जिला योजना और विभिन्न कार्यक्रमों के लिये स्थानीय लोगों की सलाह की व्यवस्था की गयी है।

श्री स० चं० सामन्त : खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिये चौथी योजना में कृषि के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : चौथी योजना के लक्ष्य अभी नियत नहीं किये गये हैं। परन्तु यह नीति के रूप में कहा गया है कि खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषि की आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा।

श्री चेंगलराया नायडू : स्वतन्त्रता प्राप्त होने के 20 वर्ष बाद भी हमारे देश के कुछ देहातों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है जबकि नगरों में पीने के पानी और बगीचों के लिये

पानी की अलग-अलग व्यवस्था है । क्या सरकार अब एक ऐसी योजना बनायेगी कि प्रत्येक गांव में पीने के पानी का एक कुआं हो ?

श्री ब० रा० भगत : यह ठीक बात है कि सभी देहातों में फिल्टर्ड पानी की व्यवस्था नहीं है । सभी देहातो में पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए । आगामी योजना में यह सुविधा उपलब्ध करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जायेगा ।

श्री लोबो प्रभु : माननीय मंत्री को अपनी बात पर पुनः विचार करना चाहिये । उनके अपने आंकड़ों के अनुसार तीसरी योजना में कुल एक करोड़ चालीस लाख रोजगार अवसर उत्पन्न किये गये परन्तु इनमें से देहातों में केवल 40 लाख अवसर उपलब्ध किये गये जबकि 82 प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं । सरकार ने गृह निर्माण आदि के लिये ऋण की व्यवस्था नहीं की है । मैं चाहता हूं कि रिजर्व बैंक कानून में संशोधन किया जाये । क्या योजना आयोग इसका समर्थन करता है और इस पर बल देगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास तथा अन्य सुधार किये जा सकें ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने कहा कि संसाधनों की कमी और समस्या का बड़ा स्वरूप इसे सुलझाने में कठिनता खड़ी कर रहा है । फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं और आगामी वर्षों में जो ऋण उपलब्ध होगा दिया जायेगा । जहां तक ऋण सुविधाओं के उपलब्ध कराने का प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी अथवा सिंचाई सुविधाओं के और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये प्राथमिकता दी जा रही है । आगामी वर्षों में जो ऋण उपलब्ध हो सका वह उपलब्ध किया जायेगा ।

लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग की इमारत पर ब्रिटिश ताज का चिह्न

*514. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या यह सच है कि लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के निवास स्थान के ऊपर ब्रिटिश ताज का चिह्न लगा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसे हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). लंदन में हमारे हाई कमिश्नर के निवास-स्थान पर इस तरह का कोई प्रतीक अंकित नहीं है । सम्भवतः माननीय सदस्य के मन में इन्डिया हाउस की बाहरी दीवार पर अंकित कतिपय लेख और प्रतीक हैं, जिनमें हमारा हाई कमिश्नर कमीशन स्थित है । ये अतीत के अवशेष हैं । हाई कमीशन को इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं ।

Shri Kameshwar Singh : We were assured during the last session that this would be removed. Shri Chagla had said that it involved a major operation and the High Commission

was looking into this matter. But today the Hon'ble Minister says that it is not existing there. I cannot follow this.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : It is not existing on that house but on the other one.

Shri B. R. Bhagat : I had stated that it is not on the residence of our High Commissioner but it is on the office of our High Commissioner. He has been instructed to remove it.

Shri Kameshwar Singh : It is not understood how this version is being changed now when an assurance has already been given in the House. The Hon'ble Minister says that it is not there but Shri Chagla had stated that it is there.

Shri Madhu Limaye : This is also relic of the past.

श्री हेम बरुआ : जब हमने राष्ट्रमण्डल में ठहरने का निश्चय किया था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हमें पहले ब्रिटेन का राष्ट्रीय गीत बोलना चाहिये और बाद में अपना । यह बात जी० डी० बिरला द्वारा लिखित 'शैडो आफ महात्मा गांधी' पुस्तक में लिखी है । अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयुक्त को इन अवशेषों को दूर करने के लिए जो अनुदेश दिये हैं क्या उन पर आगे कार्यवाही की गई है या नहीं ? ये अनुदेश जारी किये गये थे और क्या उन्हें अब तक क्रियान्वित किया गया है या नहीं ?

श्री ब०रा० भगत : यह कार्य हाल ही में किया गया है ।

श्री हेम बरुआ : पिछले बजट सत्र में आश्वासन दिया गया था । आपने ये अनुदेश कब जारी किये थे ?

श्री ब० रा० भगत : उसके बाद ये अनुदेश जारी किये गये हैं । सरकार ने उसे हटाने के लिए अनुदेश जारी कर दिये गये हैं, केवल सर्वेक्षण करना शेष है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अब सर्वेक्षण भी हो चुका है ।

श्री ब० रा० भगत : उसके स्थान पर कोई सुन्दर कलाकृति को चुनना अभी बाकी है जो भवन के सामने लगाई जा सके ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या उन्होंने टेण्डर मंगवाये हैं ? एक चिह्न को हटाने में उन्हें इतना समय लगा है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह ठीक है कि इस कार्य में काफी समय लगा है परन्तु अब उस भवन का सर्वेक्षण हो गया है, आर्केटेक्ट के साथ बातचीत हो गई है और अब सभी कठिनाइयां दूर हो जाने की आशा है ।

श्री हेम बरुआ : यदि उस चिह्न को हटा दिया जायगा तो उस भवन की कलात्मक सुन्दरता समाप्त नहीं होगी ।

Shri D. N. Tiwary : These are insignificant and small things but it is not proper that these things should be there even after 20 years of achievement of freedom. I want to know whether instruction have been issued to remove such things ?

Shri B. R. Bhagat : We have issued to remove them wherever they are existing. But these are not small things because they involve expenditure and other things also.

सेना के लिये आधुनिक उपकरण

*515. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है;

(ख) क्या यह सच है कि उपकरणों से सुसज्जित डिविजनों की संख्या शत्रु देशों के ऐसे डिविजनों की संख्या की तुलना में कम है ? और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्थिति कब तक सुधरने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) थल सेना के उपस्करों का आधुनिकीकरण करते रहना शाश्वत प्रक्रिया है और वह योजनानुसार चल रही है ।

(ख) और (ग). हमारे देश की सुरक्षा पर जो मौजूदा खतरे हैं उनका, सामना करने के लिए हमारी थल सेना के पास पर्याप्त आर्म्ड यूनिटें हैं ।

Shri Maharaj Singh Bharati : We have two enemies. One of them has many more mechanised division than ours which we have seen in the last war. Our Government thinks that we can beat them. But the other enemy is big one, their number is on the high side and it would be wrong to think we have to fight them only in mountains. The fighting can take place in plains etc. if Nepal commits folly. In view of this will the Government assure us that we shall not be having lesser number of mechanised divisions than our hostile countries ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि हमें दो देशों से दोहरा खतरा है । जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि इस धमकी का मुकाबला करने के लिए हमें पर्याप्त तैयारी करनी है । संख्या की समानता का सम्बन्ध युद्ध नीति से है और मेरे विचार में इस विषय पर इस प्रकार चर्चा करना ठीक नहीं होगा ।

Shri Maharaj Singh Bharati : We may not discuss it but I want to know whether we have developed our know how to the extent that we may be in a position to face the weapons of mechanised division ? Have the Government made any arrangement for to meet such threats ?

श्री स्वर्ण सिंह : 'मेकेनाइज्ड डिवीजन' शब्द का प्रयोग दूसरे महायुद्ध में हुआ था जब सेना में यह अन्तर स्थापित किया गया था कि कुछ सेना पशु परिवहन करती थी और कुछ अन्य प्रकार के परिवहन पर निर्भर करती थी । मेरे विचार में 'मेकेनाइज्ड डिवीजन' से माननीय सदस्य का अभिप्राय आर्म्ड डिवीजन से है अर्थात् टैंक, संचार उपकरण तथा इनके साथ की अन्य वस्तुएं । यह सब जानते हैं कि हम अपने देश में बना रहे हैं और इस सम्बन्ध में हम अन्य देशों से भी जानकारी प्राप्त करते हैं । हमने ब्रिटेन से जानकारी प्राप्त की थी और अब हमारे टैंक काम में लाये जा रहे हैं । हमने एक अनुसंधान एवं विकास संगठन भी बनाया हुआ है जो टैंकों ही नहीं

बल्कि अन्य प्रकार के हथियारों में निरन्तर सुधार करने का सुझाव देता रहता है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : पहले भी सभा को सेना के हथियारों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता था । हमें विदेशी पत्र-पत्रिकाओं से सूचना मिलती रहती है परन्तु सरकार इस बारे में सभा को सूचना क्यों नहीं देती ? सरकार देश में हथियारों का उत्पादन करने के लिए या उन्हें विदेशों से खरीदने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? प्रतिरक्षा पर इतनी बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है परन्तु इसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पहले ही बता दिया है कि हम टैंकों आदि सहित सभी उपकरण अपने देश में बना रहे हैं । इस बीच हम इस अन्तर को पूरा करने के लिए विदेशों से हथियार प्राप्त कर रहे हैं । यह काम दोनों तरफ चल रहा है ।

एक माननीय सदस्य : कितने टैंक ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं टैंकों की संख्या नहीं बता सकता । यह स्पष्ट बात है । मैं यह नहीं बताऊंगा कि सेना को कितने टैंक मिल चुके हैं और कितने देश में बने हैं अथवा विदेशों से प्राप्त किये गये हैं (**व्यवधान**) । यदि कोई प्रश्न पूछा जाय तो उसका उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं ।

श्री रंगा : यदि मंत्री महोदय यह जानकारी नहीं देना चाहते तो न सही । परन्तु श्रीमती शारदा मुकर्जी के प्रश्न को और राष्ट्रीय विकास परिषद् में होने वाली चर्चा को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन देंगे कि वह यथाशीघ्र सेवा-निवृत्त जनरलों की बैठक बुलायेंगे जिससे हम सब मिलकर यह निर्णय कर सकेंगे कि हम अपने उपकरण और सेनाओं को किस प्रकार संगठित करें जिससे प्रतिरक्षा पर खर्च कम हो और साथ ही वह प्रभावशाली भी बनी रहे ?

श्री स्वर्ण सिंह : राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद् में पहले ही कुछ सेवा निवृत्त जनरल हैं जिनके साथ सेना सम्बन्धी सभी मामलों पर परामर्श किया जाता है, उन्हें कुछ जानकारी भी दी जाती है और उनके अनुभव से लाभ उठाया जाता है ।

श्री रंगा : यह कितने समय की बात है ?

श्री स्वर्ण सिंह : आपको पता ही है कि जनरल थोरट और जनरल सन्त सिंह इसके सदस्य थे, और जनरल थिमैया जब जीवित थे तो वह भी सदस्य थे ।

एक माननीय सदस्य : कब ?

श्री स्वर्ण सिंह : गत बैठक 6-7 महीने पहले हुई थी । मैं यह आश्वासन देता हूं कि सेना के उपकरणों का मामला बहुत महत्वपूर्ण है और हम इस पर निरन्तर ध्यान देते रहते हैं । हम जनरलों के परामर्श के अनुसार ही कार्यवाही करते हैं जिन्हें हमारी प्रतिरक्षा का कार्यभार सौंपा गया है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : शत्रु को मारने की हमारी शक्ति अधिक होनी चाहिये जैसा कि

इसराइल की है। क्या सरकार ने इस दृष्टि से इस मामले पर विचार किया है ? हमारी सेना प्रभावशाली ढंग से कहां तक सुसज्जित है जिससे आसपास के देशों की उ हमला करने की हमारी शक्ति अधिक और तेज हो ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर अपनी सेना व उपकरण दे रहे हैं, जो देश में भी बनाये जाते हैं और विदेशों से भी प्राप्त किये जाते

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या 303 राइफल को बदल दिया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य यह जानते होंगे कि सेना के पास सेमी-आटोमेटिक राइफलें हैं और अब 303 राइफल कोई हथियार नहीं जानकारी दे सकता हूं।

फिल्म इंस्टीट्यूट आफ इंडिया तथा नेशनल फिल्म आर्काइव्ज आफ इंडिया के सलाहकार समिति

+

*518. **श्री रा० बरुआ :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फिल्म इंस्टीट्यूट आफ इंडिया तथा नेः आर्काइव्ज आफ इंडिया के लिये एक ही सलाहकार समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसके कृत्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी

(ख) इनके नाम नीचे दिये गये हैं :—

अध्यक्ष सूचना और प्रसारण मंत्री

सदस्य

1. श्री एस० एस० बसन, संसद् सदस्य
2. प्रधान, फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया
3. श्री बी० एन० सरकार
4. श्री सुबरता मित्र
5. श्री के० ए० अब्बास
6. श्री बी० एम० टाटा
7. श्री एस० कृष्णास्वामी
8. श्री बी० के० करन्जिया

9. श्री ई० अलकाजी
10. श्री के० एल० सान्डपुर, नियन्त्रक, फिल्म प्रभाग
11. श्री एच० डी० खन्ना, उप सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय
12. रिक्त

आर्काइव का सहयोजित सदस्य

डा० पी० एन० जोशी

समिति का कार्य सरकार को फिल्म इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया और नेशनल फिल्म आर्काइव्ज के ऐसे कार्यक्रमों तथा उनके संचालन के बारे में सलाह देना है जो उनको भेजे जायें ।

श्री रा० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या फिल्म इंस्टीट्यूट आज तक हमारे भारत का सही और पूरा चित्रण कर पाया है, और यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : फिल्म इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया एक ऐसा संस्थान है जहां विद्यार्थियों को फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा ये विद्यार्थी अपने अध्ययन के लिये छोटी-छोटी फिल्में बनाते हैं । अतः भारत के रूप का चित्रण करना इस फिल्म इंस्टीट्यूट का काम नहीं है ।

श्री रा० बरुआ : मंत्री ने कहा कि भारत के रूप का चित्रण करने का विचार नहीं है । मेरी धारणा है कि जब कोई संस्थान अस्तित्व पाता है तो इसका कोई उद्देश्य होता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका उद्देश्य है कि वह सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक क्षेत्र में भारत के संपूर्ण रूप का चित्रण करे ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह एक वृहत् प्रश्न है । इस संस्थान का यह उद्देश्य है कि वह भारत के रूप का चित्रण करे परन्तु जबकि इसके विद्यार्थी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकेंगे ।

Use of Hindi in the Defence Ministry

\+

*519. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether his Ministry have received the Home Affairs Ministry Office Memorandum No. 2/29/68-O.L., dated the 6th July, 1968 ;

(b) if so, the action taken or proposed to be taken in accordance with paragraph 3, 4, 5, 6 and 7 of the said memorandum ;

(c) the number of tenders, agreements, contracts, licences and permits as also notifications and administrative reports brought out in Hindi by his Ministry, its subordinate offices and establishments during August-September last ; and

(d) the number of Class I officers who neither know Hindi nor they attend the Hindi classes regularly ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) Based on the Ministry of Home Affairs Office Memorandum dated 6th July, 1968, comprehensive instructions have been issued to all concerned in Defence organisation in regard to progressive use of Hindi for official purposes.

(c) and (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Shri Jagannath Rao Joshi : At least in the Defence Ministry, adequate efforts to develop Hindi have not been made even in twenty years after the Independence. Last year I received some letters from some Jawans of our army. They have complained that they are being tortured for not knowing good English. I wrote a letter in this connection to the Defence Minister and he, in turn, replied that they inquired about it but there was nothing like that. But in fact, inquiries are made only from those officers who torture these Jawans and who know good English. I have myself worked in Military Accounts. I know that in British Period, every English officer was taught the language which is now known as Roman Urdu. The same thing should be done in the case of Hindi. It is found today that although we ask questions sufficiently before the time to reply but the Hon. Ministers often say that they have not received the answer or they are collecting information and the same will be placed on the Table of the House. I do not know whether that is actually placed or not. It would have been better if we could get the information just now.

Shri L. N. Mishra : In this original question the Hon. Member had desired the figures. He wants to know the number of tenders, agreements, contract licences, permits, etc. have been translated. I have, therefore, asked for time and said that the desired information will be collected and placed on the Table of the House.

As regards propagation of Hindi, the work in the Defence Ministry is going on very effectively. We have set separate cells in all the three services besides having separate Hindi officers. Proposals, general orders, Rules, Notifications etc. are being translated into Hindi. Press Communication is issued in Hindi. The Parliament Questions received in Hindi are replied to in Hindi. It is a fact that we are experiencing some difficulties in regard to the translation of technical words, and it may be one of the reasons that the expected progress is not there.

Shri Jagannath Rao Joshi : With a view to encourage Hindi, have you increased the number of Hindi stenographers, if so, by how much ?

Shri L. N. Mishra : I want notice.

Shri Jagannath Rao Joshi : You can very well tell whether increased or not.

श्री सेझियान : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि छोटे पदों के बारे में भी पदोन्नतियां केवल हिन्दी में प्रवीणता की परीक्षा पास करने पर ही की जा रही है, तथा क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवाओं में नियुक्त बहुत से अहिन्दी भाषियों की यह एक कमजोरी है तथा उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सत्य है कि वर्ष 1961 के बाद से 45 वर्ष से कम आयु के

अधिकारियों को हिन्दी की कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है। सेना में यह स्तर चौथी श्रेणी तक था, जल सेना में 5वीं तक तथा वायु सेना में मिडिल स्कूल तक। मैं नहीं जानता कि यह चीज किसी अधिकारी की पदोन्नति में बाधा बनी है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : क्या सेना संहिता (Army Manual) का भी हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है, यदि नहीं, तो आप अधिकारियों की पदोन्नतियां कैसे रोक सकते हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह एक पृथक प्रश्न है। परन्तु कुछ अन्य संहितायें तथा दूसरे पत्र अनूदित किये जा चुके हैं।

पाकिस्तान की भारतीय द्वीप समूहों को हड़पने की कोशिश

*520. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान अब भारत के महत्वपूर्ण लक्कदीव और मालदीव द्वीपसमूहों को हड़पने की कोशिश कर रहा है ;

(ख) क्या पाकिस्तानी घुसपैठिये काफी संख्या में द्वीपसमूहों में मुसलमान मछुओं को हिन्दुओं के विरुद्ध भड़काने के लिये आ गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Yajna Datt Sharma : The problems of security of the borders of our country have been created by the carelessness of the Government. The mischiefs which the enemy countries have done on our borders, are greatly responsible for the trouble. Same is the situation with regard to our militarly strategic Laccadive and Maladiv islands. I donot know whether the Hon. Minister has knowledge about it or not. Even today Pakistan is creating communal tension there with the help of undesirable elements and is also trying to create a feeling of separation against India in the mind of masses. I want to ask whether in view the security of these strategic military islands any army contingent have been posted there or not ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक समय ऐसा था जब कि इन द्वीपों में विभिन्न प्रकार के तनाव विद्यमान थे। ये द्वीप केरल के तट से 100 से 200 मील तक दूर थे। हमारे नौसेना के जहाज इस क्षेत्र का गश्त लगाते आ रहे हैं और अक्सर यहां का उन्होंने दौरा भी किया है, ऐसा हो सकता है कि कभी यहां आन्तरिक तनाव रहा हो। मुझे इस तथ्य का पता है कि एक समय बाहरी प्रभाव का यहां उपयोग किया गया था परन्तु अब स्थिति नियंत्रण में है और हमारे नौसेना के जहाज अक्सर इन क्षेत्रों में गश्त लगाते हैं, यहाँ एक सदस्य उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनका मेरे साथ बराबर सम्पर्क बना हुआ है।

Shri Yajna Datt Sharma : I have the information that Pakistan is creating trouble there. I want to ask whether a parliamentary delegation will be sent there so that a report before the House regarding it may be presented.

Shri Swaran Singh : I have no objection. If the Minister of Parliamentary Affairs wants to send some members then it can be easily arranged.

श्री न० कु० सांघी : मैं प्रतिरक्षा मंत्री से जान सकता हूं कि क्या उन्हें इस बात का पता है कि पाकिस्तान सेना अभ्यास करते हुए राजस्थान सीमा में घुस आई.....

अध्यक्ष महोदय : इसका मुख्य प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री स्वर्ण सिंह : क्या मैं इसका खंडन कर सकता हूं ? नहीं तो एक गलत धारणा पैदा हो सकती है। राजस्थान के किसी भी भाग में पाकिस्तानी सेना नहीं घुसी है, अगर ऐसा होगा तो यह एक दुःख का दिन होगा।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : दुःख का दिन किसके लिए होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह दिन पाकिस्तान के लिए होगा। भारत के लिए नहीं हो सकता।

श्री ए० श्रीधरन : लाकादीव और आमीनडाइव द्वीपसमूह का केरल के साथ परम्परागत सम्बन्ध है और उस द्वीप के निवासी बहुत समय पूर्व केरल से वहां गए थे। तनाव का कारण, जहां तक हम जानते हैं, उस क्षेत्र के पिछड़ेपन का होना है और सरकार उन द्वीपों के निवासियों के अधिकारों का आदर नहीं के बराबर करती है। अभी हाल में सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य संहिता इन द्वीपों में लागू किया गया था और मंत्री महोदय ने कहा है.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न कीजिए।

श्री ए० श्रीधरन : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब कोई वाद-विवाद नहीं होने दूंगा।

श्री ए० श्रीधरन : मंत्री महोदय ने कहा था कि वहां तनाव विद्यमान था। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह तनाव आर्थिक पिछड़ेपन, लोगों की कठिनाइयों अथवा पाकिस्तान के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न हुआ ?

श्री स्वर्ण सिंह : आन्तरित समस्याओं के सम्बन्ध में अगर प्रश्न गृह-कार्य मंत्री से पूछा जाये तो वह ठीक-ठीक सूचना दे सकेंगे। हमें इस बात का पता है कि पाकिस्तान अथवा पाकिस्तानी तत्व दबाव डाल रहे हैं। हम इससे पूर्णतया अवगत हैं और स्थिति नियंत्रण में है।

Translation of Forms and Manuals in Hindi

\+

*521. **Shri Hardayal Devgun** : **Shri Bharat Singh Chauhan** :
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Ram Singh Ayarwal** :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of forms and manuals of his Ministry and its Attached Offices whose

Hindi versions have been prepared ;

(b) the number of forms and manuals which are yet to be translated into Hindi ;

(c) the arrangements being made to prepare Hindi versions of those forms and manuals which have not so far been translated into Hindi and the time by which their Hindi versions would be prepared ; and

(d) the reasons for the delay in preparing their Hindi versions ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). So far, about 1580 standard forms have been translated and Hindi version of the remaining about 2,770 forms is under preparation in consultation with the Central Hindi Directorate of the Ministry of Education.

Information in regard to manuals is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d). All non-statutory manuals are sent to the Central Hindi Directorate of the Ministry of Education and statutory Rules & Regulations to the Ministry of Law, for translation. Forms and classified documents are translated in the organisations concerned in consultation. with the Central Hindi Directorate of the Ministry of Education or the Ministry of Law as the case may be. On account of the large volume of work and as both these Ministries are also required to attend to the work of other civil Departments, it is not possible to indicate, at this stage, the time by which the work of translation of all forms and manuals would be completed.

जोंड-5 अन्तरिक्ष यान

*522. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोंड-5 अन्तरिक्ष यान को सरकार की पूर्वानुमति से बम्बई लाया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे किन परिस्थितियों में लाया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या ऐसा कोई अन्तर्राष्ट्रीय करार अथवा परम्परा है जिसके अन्तर्गत अन्तरिक्ष यान बिना पूर्व अनुमति के किसी देश में उड़ सकता है । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव का क्या हुआ जिसमें यह घोषणा की गई थी कि महासागर तल तथा समुद्र तल केवल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए ही सुरक्षित रखे जायेंगे और किसी भी राष्ट्र का उस पर प्रभुत्व नहीं होना चाहिए ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसी एक अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटी है जिसके अनुसार समुद्री सीमा के परे महासमुद्र पर प्रत्येक का अधिकार हो सकता है । ऐसी परिपाटी चली आ रही है और यह

शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए है। जहां तक समुद्र तल के प्रयोग का सम्बन्ध है, इस पर संयुक्त राष्ट्र की समिति विचार कर रही है।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारा देश भी अन्तरिक्ष उड़ानों में अनुसंधान कार्य तथा परीक्षण कर रहा है ? यदि हां, तो इस समय हमारा देश वैज्ञानिक उन्नति के किस चरण में है।

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न परमाणु ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है और इसके लिए अलग प्रश्न पूछा जाये।

मानव अधिकारों के बारे में विश्व घोषणा

*524. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह संकल्प किया है कि सदस्य राज्यों से यह कहा जाये कि वे इस वर्ष 'मानव अधिकारों संबंधी विश्व घोषणा के स्तरों के विरुद्ध बनी राष्ट्रीय विधियों का पुनर्विलोकन करें 'और' घोषणा के सिद्धान्तों के अनुसार अपने विधानों को बनाने के लिए नये कानून अथवा वर्तमान विधियों में संशोधन करने पर विचार करें' ;

(ख) इस संकल्प के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). चूंकि हमारे संविधान में और दूसरे अधिनियमों में आधारभूत मानवीय अधिकारों को विशेष सुरक्षा की व्यवस्था है, इसलिए इस संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए कोई विशेष कदम उठाना आवश्यक नहीं समझा गया था।

Shri George Fernandes: Do Government think that Preventive Detention Act, Essential Services Ordinance or Bill and some sections of Criminal Procedure Code, such as sections 107, 151 and 109, under which Government is empowered to arrest any person at any moment, are in accordance with universal declaration of human rights, if so, are Government prepared to get this point examined by U.N.O. or any of its agencies ?

Shri B. R. Bhagat: We are prepared for an enquiry into the matter. If any one of our Acts, Indian Penal Code or Criminal Procedure Code is considered to be against the constitution, it is challenged before our judiciary, the Supreme Court and it has always been done. Our fundamental rights, which cover the rights given in the U.N. Charter, are fully safeguarded by our judiciary, constitution and Parliament.

Shri George Fernandes: On his return journey after her tour of Latin American countries while addressing the United Nations the Prime Minister had suggested that the next year should be celebrated as a year of world peace. What has been the reaction of the member-nations of U.N.O. to the suggestion of the Prime Minister ? Is it fact that the draft of her speech to be delivered by the Prime Minister as prepared by some officials was not liked by

her and therefore, Mr. Haksar was specially called there, about which Mr. Morarji Desai is very much annoyed with her?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं केवल दूसरे भाग का उत्तर दे सकती हूं। यह बिल्कुल हस्यास्पद बात है।

Shri George Fernandes : What do you mean by ridiculous, tell me? What does she think?

Shri Randhir Singh : What does he think of himself?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : प्रधान मंत्री सामान्यतः सहायता अवश्य लेता है। यह भाषण श्री हाक्सर अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया था और दूसरी बात श्री हाक्सर को बिल्कुल भिन्न कारणों से भेजा गया था ; उसका संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई सम्बन्ध नहीं था।

Shri George Fernandes: What was the reaction to the suggestion of the Prime Minister?

Shri B. R. Bhagat: I was present there. There was very favourable reaction of the delegates present there to the speech of the Prime Minister. As regards the suggestion, we did not receive any suggestion formally.

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, everyone should behave here properly. We feel the way Shri George Fernandes treated the Prime Minister.

Shri Sheo Narain: It is not a slum area of Bombay.

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों से ठीक व्यवहार की आशा की जाती है।

श्री रणधीर सिंह : कुछ शिष्टता होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे शिष्टता चाहते हैं, तो उन्हें भी शिष्टता से व्यवहार करना चाहिए। बोलते समय सभी सदस्यों को अपमानजनक भाषा का नहीं प्रयोग करने का ध्यान रखना चाहिए। इससे किसी को लाभ नहीं होता है। मेरी सभा के सभी वर्गों से यह अपील है। मैं किसी से बहस नहीं कर रहा हूं। एक ही भाषा होते हुए भी बोलने के ढंग और तरीके से बहुत अन्तर हो जाता है।

श्री कंवरलाल गुप्त : हम आपसे सहमत हैं।

Shri S. M. Banerji: Mr. Speaker, Sir, I quite agree with you that no such words should be used. But, Sir, you will find that wherever we rise to put a question, Chaudhri Randhir Singh and Mr. Sheo Narain, whom we consider the two bullocks, the congress symbol, try to create trouble.

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य श्री रणधीर सिंह ने शोभा प्रदर्शित की ; आखिरकार कोई भी इस प्रकार अपनी बातें चढ़ा सकता है। ऐसा करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं उसकी भी भर्त्सना करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : हड़ताल करने का अधिकार भी एक मानव अधिकार है। हड़ताल केवल मानवों द्वारा ही की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कोई विधान प्रस्तुत करने से पहले इस पहलू पर विचार किया गया है कि मानव अधिकार को इतनी आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता।

श्री ब० रा० भगत : हमारे देश में हड़ताल करने के इस अधिकार की व्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र में घोषित मानव अधिकारों में काम करने का अधिकार है ; उसमें हड़ताल करने का अधिकार शामिल है।

Shri Bibhuti Mishra : Do the human rights mean that they should go on strike and affect the rights of others ? Do the Government propose to print and circulate in the entire country the definition of human rights ?

Shri B. R. Bhagat : Human rights are covered under the fundamental rights provided in our constitution. The definition of human rights has been given in U. N. Charter. There is no need of circulating it throughout the country. All the basic human rights are covered under the fundamental rights in our constitution, which is known to everybody in our country.

श्री बलराज मधोक : यह मानव अधिकार वर्ष है और जैसा मंत्री महोदय ने अभी कहा कि हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार शामिल हैं, जो उच्चतम श्रेणी के मानव अधिकार हैं। जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं, तो ये मानव अधिकार किसी विशेष देश मात्र के लिये नहीं होते परन्तु सारे विश्व के लिये। विभिन्न देशों में संविधान और मानव अधिकार भिन्न हैं। साम्यवादी देशों में मानव अधिकारों की किस्म लोकतन्त्रीय देशों से भिन्न है। क्या भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ को यह देखने के लिए कहेगी कि तिब्बत के लोगों, पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों और दक्षिण अफ्रीका के लोगों को जहां कोई मानव अधिकार नहीं दिये गये हैं, विश्व में समझने वाले रूप में मानव अधिकार मिलें ? क्या हमारा इन लोगों के प्रति कोई कर्त्तव्य है अथवा नहीं, यदि है, तो हमने उसके बारे में अब तक क्या किया है ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित देशों के सम्बन्ध में मानव अधिकारों के बारे में अपनी स्थिति हम स्पष्ट कर चुके हैं। हम इन अधिकारों का समर्थन करते हैं। जहां कहीं भी मानव अधिकारों का दमन किया गया है हम कहते हैं कि मानव अधिकार दिये जाने चाहिए। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसका समर्थन किया है।

Complaints Against Hindi Programme Broadcasts

*526. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints about the Hindi programme broadcast from the Delhi Station of All India Radio ;

(b) if so, the action taken thereon ; and

(c) the extent to which those complaints were found correct ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। जैसे दूसरे कार्यक्रमों के बारे में शिकायतें और सुझाव आते हैं, दिल्ली से प्रसारित किये गये हिन्दी कार्यक्रमों के बारे में भी समय-समय पर शिकायतें मिली हैं।

(ख) और (ग). सभी शिकायतों तथा सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है और जहां जरूरी और सम्भव हो, उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ताकि कार्यक्रमों को बेहतर बनाया जा सके। कई बार ये शिकायतें योंही श्रोताओं की प्रतिक्रिया के कारण होती हैं और कई बार ये अपर्याप्त सूचना के कारण की जाती हैं। ऐसे अवसर भी होते हैं। जब ये शिकायतें ठीक होती हैं और उनको दूर करने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है। एक शिकायत हिन्दी वार्ताओं के बारे में कुछ दिन पहले माननीय सदस्य से मिली थी जिसको देखा जा रहा है।

Shri Prakash Vir Shastri: Sir, it would have been better if he had given some information to the House about the nature of these complaints but for the reasons best known to him, he wants to keep the House in dark deliberately. May I know whether some of the complaints relate to giving priority deliberately to certain persons, special correspondents of certain newspapers, certain M. Ps. in Hindi programmes and have you collected any statistics in this regard for the last six months and if so, the conclusion arrived ?

श्री के० के० शाह : तीन प्रकार की शिकायतें हैं : (क) हिन्दी कार्यक्रमों के पर्याप्त न होने के बारे में श्रोताओं की शिकायतें ; (ख) विशिष्ट कार्यक्रमों के गुण-प्रकार के बारे में शिकायतें ; और (ग) वक्ताओं और भाग लेने वाले व्यक्तियों के चयन के बारे में शिकायतें जिसका माननीय मित्र ने उल्लेख किया है। श्रीमन्, हमें अनेक पत्र आते हैं और माननीय सदस्य को प्रसन्नता होगी कि 31 अक्टूबर तक प्राप्त हुए सभी पत्रों में से केवल 61 में आलोचना की गई थी और सुझाव दिये गये थे। जहां तक वक्ताओं का सम्बन्ध है, मैंने 13 मई, 1968 से अक्टूबर, 1968 तक की सूची तैयार की है। यह एक लम्बी सूची है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री के० के० शाह : मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा। यदि सूची को देखें, तो मुझे विश्वास है कि वे संतुष्ट हो जायेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri: Is it a fact that the talks in Hindi and other programmes in Hindi now being broadcast from A.I.R. continue to be outmoded and follow the same old pattern as existed fifteen years ago ? Have you invited any suggestions from any committee or public to reorient and popularise these programmes ? Have you prepared any scheme so as to induce and encourage more people to listen to these programmes ?

Shri K. K. Shah: Mr. Prakash Vir is aware of the newly started talks and programmes and which were mentioned in the advisory committee also. You have made a thorough enquiry also about it.

India's Ties with Japan

*527. **Shri Kanwar Lal Gupta:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government during the last one year to further strengthen ties with Japan ;

(b) whether Government are formulating any scheme to have more trade with Japan and to further strengthen relations with them in other matters also ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat): (a) to (c). The process of strengthening the mutual relations between India and Japan continued during the last year. Among other things, this include visits by Ministers and others, and useful discussions both at governmental and non-governmental levels. The annual official level discussions provide an opportunity for constantly reviewing these relations between our two countries and to take steps to strengthen them further. A fact-finding mission from Japan is expected to visit India shortly to identify further items of possible Indian export to Japan.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, an agreement has been reached between Japan and Russia. Under this agreement Russia will supply to Japan raw material and in return Japan will help in industrial development of Siberia region of Russia. I want to know whether our Government will enter into some such agreement with Japan, so that Japan may help us in fisheries development in return of our supply of raw material to that country ?

Shri B. R. Bhagat : It is not necessary that their agreement may be of some use to us. We can meet the demand of Japan in respect of machinery. Their mission is coming here. It will see as to which of our industries can be competitive for them ?

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

नूनमती तेल शोधक कारखाने में एक कर्मचारी की मृत्यु

अ०सू०प्र०सं० 8. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 नवम्बर, 1968 की नूनमती तेल शोधक कारखाने में गैस-कम्प्रेसर के फट जाने के कारण एक कर्मचारी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या सरकार ने इस घटना के कारणों का पता लगा लिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) शोधनशाला के प्रधान प्रबन्धक ने एक जांच समिति द्वारा मामले की जांच करवाई है ।

(ग) जी नहीं, क्योंकि वह केवल दुर्घना का मामला पाया गया था ।

श्री धीरेश्वर कलिता : यह इस प्रकार की पहली दुर्घटना नहीं है । रेलवे मंत्रालय की भांति इस मंत्रालय के अन्तर्गत विभागों में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं । बहुत तेल शोधक कारखानों में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है । गौहाटी और नूनमाटी तेल शोधक कारखानों में प्रतिवर्ष एक अथवा दो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है ।

13 नवम्बर की बात है कि एक तकनीशन कम्प्रेसर मशीन पर कार्य कर रहा था और बीड़ी पी रहा था, उसका सहायक गैस कम्प्रेसर के भीतर था । वह वहां पर कार्य करने के योग्य नहीं था और उसे मीटर पढ़ना नहीं आता था । जब वह गैस भर रहा था तो विस्फोट हो गया और इसके फलस्वरूप एक मृत्यु हो गई । मैंने स्वयं वहां जाकर यह मालूम किया है ।

माननीय मंत्री ने कहा है महाप्रबन्धक ने जांच की है । मैं समझता हूं कि उन्होंने इस विषय को गम्भीरता से नहीं लिया । मैं चाहता हूं कि इसकी उच्च शक्ति प्राप्त निकाय द्वारा जांच की जानी चाहिए ।

श्री रघुरामैया : माननीय सदस्य ने बहुत से आरोप लगाये हैं । मैं उन सबके बारे में

नहीं कहूंगा । हां, इस दुर्घटना के बारे में हमें बहुत दुख है । इस मामले में तथ्य इस प्रकार है कि कम्प्रेसर को टेस्ट कर रहे थे और एक सहायक उसे पकड़े हुए था । उस समय अचानक उसका कवर फट गया । इससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई । तुरन्त बाद कारखाने की ओर से बड़े-बड़े अधिकारियों की एक जांच समिति जांच करने के लिए गठित कर दी गई । उसका निष्कर्ष यह है कि यह दुर्घटना अकस्मात् थी । ऐसी स्थिति में मेरे विचार में और किसी प्रकार की जांच आवश्यक नहीं है । हम इहितियाती उपाय कर रहे हैं । कार्मिक प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत राशि जमा करा दी गई है और सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं ।

श्री घीरेश्वर कलिता : यदि तेल शोधक कारखाने के अधिकारी जांच करेंगे तो वे मामले को समाप्त करने की कोशिश करेंगे और वास्तविकता को छिपायेंगे । यह दुर्घटनाएं होती हैं और विभागीय जांच हो जाती है, परन्तु वास्तविक बातें सामने नहीं आतीं । मैं चाहता हूं कि सरकार को किसी वाह्य एजेंसी से जांच करानी चाहिए ताकि तथ्यों का पता चल सके ।

सरकार ने अभी तक पर्याप्त प्रतिकर नहीं दिया है । अधिनियम के अन्तर्गत 500 रुपये दिये जाने चाहिए । क्या सरकार इससे अधिक देगी ? क्या सरकार मरने वाले के परिवार को 5,000 रुपये देगी ?

श्री रघुरामैया : सरकार के विचार से और जांच आवश्यक नहीं है । कार्मिक प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय राशि का भुगतान किया जायेगा ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Sir, he has not answered to the question put by Shri Kalita. I want to know whether at the time of filling gas, the helper, who was there, could not read the meter ; if so, whether it has come to the notice of enquiring authorities, that explosion was due to excessive filling of gas or the compressor was not according to the specifications ? What were the findings in this regard ?

श्री रघुरामैया : सहायक तो केवल गैस कम्प्रेसर को पकड़े हुए था । टेस्ट करने का वास्तविक कार्य तो श्री राय, जो तकनीशन हैं, कर रहे थे । वह गैस के मीटर पर प्रेशर देख रहे थे । सहायक तो केवल पकड़े हुए था ।

Shri Maharaj Singh Bharati : At what pressure it was checked ? Was it at the designed pressure or the compressure was weak and due to that it burst ?

श्री रघुरामैया : जांच समिति ने इसकी जांच की है और उसका विचार है कि यह कम्प्रेशर के फटने के कारण था ।

श्री हेम बरुआ : जांच समिति ने इसे एक दुर्घटना घोषित किया है । क्या इसका कोई कारण था । क्या श्री राय, जो कि टेस्ट करने के लिए जिम्मेदार थे, उस समय वहां उपस्थित थे ?

श्री रघुरामैया : जी हां ।

श्री हेम बरुआ : यदि श्री राय वहां उपस्थित थे, हो वह कैसे बच गये और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई ?

श्री रघुरामैया : श्री राय टेस्ट कर रहे थे .... यदि सभा चाहे तो मैं रिपोर्ट में से पढ़ देता हूं। यह इस प्रकार है :

"श्री राय, तकनीशन श्री के० सी० दास चार्जमैन की निगरानी में परीक्षण कर रहे थे। वह प्रेशर को देखने गये। उन्होंने कार्बन-डाइ-आक्साइड सिलैंडर खोला और अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी। उन्हें कुछ गर्म होने का आभास हुआ। कमरे में गैस भर गई थी और उन्होंने देखा कि सहायक श्री सी० के० तालुकदार को गहरी चोटें लगी हैं। आवाज सुनने पर बिजली विभाग के दो मजदूर कमरे में गये और बिजली विभाग के सहायक इंजीनियर को रिपोर्ट किया।

इसके आधार पर एक जांच समिति बैठाई गई। उसका निष्कर्ष है कि यह एक दुर्घटना थी। यह कम्प्रेसर के फटने के कारण हुई। ढकने के उड़ने के कारण श्री तालुकदार को चोट लगी।

जांच समिति ने सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के साक्ष्य लेने के बाद यह निष्कर्ष निकाला। सामान्य सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं।"

श्री हेम बरुआ : यह कैसे हुआ कि कम्प्रेशर को खोलने वाले तकनीशन की मृत्यु नहीं हुई परन्तु पास काम करने वाले सहायक की मृत्यु हो गई ? यह बड़ा रहस्यमय है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने उपलब्ध जानकारी दे दी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

छिपे नागाओं द्वारा दुर्ग का निर्माण

*512. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे नागाओं ने नागालैंड-मनीपुर सीमा के जलीयानंगरोंग क्षेत्र में ईन्गोंगा स्थित ओपला पहाड़ी पर एक बड़े दुर्ग का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) आदिम जातियों में विद्रोह भड़कने के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे समस्याओं को सदा के लिए हल किया जा सके ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को इस आशय की कोई खबर नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार ने और सुरक्षा सेनाओं ने सुरक्षा और कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए विभिन्न उपाय बरते हैं, जैसे—प्रशासन केन्द्रों को मजबूत करना, सीमा पर निगरानी

बढ़ाना तथा सशस्त्र पुलिस बढ़ाना । यह तो आप स्वीकार करेंगे ही कि ये जो उपाय किये गये हैं इनका ब्योरा बताना सम्भव नहीं है ।

Indians who applied for Ceylonese Citizenship

*516. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the year-wise number of Indians who applied for Ceylonese citizenship so far under the Indo-Ceylon Agreement of 1964 and the number of persons out of them who were granted such citizenship ;

(b) the number of persons who returned to India so far ; and

(c) the number of applications still pending and by when they are likely to be decided ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (c). Applications for Ceylon citizenship were called for on 1st May, 1968. So far, 225 persons have been granted Ceylon citizenship and about 12,000 applications are pending. The Government of Ceylon has informed us that expeditious action is being taken in regard to the pending applications.

(b) About 6,500 upto the end of October, 1968.

छिपे नागाओं द्वारा धन का जुटाया जाना

*517. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे नागाओं ने भारत सरकार के साथ बातचीत के द्वारा एक सम्मानपूर्ण समझौता करने के झूठे बहाने के आधार पर निर्दोष ग्रामवासियों से धन की वसूली करके अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने, उनके आदेशों की अवहेलना करने वाले ग्रामवासियों पर जुर्माने किये और पिछले दो वर्ष में अपहरण और युवकों को भर्त्ती करने की घटनायें भी प्रायः हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). इस तरह की वारदातों की रिपोर्ट मिली है ।

ऐसी कार्रवाइयां गैर-कानूनी हैं और कार्रवाई बन्द रखने से सम्बद्ध समझौते के खिलाफ भी ।

कानून और व्यवस्था भंग करने तथा कार्रवाई बन्द रखने से सम्बद्ध समझौते के ऐसे

उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य सरकार और सुरक्षा सेनाएं सभी सम्भव उपाय बरत रही हैं। उनकी कोशिशों से इधर इस तरह की कार्रवाइयों में कुछ कमी आई है।

भारतीय फिल्म वित्त निगम लिमिटेड

*523. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फिल्म वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1968 को उसकी अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी कितनी-कितनी थी ;

(ख) 31 मार्च, 1968 को कम्पनी पर कितना ऋण था और इसमें से केन्द्रीय सरकार, बैंकों अथवा अन्य फर्मों से लिया गया ऋण कितना-कितना था ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में निगम ने ब्याज के रूप में कितनी धनराशि दी ;

(घ) पिछले तीन वर्षों में कम्पनी के कार्य के क्या परिणाम निकले हैं, कितना लाभ हुआ है और यदि हानि हुई है, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं, और वर्ष 1968-69 के सम्बन्ध में क्या अनुमान है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) :

	अधिकृत पूंजी	चुकता पूंजी
	रुपया	रुपया
1960-61	1,00,00,000	20,00,000
1967-68	1,00,00,000	50,00,000

(ख) केन्द्रीय सरकार से 48,45,631 रुपये

बैंक तथा अन्य पार्टियों से कोई नहीं

(ग) 6,55,406

(घ)

	लाभ	हानि
1965-66	—	2,45,083
1966-67	—	5,44,359
1967-68	3,414	—

1967-68 के दौरान नाम-मात्र का 3,414 रुपये का लाभ काल्पनिक है क्योंकि निगम ने यह निर्णय किया है कि कोई भी ऋण तब तक बट्टे-खाते में न डाला जाए जब तक उसको वसूल करने के सारे रास्ते समाप्त नहीं हो जाते।

हानि का कारण मुख्य रूप से कुछ ऋण लेने वालों का निगम का ऋण वापिस लौटाने में असफलता होना था, जिस ऋण को वसूल न होने वाले ऋण के रूप में बट्टेखाते में डालना पड़ा।

1968-69 की अनुमानित प्राप्ति 3,87,500 रुपये तथा अनुमानित व्यय 5,54,150 रुपये है।

विदेशों से प्रतिरक्षा सहायता

*525. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को किन-किन देशों से प्रतिरक्षा के आधुनिकतम हथियार प्राप्त हो रहे हैं और हमारी नौ सेना, वायु सेना तथा स्थल सेना की आवश्यकताओं के लिए देश में उनका उत्पादन करने के लिए सहायता प्राप्त हो रही है ;

(ख) क्या पाकिस्तान को कुछ हथियार सप्लाई करने के बारे में रूस के तैयार होने के समाचार के परिणामस्वरूप भारत को प्राप्त हुई प्रतिरक्षा उपकरणों की सहायता निष्प्रभावी हो गई है अथवा हो जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह सूचना जनहित में नहीं दी जा सकती।

(ख) और (ग). पाकिस्तान की सैनिक शक्ति के संवर्धन से, चाहे वह कहीं से भी हो, देश की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के हमारे उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाएंगे लेकिन इससे उत्पन्न किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हम अपने प्रयास जारी रखेंगे।

Field Firing Range in Jaisalmer

*528. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the residents of Mawa-Kala, Eta, Ramdeoria, Gomat and other villages of Jaisalmer District and of Pokhran Tehsil and Balana Village have been displaced as the aforesaid areas have been brought under Field Firing Range ;

(b) whether any action has been taken to rehabilitate the said displaced persons in Rajasthan Canal area ;

(c) whether Government have made arrangements for granting them compensation in lieu of their kacha and pucca houses ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Private land in a number of villages in Jaisalmer District, including the villages of Mawa, Kalan, Ram Deora and Gomat has been acquired and taken over for Field Firing Ranges. Land has, however, not yet been taken over in the villages of Eta and Balana.

(b) This is a matter within she purview of the State Government.

(c) and (d). Compensation is assessed and awarded by the Land Acquisition Collector in accordance with the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act and is admissible for houses also. Awards totalling approximately Rs. 75 lakhs have so far been declared by the Collector. Separate figures are not available regarding compensation for houses.

Hindi Broadcast for Non-Hindi Speaking Areas

*529. **Shri Narain Swarup Sharma :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the duration of programmes broadcast in Hindi for the non-Hindi speaking areas: and

(b) the reaction of the listeners thereto ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b). The information contained in Statement I and II is laid on the Table of House. **[Placed in Library. See No. LT-2501/68.]**

Kashmir Issue in U.N.O.

*530. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri B. K. Das Chowdhury : **Shri Shiva Chandra Jha :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Ram Chandra Veerappa :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan have made an announcement to raise the issue of Kashmir again in the United Nations Organisation ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b). "The Foreign Minister of Pakistan is reported to have stated that it was proposed to formally raise the Kashmir issue in the Security Council at an appropriate time. It is Government of India's considered view that such a step will not serve any constructive purpose."

कच्चाटीवू द्वीप के सम्बन्ध में विचार-विमर्श

*531. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका सरकार से कच्चाटीवू द्वीप के बारे में कोई बातचीत की है ;

(ख) बातचीत में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या इस मामले में तमिलनाड की सरकार से परामर्श किया गया था ;

(घ) क्या सरकार का विचार कच्चाटीवू के बारे में भारत का मामला स्पष्ट करने वाले श्वेत पत्र तथा उन दस्तावेजी साक्ष्यों को जो उसके कब्जे में हों, सभा पटल पर रखने का है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(च) क्या सरकार ने श्रीलंका सरकार को कच्चाटीवू में पुलिस, नौसेना यूनिटें, विमान

सेना, सरकारी अधिकारी तथा ऐसे ही दूसरे अधिकारी न भेजने को कहा है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ). श्रीलंका और भारत के प्रधान मंत्रियों ने पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में समाज हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया, जिसमें प्रादेशिक जल, मध्य रेखा का चित्रण, मछली पकड़ने के अधिकार और कच्चाटीवू पर प्रभुसत्ता भी शामिल है। उन्होंने इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच परस्पर लाभदायक सहयोग की सम्भावनाओं पर अनौपचारिक रूप से विचार किया और इस बात पर सहमत हुए कि इन मामलों पर बातचीत जारी रहनी चाहिए। भारत सरकार भारत और श्रीलंका के बीच मित्रतापूर्ण सहयोग की भावना से इस विचार-विनिमय को जारी रखना चाहती है। अपने इसी रवैये के अनुरूप सरकार इस बात की आवश्यकता भी समझती है कि कच्चाटीवू पर सदन की मेज पर कोई श्वेत-पत्र रखा जाये। इस बारे में सरकार तमिलनाडु की सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

Village Security Arrangements in Nagaland

*532. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Shradhakar Supakar :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make the village security arrangements in Nagaland as in Mizo area ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a). There is no such proposal.

(b) The existing security arrangements are considered adequate.

Indo-Nepal Relations

*533. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that mutual relations of Nepal and India have been further strengthened recently ;

(b) whether it is also a fact that the Indian Embassy in Nepal has given some more suggestions to Government for promoting mutual relations of both the countries ; and

(c) if so, the nature thereof and reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a). Yes, Sir.

(b) and (c). Our mission and posts abroad are charged with the responsibility of safeguarding India's interests and promoting good relations with the countries concerned. In

discharging this responsibility, the Heads of missions and posts often submit proposals which are carefully examined by the Ministry of External Affairs. This is part of the process of continuing and confidential exchanges between the missions and posts on the one hand and Government on the other.

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड

*534. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने एक नये लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार किया है जो इस समय बनाये जाने वाले विमानों का स्थान लेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) देश में प्रतिरक्षा कार्यों के लिए विमानों की निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). भारतीय वायु सेना की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक नये सैनिक विमान को विकसित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इससे सम्बन्धित सभी समस्याओं पर विचार किया जा रहा है।

(ग) रक्षा प्रयोजनों के लिए जिन विमानों की आवश्यकता है उन्हें अपने उपलब्ध साधनों से देश में ही तेजी से बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार ने भारत में एयरोनाटिक्स के सम्पूर्ण क्षेत्र की समीक्षा करने और उपयुक्त सिफारिशें देने के लिए एक समिति बनाई है।

आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी

*535. **श्री हेमराज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, 1968 के अन्त तक कुल कितने आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवामुक्त किया जाना था तथा उनमें कितने इंजीनियर हैं और कितने डाक्टर हैं ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कितने अधिकारियों को सेवामुक्त किया जा चुका है और, श्रेणीवार कितने अधिकारियों को सेवा मुक्त किया जाना बाकी है ; और

(ग) रैगुलर सेवा में कितने इन्जीनियरों तथा डाक्टरों की कमी है और इसे कैसे पूरा किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). अक्तूबर, 1968 के अन्त तक आपाती कमीशन प्राप्त 3,389 अफसरों को सेवा से विमुक्त किया गया। इनमें से 6 इन्जीनियर और 341 मेडिकल अफसर थे। चूंकि एक स्थाई कमीशन देने के लिए आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों की जांच के दौरान उनके द्वारा किए जाने वाले कामों के

सम्बन्ध में पहले से कुछ नहीं बताया जा सकता, अतः भविष्य में सेवा से उनकी विमुक्ति के सम्बन्ध में बताना असम्भव है ।

(ग) अफसरों का अभाव इस प्रकार है :

(1) थल सेना के तकनीकी कोर में इन्जीनियर और गैर इन्जीनियर अफसर	$12\frac{1}{2}$ प्रतिशत (इंजीनियरों के संबंध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।)
(2) थल सेना मेडिकल कोर में मेडिकल अफसर	34 प्रतिशत ।

अभाव की पूर्ति के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

इंजीनियर और डाक्टरों के अभाव की पूर्ति के लिये किये गये उपाय

इंजीनियर

(1) भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून के जरिए प्रतिवर्ष बाहर से काफी बड़ी संस्था में इंजीनियरी स्नातकों को स्थाई कमीशन देना (अभी तक प्रतिवर्ष 90 स्नातक लिए जाते थे अब 200 स्नातक प्रतिवर्ष लिए जाते हैं)

(2) अफसर ट्रेनिंग स्कूल, मद्रास के जरिये (लगभग 350 प्रतिवर्ष) बाहर से इंजीनियरी स्नातकों को 5 वर्ष के लिये अल्पकालिक सर्विस कमीशन (तकनीकी) देने की योजना चलाना । इस योजना के अधीन पहला प्रशिक्षण कोर्स अक्तूबर, 1969 से आरम्भ होने की आशा है ।

टिप्पणी : तकनीकी कोर में जो ऐसे गैर-इंजीनियर अफसर हैं, जिन्हें पहले ही से स्थाई कमीशन प्राप्त है या जिन्हें अब स्थाई कमीशन दिया जाएगा, उन्हें थल सेना की प्रशिक्षण संस्थाओं में चलने वाले इन्जीनियरी डिग्री के दीर्घकालीन कोर्स में प्रशिक्षण देकर या फिर उन्हें इन्जीनियरी डिग्री कोर्स पूरा करने के लिये कुछ चुने हुए सिविल कालेजों/संस्थानों में भेज कर उन्हें इन्जीनियरी डिग्री के स्तर पर लाया जायगा ।

डाक्टर :

(1) सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पूना में वजीफा लेने वाले छात्रों को कमीशन प्रदान करना ।

(2) बाहर वालों को सीधा स्थाई कमीशन प्रदान करना ।

(3) राज्य सरकारों के डाक्टरों को थल सेना मेडिकल कोर से सम्बद्ध करना ।

(4) विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना के अन्तर्गत एम० बी० बी० एस० के अन्तिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को अल्पकालीन सर्विस कमीशन देने के लिए चुनना ।

भारतीय आणविक वैज्ञानिक

*536. **श्री समर गुह :** क्या **प्रधान मंत्री** 28 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6258 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आणविक वैज्ञानिकों की, जिन्होने स्वतन्त्र रूप से ट्राम्बे में प्लूटोनियम कारखाने का डिजाइन तैयार किया है तथा उसे बनाया है योग्यता की सराहना करने तथा उसे मान्यता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या भारतीय आणविक वैज्ञानिकों के इस कार्य की ओर सब देशों का ध्यान गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों का स्वरूप तथा तथ्य क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) कई वैज्ञानिकों, जिन्होंने ट्राम्बे के प्लूटोनियम संयंत्र का डिजाइन तैयार करने और उसकी स्थापना करने का काम किया, को उनकी योग्यतानुसार पदोन्नति देकर सम्मानित किया गया है । प्रायोजना इन्जीनियर डा० सेठना को जनवरी, 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया ।

(ख) जी हां ।

(ग) ट्राम्बे आने वाले विशिष्ट अथितियों ने भारतीय वैज्ञानिकों के अपने आप प्लूटोनियम संयंत्र स्थापित करने के कार्य की सराहना की है । देश के तकनीकी विकास तथा यहां उपलब्ध सीमित जानकारी की पृष्ठभूमि में भारतीय वैज्ञानिकों ने जो अद्वितीय कार्य किया है, विशेषतः कम समय में तथा कम लागत पर संयंत्र की स्थापना की है, उसकी विदेशों में ऐसी प्रायोजनाओं पर कार्य कर रहे वैज्ञानिकों ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सराहना की है ।

Statement of Minister of Industrial Development and Company Affairs on Industrial Relations in Kerala

*537. **Shri Ram Avtar Sharma :** **Shri Yogendra Sharma :**
Shri E. K. Nayanar : **Shri P. Gopalan :**
Shri A. K. Gopalan : **Shri C. K. Chakrapani :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether she has received any protest note from the Government of Kerala in regard to the statement made by Shri Fakhruddin Ali Ahmed, Union Minister for Industrial Development and Company Affairs to the effect that "in case no improvement is made in regard to

the labour problem in Kerala, many factories might have to be shifted from there" ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of the Kerala Government thereto and the Central Government's attitude in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). No formal protest note was received from the Kerala Government. However, the Prime Minister received a telegram from the Labour Minister of the Kerala Government complaining against Shri Fakhruddin Ali Ahmed's statements about the labour situation in the State. According to the State Minister, Shri Ahmed's observations constituted "baseless propaganda" and were constitutionally improper.

In a Press statement issued on October 9, 1968, the Union Minister clarified what he had said about the labour situation in Kerala.

The Minister's intention was to drive home the seriousness of the labour situation in the H. M. T. unit and to sound a note of caution, so that concerted and determined steps were taken to ensure that public sector enterprises, set up with considerable investments, are enabled to sustain and increase their production in the overall national interest.

विज्ञापनों का प्रसारण

*538. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री देवराव पाटिल :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के बम्बई केन्द्र पर से प्रसारित किये गये विज्ञापनों के प्रसारणों से कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है ;

(ख) क्या विज्ञापनों के प्रसारण अब कलकत्ता अथवा किसी अन्य केन्द्र से भी प्रसारित किये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उससे कितना राजस्व प्राप्त होने की आशा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कलकत्ता और मद्रास में यह प्रसारण कब आरम्भ किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) वाणिज्यिक प्रसारण सेवा के बम्बई केन्द्र को सितम्बर, 1968 को समाप्त होने वाली 11 महीनों की अवधि में 43,54,892 रुपये की आय हुई ।

(ख) वाणिज्यिक प्रसारण 15 अक्तूबर, 1968 से कलकत्ता से भी प्रसारित किये जा रहे हैं ।

(ग) बम्बई की तरह कलकत्ता में भी 75 मिनट प्रति दिन की अवधि के स्पाट विज्ञापन स्वीकार किये जाते हैं। कलकत्ता से विज्ञापनों के प्रसारण की दरें भी वही हैं जो बम्बई की हैं। कलकत्ता की सेवा से कुल 52,00,000 रुपए की आय होने की आशा है।

(घ) उम्मीद है कि यह सेवा मद्रास से निकट भविष्य में चालू हो जायेगी।

युद्ध पश्चात् पुनर्निर्माण निधि

*539. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई युद्ध पश्चात् पुनर्निर्माण निधि है ;

(ख) इस निधि का प्रयोजन क्या है ;

(ग) भूतपूर्व सैनिकों के लिये और कौन-कौन सी सरकारी पुनर्वास निधियां हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इन निधियों के बांटने के बारे में अभी तक कोई नियम नहीं बनाये गये हैं ; और

(ङ) जो समितियां इन निधियों का प्रबन्ध करती हैं, उसमें प्रतिरक्षा सेवाओं या भूतपूर्व सैनिकों के कितने प्रतिनिधि हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के जिनमें गैर लड़ाकू (भर्त्ती किये गये) सैनिक और उनके आश्रित परिवार सम्मिलित हैं, पुनर्वास के लिए निम्नलिखित निधियां बनाई हैं।

(1) युद्ध पश्चात् पुनर्निर्माण निधि, और

(2) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए विशेष निधि।

युद्ध पश्चात् पुनर्निर्माण निधि की राज्यों और संघीय प्रदेशों में अलग-अलग यूनिटें हैं और एक केन्द्रीय यूनिट है। इस निधि का प्रयोजन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद प्रतिरक्षा सेवाओं में जवानों या गैर लड़ाकू सैनिकों के रूप में काम करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के हित में और उनके आश्रितों तथा उनके परिवारों की भावी पीढ़ियों के हित में योजनाएं बनाना है।

(घ) इन सब निधियों की प्रबन्ध और प्रशासन व्यवस्था के लिये नियम बने हुये हैं।

(ङ) युद्ध पश्चात् पुनर्निर्माण निधि

राज्य/संघीय प्रदेश की प्रत्येक यूनिट की प्रबन्ध समिति में कम से कम एक सैनिक अफसर होता है जो सेनाध्यक्ष समिति द्वारा मनोनीत होता है। राज्यपाल प्रशासक तीन और सदस्य मनोनीत कर सकता है लेकिन किसी भी स्थिति में वे भूतपूर्व सैनिक ही हो सकते हैं। केन्द्रीय यूनिट की प्रबन्ध समिति में 5 सैनिक अफसर होते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए विशेष निधि

केन्द्रीय प्रबन्ध समिति में 4 सनिक अफसर और 2 भतपूर्व सैनिक अफसर होते हैं । राज्य/संघीय प्रदेश की प्रत्येक समिति में एक सैनिक अफसर और 2 भतपूर्व सैनिक अफसर होते हैं ।

Ladakhi Cultural Programmes in A. I. R.

*540. **Shri Kushak Bakula :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether such programmes have ever been broadcast from the Delhi Station of AIR giving a good and comprehensive account of cultural and social activities and customs, dances, marriage ceremony, tea ceremony, auspicious and granded gompas of Ladakhi people with a view to create emotional integration and harmony between this region and the remaining parts of the country ; and

(b) is so, the details of these programmes ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement of the Ladakhi cultural programmes broadcast from AIR, Delhi since July, 1963, is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2502/68]**

विदेशों में भारतीय फिल्में बनाना

3180 **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 तथा वर्ष 1968 में अक्तूबर, के अन्त तक विदेशों से भारतीय फिल्मों के बनाने पर, जिसमें इस सम्बन्ध में फिल्म निर्देशकों, निर्माताओं, अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की विदेश यात्रायें भी शामिल हैं, कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में फिल्म उद्योग से सम्बन्धित जिन-जिन व्यक्तियों ने विदेशों की यात्राएं की, उनके नाम तथा पते क्या हैं ;

(ग) उपरोक्त अवधि में भारतीय फिल्मों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई तथा उन फिल्मों के नाम क्या हैं ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय फिल्म निर्माता अपनी फिल्में बनाने के मामले में विदेशी स्थानों के बजाए भारतीय स्थानों को चुनें जिससे विदेशी मुद्रा के खर्च को कम से कम किया जा सके, क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

Hill Districts of U. P.

3181. **Shri J. B. S. Bist:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Government propose to take steps to remove the economic, social and industrial backwardness of all the eight Hill Districts of U. P.;

(b) if so, the nature thereof;

(c) whether Government propose to allocate some special grant for the development of these Districts during the Fourth Five Year Plan; and

(d) if so, the import projects for which Government propose to make a provision?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (d). There is already a separate development Plan for the three Hill Districts constituting the Uttara-Khand Division. A similar plan will also be formulated by the State Government for the Fourth Plan period. As for the remaining Hill Districts, their special needs are being kept in view in formulating the Fourth Plan proposals which have yet to be finalised. Central assistance, which will relate to the State Plan as a whole, will naturally take these needs into account.

पाकिस्तानियों को भारतीय बंदरगाहों में समुद्र तट पर आने की अनुमति

3182. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को पाकिस्तान के अस्थायी परमिट प्राप्त करके समुद्र तट, बंबई, कलकत्ता, मद्रास आदि बंदरगाह, शहरों में तथा इन बंदरगाहों में खड़े अन्य जहाजों में जाने की अनुमति है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष बंदरगाह वार अस्थायी परमिटों से ऐसे कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत भूमि में आये ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं, सितम्बर 1968 से पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को तब तक भारतीय बन्दरगाहों पर नहीं जाने दिया जाता जब तक उनके पास वैध भारतीय वीजा न हो।

(ख) 1967 के दौरान अस्थायी परमिट के आधार पर जितने पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को भारत के बन्दरगाहों पर उतरने की इजाजत दी गयी थी उनकी संख्या इस प्रकार है :

(1) बंबई बन्दरगाह	860
(2) मद्रास बन्दरगाह	33
(3) विशाखपत्तनम बन्दरगाह	141

कलकत्ता बन्दरगाह की सूचना की प्रतीक्षा है और मिलते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

भारतीय सेना की वर्दी में पाकिस्तानी घुसपैठिये तथा नागा विद्रोही

3183. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना की वर्दी पहने हुए सैंकड़ों पाकिस्तानी घुसपैठिये काश्मीर सीमा में देखे गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से विद्रोही नागा भारतीय सेना की वर्दी पहने हुये पकड़े गये हैं और यदि हां, तो इस प्रकार पकड़े गये नागाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये पूछताछ आरम्भ कर दी है कि भारत से एक लाख से अधिक सैनिक वर्दियां किस प्रकार बाहर ले जायी गयीं तथा यह कार्य किन अपराधियों ने किया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :(क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 13 नवम्बर, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 449 के उत्तर में जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सरकार को वर्दियों की कथित तस्करी के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी में ड्राफ्ट्समैन तथा ट्रेसरों के खाली पद

3184. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 5 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1426 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में ड्राफ्ट्समैनों तथा ट्रेसरों के कितने पद अब भी रिक्त पड़े हैं;

(ख) स्थायी पदों के रिक्त रखने के कारण क्या हैं;

(ग) इन पदों को भरने के लिये अब तक कुल कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन पदों को न भरे जाने के कारण इस विभाग के प्रशिक्षित तथा योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को हानि हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो यह पद भरने के लिये निकट भविष्य में क्या कार्यवाही किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) आकाशवाणी में ड्राफ्ट्समेन ग्रेड 1 तथा ग्रेड 2 का एक-एक पद तथा ट्रेसरों के 6 पद अभी भी खाली पड़े हैं ।

(ख) ये पद इसलिये खाली पड़े हुए हैं क्योंकि तृतीय श्रेणी के पदों (ड्राफ्ट्समेन तथा ट्रेसरों को मिलाकर तथा इंजीनियरी सहायता को छोड़कर) की स्वीकृत संख्या के बारे में पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(ग) 11

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पुनरीक्षण के बाद यदि जरूरी हुआ तो ये भरे जायेंगे। यदि कोई असुविधा है तो वह अपरिहार्य है।

आकाशवाणी में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा कार्य करने का समय

3185. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 21 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1497 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के तृतीय श्रेणी (तकनीकी) के कर्मचारियों के पारी में कार्य करने का समय इस बीच में अन्तिम रूप से निर्धारित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका मोटा व्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, तथा इसको अन्तिमरूप देने में कितना समय लगने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) मामला वित्त मंत्रालय की सलाह से विचाराधीन है। यह बताना संभव नहीं है कि अंतिम निर्णय ठीक कब लिया जाएगा। निर्णय यथाशीघ्र लेने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

आकाशवाणी सम्बन्धी आन्तरिक समिति

3186. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 13 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 154 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र निर्णय करने के लिये कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय और लगने की संभावना है; और

(ग) आधुनिकतम स्थिति क्या है तथा इसका व्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) जी, नहीं।

(ख) आन्तरिक समिति की सिफारिशें आकाशवाणी के तृतीय श्रेणी के तकनीकी पदों के विभिन्न वर्गों से सम्बन्ध रखती हैं और इन पर बारीकी से छानबीन की आवश्यकता है ताकि

सरकार तथा आकाशवाणी के तृतीय श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों, दोनों के ही दृष्टिकोण मिल सकें।

(ग) मामले पर अभी विचार हो रहा है। यह बताना सम्भव नहीं होगा कि अन्तिम निर्णय लेने में ठीक-ठीक कितना समय लगेगा। जितना जल्दी सम्भव हो सके निर्णय लेने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विदेशी दूतावासों द्वारा जारी किये गये प्रकाशन

3187. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 13 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 417 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा जारी किये गये इन प्रकाशनों को जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, कोई डाक रियायत दी जाती है, जो भारतीय रजिस्टर्ड प्रकाशनों को दी जाती हैं;

(ख) इन प्रकाशनों में लिखित विदेशी प्रचार का हमारे लोगों पर क्या संभाव्य प्रभाव पड़ता है;

(ग) विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों द्वारा किन-किन देशों में ऐसे प्रकाशन प्रकाशित किये जाते हैं तथा उन प्रकाशनों के नाम क्या हैं और प्रत्येक प्रकाशन की अनुमानतः कितनी-कितनी प्रतियां परिचालित की जाती हैं;

(घ) यदि हम कोई सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित नहीं करते, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या हमें पाकिस्तान में ऐसी पत्रिकाएं बांटने की अनुमति प्राप्त है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) अगर उन पर कोई असर हुआ है तो सरकार की नजर में कितना—यह बताना, दुर्भाग्य से न तो सम्भव ही है और न उचित ही।

(ग) एक सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 2506/68]

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने हमारे मिशनों को भारतीय पत्रिकाएं प्रचारित करने से रोक दिया है और सिर्फ मिशन के अधिकारिक बुलेटिनों के वितरण की ही अनुमति दी है।

त्रिपुरा में प्रति व्यक्ति आय

3188. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में इस समय प्रति व्यकि आय कितनी है, गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में से प्रत्येक में यह आय कितनी बढ़ी है; तथा प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के आरंभ में तथा अन्त में अखिल भारतीय आंकड़ों से इसकी कैसे तुलना की जा सकती है;

(ख) त्रिपुरा में योजनाबद्ध विकास द्वारा गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्येक योजना अवधि में औसतन वार्षिक विकास कितना हुआ है तथा इन योजनाओं की अवधि में इस संघ राज्य क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास कार्यों पर किये गये खर्च की वार्षिक औसत क्या है तथा ये आंकड़े अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं; और

(ग) गत 16 वर्षों के योजनाबद्ध विकास की अवधि में किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई है तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितनी-कितनी कमी हुई है और इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). संघीय शासित क्षेत्र त्रिपुरा के बारे में प्रति व्यक्ति आय के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। राज्यों तथा संघीय शासित क्षेत्रों ने विश्वसनीय तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं किये हैं।

सभी राज्यों तथा संघीय शासित क्षेत्रों को मिलाकर, संघीय शासित क्षेत्र त्रिपुरा के साथ प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय के तुलनात्मक आंकड़े पीछे दर्शाये गये हैं। इनसे विदित होगा कि पिछली दो योजना अवधियों में अखिल भारतीय औसत के अनुपात में त्रिपुरा को कहीं ज्यादा प्रति व्यक्ति योजना आवंटन दिया गया :

	सभी राज्यों तथा संघीय शासित क्षेत्रों को साथ मिलाकर	त्रिपुरा
पहली योजना	40	25
दूसरी योजना	54	82
तीसरी योजना	100	146

Manufacture of Submarines and Aircraft Carriers and Warships During Fourth Plan

3189. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a dead-lock has been created in the development of Navy and it would not be possible to manufacture submarines, aircraft carriers and warships in the country even during the Fourth Plan period ; and

(b) if so, the measures being taken by Government to remove the dead-lock ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). No deadlock has been created in the development of Navy.

Warships including Frigates, Minesweepers, Seaward Defence Boats and Landing Craft are already being constructed in the country, in addition to Fleet Tugs.

त्रिपुरा पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं का सीमांकन

3190 **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 8 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10139 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं पर अभी भी किसी ऐसे क्षेत्र का सीमांकन होना बाकी है, जिसके बारे में भारत तथा पाकिस्तान के बीच विवाद है;

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन से हैं तथा विवाद को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) त्रिपुरा तथा पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं के सीमांकन कार्य में अब तक और कितनी प्रगति हुई है तथा जिस सीमा का अभी सीमांकन होना शेष है उसकी निश्चित लम्बाई कितनी है तथा अन्य ब्योरा क्या है; और

(घ) इस दिशा में और क्या अग्रेतर कार्यवाही की जानी है तथा सीमांकन कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). इस समय ज्ञात विवाद निम्नलिखित हैं :

(i) फेनी नदी के साथ की सीमा और इसके ऊपरी भाग ।

(ii) भागलपुर में रेलवे लाइन के साथ की जमीन का निर्णय जिसके बारे में सितम्बर, 1958 में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों में यह सहमति हुई थी कि वह सतत अधिकार में पाकिस्तान को दे दी जायेगी ।

(iii) शिवपुर और गौरांगला आंवों में एक छोटा सा इलाका है ।

ऐसी उम्मीद की जाती है कि इनमें से यथासंभव विवाद सीमांकन के दौरान सुलझ जायेंगे । जहां तक दूसरों का प्रश्न है खासकर ऊपर मद संख्या एक में बताये गए विवाद का पाकिस्तानी पक्ष से यह कहा गया है कि वह अक्तूबर, 1959 में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुए निर्णयों के अनुसार कतिपय अभिलेख हमें दे ।

(ग) त्रिपुरा पूर्व पाकिस्तान सीमा की कुल लम्बाई लगभग 550 मील है जो तीन क्षेत्रों

में विभक्त है। इसमें से 227 मील की लम्बाई में सीमा स्तंभ खड़े कर दिये गये हैं जितनी सीमा में अभी सीमांकन होना बाकी है, उसका क्षेत्रवार विवरण नीचे लिखे अनुसार है :

	*सीमा की अनुमानित लंबाई	जितनी सीमा में सीमा स्तंभ खड़े किये जा चुके हैं
(i) त्रिपुरा-सिलहट	188 मील	41 मील
(ii) त्रिपुरा को मिला नाआखाली	206 मील	186 मील
(iii) त्रिपुरा-चटगांव चटगांव हिल ट्रैक्ट्स	156 मील	अभी शुरू नहीं किया गया है।

(घ) इस काम को यथाशीघ्र पूरा करवाने के लिये दोनों पक्षों में भू-अभिलेख विदेशकों की समय-समय पर बराबर बैठकें हो रही हैं।

Land for Ex-Servicemen in Indore District

3191. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a final decision has been taken in regard to the allotment of land to ex-servicemen under the State House-building Scheme in Indore Division, Madhya Pradesh ; and

(b) if not, the stage at which the matter stands at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) and (b). Information is being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the House when received.

Advertisements Given to Urdu and Hindi Papers

3192. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of Urdu dailies and weeklies published in Madhya Pradesh and included in Government's approved list and the value of advertisements being given to each of them per month ;

(b) the number of Hindi dailies and weeklies included in Government's approved list and the income per month of each of them from advertisements ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) and (b). The Directorate of Advertising and Visual Publicity maintains a record of media particulars of all the newspapers and periodicals which seek Governments advertisement. This information is utilised in selecting newspapers for the release of specific advertisements.

*इस क्षेत्र की ठीक-ठीक लम्बाई तभी मालूम होगी जब सीमांकन पूरा हो जाय।

The following Hindi and Urdu dailies and weeklies, published from Madhya Pradesh were used for Government advertisements during 1967-68 :

	Hindi	Urdu
Dailies	25	2
Weeklies	7	—

Information regarding the details of advertisements released to individual newspapers and the amounts paid to them is treated confidential between the Directorate of Advertising and Visual Publicity and the individual papers. It would not be good business ethics to divulge this information unilaterally without the prior consent of the papers concerned.

A. I. R. Station in Rewa Division of Madhya Pradesh

3193. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any final decision has been taken by Government in regard to the location of AIR Station in Rewa Division of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons for the delay ; and

(d) when a decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of Information and Broadeasting (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). The proposal forms part of the Draft 4th Five Year Plan of the All India Radio, which has yet to be finalised.

गोविन्द वल्लभ पन्त पालिटेक्निक, नई दिल्ली के राष्ट्रीय छात्र सेवा दल के छात्र सैनिक

3194. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 सितम्बर, 1968 को गोविन्द वल्लभ पन्त पोलिटैक्निक, ओखला, नई दिल्ली के लगभग 70 छात्र सैनिकों को ले जाने वाला राष्ट्रीय छात्र सेना दल का एक ट्रक मूल चन्द खैराती राम अस्पताल, लाजपत नगर, नई दिल्ली के मोड़ पर उलट गया था, जिससे कई छात्र सैनिक घायल हो गये, जिनमें से कुछ को गम्भीर चोटें आईं;

(ख) क्या कालेज के विद्यार्थियों की मांग पर इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिये एक जांच न्यायालय स्थापित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 4 दिल्ली ई एम ई कम्पनी, एन सी सी के 32 कैडेटों को लेकर एन सी सी की एक 3 टन लॉरी

21 सितम्बर, 1968 को मूलचन्द खैराती राम अस्पताल के पास उलट गयी थी। जिन कुछ कैडिटों को मामूली चोट आई थी कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया। दो कैडेटों को छोड़कर सभी को उसी दिन अस्पताल से छोड़ दिया गया। उन दो कैडेटों में से एक को 22 सितम्बर, 1968 को छोड़ा गया और दूसरे को डाक्टरी जांच के लिए वहीं रखा गया तथा 27 सितम्बर, 1968 को उसे भी छोड़ दिया गया।

(ख) तथा (ग). एन सी सी ग्रुप कमांडर ने इस घटना की जांच अदालत के लिए आदेश दिया था। सरकार उस जांच अदालत की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

राजनीतिक दलों द्वारा पत्रिकाओं का प्रकाशन

3195. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा कितनी पत्रिकाएं (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक इत्यादि) प्रकाशित की जाती हैं;

(ख) उनकी अलग-अलग आस्तियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इन पत्रिकाओं को किसी प्रकार की कोई सहायता देती है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 66

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसी पत्रिकाओं से आर्थिक सहायता देना सरकार की नीति नहीं है। उनको सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार अखबारी कागज अलाट किया जाता है और यदि वे उस सौदों को पूरा करते हैं जो विज्ञापन देने के लिये निश्चित हैं, तो वे विज्ञापनों को प्राप्त करने के पात्र हैं।

पश्चिम बंगाल में प्रदर्शित विदेशी फिल्में

3196. **श्री जुगल मंडल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 28 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6312 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में प्रदर्शित विदेशी फिल्मों के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्योरा परिशिष्ट 1 में दिया गया है । 1 जनवरी, 1968 से 31 जुलाई, 1968 तक के दौरान केन्द्रीय फिल्म सेंटर बोर्ड ने जिन फीचर फिल्मों को प्रमाणित नहीं किया उनकी सूची भी परिशिष्ट 2 में दी हुई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 2507/68]

सूचना सेवा के अधिकारियों का भारतीय विदेश सेवा में अन्तर्लयन

3197. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार उनके मंत्रालय के सूचना सेवा के अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा के संवर्ग में शामिल करने का है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय विदेश सेवा संवर्ग में इन सूचना अधिकारियों के लिये कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं ; और

(ग) इस प्रकार के अन्तर्लयन के लिये चयन की प्रणाली क्या होगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क)जी, हां, बशर्ते कि वे इसके योग्य और उपयुक्त हों ।

(ख) भारतीय विदेश सेवा संवर्ग पदों के अधिकतम 6 प्रतिशत तक, जैसा कि सांविधिक नियमों के अनुसार तय किया गया है ।

(ग) गोपनीय रिपोर्ट का मूल्यांकन तथा प्रवर-समिति द्वारा साक्षात्कार ।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ व्यापार

3198. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री अदिचन :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली दशाब्दि की तुलना में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ आयात और निर्यात की दृष्टि से हमारे व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है और भविष्य में इसकी सम्भावनाएं क्या हैं ;

(ख) क्या जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य ने भारत के राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल रवैया अपनाया है ;

(ग) क्या जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य, और उसके अपने

क्षेत्र पर उसका अबाध नियंत्रण और प्रभावशाली प्राधिकार को सरकार स्वीकार करती है ; और

(घ) यदि हां, तो उस देश की सरकार के साथ राजनयिक सम्बन्ध न रखने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) 1960 और 1967 के बीच जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आयात 105 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ा है (2 करोड़ 60 लाख रुपये से 21 करोड़ 90 लाख रुपए) और इसी अवधि में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को किए जाने वाले निर्यात में 57.14 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है (3 करोड़ 90 लाख से 19 करोड़ 80 लाख) । जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमें पूंजीगत सामान मशीनरी, मशीनी औजार, रासायनिक पदार्थ और उर्वरक भेजता है और हम जो सामान वहां भेजते हैं उसमें न सिर्फ परम्परागत चीजें ही आती है बल्कि इन्जीनियरी, रासायनिक और उपभोक्ता सामग्री भी शामिल है जिसका अनुपात निरंतर बढ़ रहा है । दोनों देशों के बीच भावी व्यापार के भी अच्छे आसार हैं ।

(ग) और (घ). जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ संबंधों की प्रकृति और सीमा के बारे में सरकार की नीति, और इसे मान्यता प्रदान करने के बारे में सदन में कई बार बताया जा चुका है । इस बारे में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

पूर्वी पाकिस्तान में रविन्द्रनाथ टैगोर के अवशेष

3199. **श्री समर गुह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान में रवीन्द्रनाथ टैगोर के अवशेषों को सुरक्षित रखने के बारे में सरकार को पूर्वी पाकिस्तान की सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) पूर्व पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि कवीन्द्र रवीन्द्र के शाहजादपुर-स्थित घर 'काचारीबाड़ी' की पहली मंजिल का इस्तेमाल डाक बंगले के रूप में, उनके अध्ययन कक्ष का इस्तेमाल सार्वजनिक पेशाबघर के रूप में किए जाने से संबद्ध आरोप और फर्नीचर, कलाकृतियों और दूसरी चीजों के टूटने, खो जाने से संबद्ध आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है । उनका कहना है कि इस इमारत की, पुस्तकालय की तथा इसके फर्नीचर और दूसरी चीजों की उचित देखभाल और हिफाजत की जा रही है ।

Border Violation by Chinese

3200. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Chinese high military official violated the Indian border

near Jalepla in August, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that large sums of Chinese currency and some watches were seized from him ; and

(c) if so, the action taken by Government against him ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). It would not be in the public interest to disclose the information.

Border Violations by Pakistan

3201. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of times Pakistan and China have violated Indian sea, land and air borders since the 1st August, 1968 uptil now ;

(b) the number of Pakistani and Chinese citizens, who violated the borders and were arrested on the charge of aforesaid offence during the above period and the action taken by Government against them ;

(c) the number of military officers and soldiers of Pakistan and China out of them ; and

(d) the number of vehicles crossing the border, impounded by Government and the number of persons and vehicles returned to Pakistan and China during the aforesaid period ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d). A statement is given below.

Statement

Violations of the Border by Pakistan and China From 1st August, 1968 to 30th November, 1968

Violations committed by Pakistani and Chinese armed forces			Intruders who were apprehended for trespass	Number of vehicles which crossed the border and were impounded
Land	**Air**	**Sea**		
19	7	Nil	975* (includes 2 POK soldiers)	Nil
1			2	3

Naga Camps in Desoi Valley

3202. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that rebel Nagas have set up a new camp in Desoi Valley in Sib-Sagar District of Assam in August and September, 1968 ;

*Appropriate action has been taken against the intruders who were apprehended.

(b) whether it is also a fact that the rebel Nagas are in possession of automatic arms as well as 3" rockets received from Pakistan, China, U. K. and certain other countries ;

(c) if so, whether Government are treating this act of setting up such a camp by Nagas a violation of the agreement concluded with them ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). Government have information about the existence of some camps of Underground Nagas in Desoi Valley Reserve Forest area, including one located between THAKUTHA and POBOKOTO villages which was set up in August, 1968. The Underground are reported to be in possession of some automatic weapons but there is no information about their being in possession of rockets.

(c) and (d). The agreement on suspension of operations does not cover areas in Assam. One of the camps was raided by our Security Forces but was found un-occupied. A close watch is being maintained to prevent their committing any unlawful activities in the area.

केन्द्रीय वित्त उपमंत्री के विरुद्ध आरोप

3203. **श्री हेम बरुआ :**

श्री स० अ० अगाड़ी :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान विधान सभा में केन्द्रीय वित्त उपमंत्री के विरुद्ध लगाये गये इस आरोप की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि उन्होंने भरतपुर जिले में भुसावल ग्राम में एक भूभाग पर अनधिकृत कब्जा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आरोप के बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार, आरोप निराधार पाया गया ।

विदेशों में भारतीय दूतावासों में विदेश सेवा निरीक्षकों की सिफारिशें

3204. **श्री कामेश्वर सिंह :**

श्री क० लकप्पा :

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 6 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3029 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय दूतावासों में विदेश सेवा निरीक्षकों की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी, हां । अन्य बातों के साथ, विदेश सेवा के निरीक्षकों ने भारतीय हाई कमीशन लंदन में, कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने और कार्य को युक्ति संगत बनाने की सिफारिश की थी । जिन 253 पदों की कटौती करने की सिफारिश की गयी थी, उनमें से 143 पदों को अब तक समाप्त कर दिया गया है । शेष पदों में से अधिकांश दूसरे मंत्रालयों / विभागों के क्षेत्राधिकार में हैं और उनकी छानबीन संबंधित मंत्रालयों / विभागों द्वारा की जा रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय विद्यार्थियों के लिये कार्य

3205. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को वहां के भारतीय विद्यार्थियों से यह पेशकश नियमित रूप से मिलती रहती है कि वे अवकाश के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने को तैयार हैं ;

(ख) यदि हां, तो दूतावास के द्वारा कितने विद्यार्थियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य उपलब्ध कराया गया है ; और

(ग) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

एयर आफिसर्स कमाण्डिग इन चीफ का सम्मेलन

3206. **श्री रवि राय** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 सितम्बर, 1968 को नई दिल्ली में एयर हेड क्वार्टर के प्रिंसिपल स्टाफ अफसरों के लिये पांच एयर पोर्स कमानों के एयर आफिसर्स कमांडिग-इन-चीफ का तीन दिन का सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री(श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी हां।

(ख) वायुसेना की संक्रियाओं, प्रशासन, आरक्षण, आदि से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए सम्मेलन हुआ था।

Visit of Head of Bohra Community to Tanzania

3207. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had issued any direction to the Indian High Commissioner in Tanzania to receive Shri Sayeedana Burhanuddin Saheb, the religious Head of Bohra Community, at the Airport and to take him round Tanzania in the car of the High Commission during his visit to Tanzania in August, 1968 ; and

(b) if not, the reasons for the action taken by the High Commission as mentioned in part (a) above and the action proposed to be taken by Government in that connection ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) The High Commissioner received His Holiness Sayeedana Burhanuddin at the airport at the request of the leaders of Bohra Community. There is also no bar to a Head of Mission to take with himself any person in his official car at his discretion. These are small courtesies which are normally expected from our representatives abroad. Therefore, the question of Government taking any action in this matter does not arise.

सान्ताक्रुज में भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना

3208. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 सितम्बर, 1968 को भारतीय वायु सेना का एक विमान सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्योरा क्या है और इसमें कितने व्यक्ति मारे गये थे ; और

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच का आदेश दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) विमान जब हवाई अड्डे में उतरने के लिए पास आया तो इंजन पर आग लग गई। विमान दौड़ पथ के कम होने के कारण उतरते हुए क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई।

(ग) जी हां।

Shortage of Thorium

3209. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that shortage of Thorium, which is used as fuel in Atomic Power Stations, is hindering the establishment on a large scale, whereas Thorium is available free of cost to Government from Alwaye factory ; and

(b) if so, the difficulties in the way of developing such a factory so as to fulfil future demand of Thorium for Atomic Power Stations ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir. Thorium has to be extracted from mineral sands and is not available free of cost.

(b) Does not arise.

Per Capita Income in U. P.

3210. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that although the All India figures showing per capita income have increased from Rs. 275/- in 1950-51 to Rs. 313/- in 1966-67 ; per capita income in Uttar Pradesh has gone down ;

(b) whether it is also a fact that the share of Uttar Pradesh in National Income has decreased from 15.17 per cent to only 12.9 per cent during the above period ; and

(c) if so, the special schemes being launched by the Central Government for the industrial development in Uttar Pradesh and the financial provisions being made by Government in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). Comparable estimates of income for the different States are not available.

(c) Attention is invited to reply given to Starred Question No. 61 on November 13, 1968.

Exchange of News with Novosti

3211. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether a Russian News Agency, 'Novosti', cirulates in full the news material received from the P. I. B. of India to the Russian Newspapers ; and

(b) the percentage of such news material published in the U. S. S. R. so far and the percentage of Russian news material published in India ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The Press Information Bureau--Novosti agreement provides for the exchange of feature articles, background material and photographs, not of news. According to information available, Novosti has translated, duplicated and circulated to the Soviet Press some of the material supplied by Press Information Bureau, not all of it. The agreement does not stipulate that Novosti will circulate all the material.

(b) Novosti has informed Press Information Bureau that it is regularly including the material supplied by Press Information Bureau in the International Information Bulletin, circulated by Novosti to Soviet newspapers. Novosti has also offered to send a list of published articles and press clippings. It may be possible to calculate the percentage of Press Information Bureau material published in Russia when these are received. As regards the percentage of Russian news material published in India, Press Information Bureau does not circulate the material received from Novosti or any other Soviet agency, and therefore the information asked for is not available with Government.

Foreign Influence on Journalism in India

3212. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that efforts are made through foreign capital to influence the field of Journalism in India ; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b). Reports to this effect have come to the notice of the Government and the matter is under enquiry.

Amendment of Cantonment Act

3213. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 748 on the 28th August, 1968 and state :

(a) when comprehensive amendments in the Cantonment Act, 1924, would be made ; and

(b) the broad outlines thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Comprehensive amendments to the Cantonments Act, 1924 are under consideration and a Bill incorporating the amendments is proposed to be introduced in Parliament as soon as feasible. It is not possible to indicate the date by which the Bill will be introduced.

(b) Proposed amendments to the Cantonments Act, 1924 envisage **inter alia**—

(1) Introduction of free and compulsory primary education in accordance with the directive principles of State policy ;

(2) Giving of statutory effect to executive orders already issued in regard to democratisation of Cantonments ;

(3) Further democratisation of Cantonment administration consistent with the nature of Cantonments as Military Stations ;

(4) Rectification of defects in certain provisions of the Act brought out in judicial pronouncements ; and

(5) Removal of difficulties experienced in the administration of the Act.

विदेशों में पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार को निष्प्रभावी बनाना

3214. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा किये गये प्रचार से विश्व के बहुत से देशों में फैली हुई गलतफहमियां उन्हें सही तथ्य बताकर दूर कर दी गई हैं;

(ख) क्या कारण है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा प्रोत्साहित किये गये सांस्कृतिक एवं अध्ययन दौरों के रूप में संसद् सदस्यों तथा अन्य प्रसिद्ध लोगों की सद्भावना यात्राओं को या तो समाप्त कर दिया गया है या उन्हें घटा कर बिल्कुल नगण्य कर दिया गया है; और

(ग) क्या पाकिस्तान द्वारा किये गये भारत विरोधी प्रचार का खण्डन करने के लिये और विवादास्पद विषयों पर भारत के दृष्टिकोण का प्रचार करने का काम अब भी जारी है और यदि हां, तो किस तरीके से ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है और काफी हद तक उसे सफलता भी मिली है ।

(ख) संसद् सदस्यों के प्रतिनिधि मंडलों का गठन दोनों सदनों के अधिष्ठाताओं के निर्देश से किया जाता है और जब आवश्यकता होगी, निस्संदेह उनकी सलाह ली जाएगी ।

(ग) जी हां । भारत सरकार ने पाकिस्तान के झूठे आरोपों और तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने का प्रतिकार करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं; इसके लिए उसने विदेशी सरकारों को और सूचना के माध्यमों को तथ्यों से अवगत करवाया है, भारत में विदेशी मिशनों को और संवाददाताओं को समुचित रूप से समझाया है और राजनयिक प्रथा और व्यवहार के अनुसार विदेशों में भारतीय मिशनों को प्रचार के जो सूत्र सुलभ हुए हैं, उनका इस्तेमाल किया है ।

उड़ीसा में दुर्लभ परमाणु खनिज

3215. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गोपालपुर क्षेत्र में प्राप्त हुए दुर्लभ परमाणु खनिजों का प्रयोग करने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या अब तक संपूर्ण और सविस्तार सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो दुर्लभ परमाणु खनिजों का पता लगाने के लिये उड़ीसा में अब तक किये गये सविस्तार सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधानमंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). जैसा कि लोक-सभा में 21 फरवरी, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1442 के उत्तर में बताया गया था, उड़ीसा में खनिज पदार्थों का नियमित सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण की समाप्ति पर उसका मूल्यांकन करने के बाद इस क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों को उपयोग में लाने से सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी।

गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड

3216. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गार्डन रीच वर्कशाप की स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना के उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या थे;

(ख) क्या कारखाने की स्थापना और उसके उत्पादन और विकास के लक्ष्य परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो कब और कैसे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस वर्कशाप की स्थापना में कोई विदेशी सहयोग शामिल था और यदि हां, तो सहयोगकर्ता देशों के क्या नाम थे और कितनी विदेशी मुद्रा सहायता के रूप में प्राप्त हुई;

(घ) यह वर्कशाप इस समय किस चीज का और कितना उत्पादन कर रही है और क्या वे उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े क्या हैं और इसमें से कितने माल का निर्यात किया जाता है; और

(च) क्या वर्कशाप को इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) गार्डन रीच वर्कशॉप्स 1890 में स्थापित हुआ था। इसे एक ब्रिटिश नौवहन कम्पनी समूह ने एक मरम्मत कारखाने (यार्ड) के रूप में स्थापित किया था और जिसे 1934 में एक लिमिटेड कम्पनी का

रूप दिया गया। इस कम्पनी को अप्रैल, 1960 में सरकार द्वारा एक चालू फर्म के रूप में खरीद लिया गया।

(ख) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(घ) इस कम्पनी में उत्पादन सम्बन्धी निम्नलिखित कार्य होता है :—

(एक) समुद्र में जाने वाले जहाजों तथा अन्तर्देशीय जल पोतों की मरम्मत।

(दो) अन्तर्देशीय, पत्तन तथा तटीय पोत-निर्माण।

(तीन) ई० ओ० टी० क्रेन्स, डीपबैल टर्बाइन वाटर पम्प्स, खान कर्षण मशीनें (माइन हॉलेजेज), सड़क कूटने की मशीनें, एयर कम्प्रैसर्स का निर्माण।

(चार) इंजीनियरिंग सम्बन्धी सामान्य काम।

(पांच) यह कम्पनी जहाजों के डीजल इञ्जन बनाने के लिये एक कारखाना भी खोल रही है।

वर्ष 1967-68 में प्रत्येक शाखा के उत्पादन का मूल्य इस प्रकार था :—

	रुपये लाखों में
नव निर्माण	250.21
जहाजों की मरम्मत	211.38
क्रेन्स	27.60
सड़क कूटने की मशीनें	कुछ नहीं
एयर कम्प्रैसर्स	11.00
गहन कूप टर्बाइन पम्प्स	70.37
हॉलेजेज/हॉइस्ट्स	9.04
जनरल इंजीनियरिंग	51.15

ये उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक के हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में उत्पादन मूल्य तथा विक्री इस प्रकार रही है :—

	रुपये लाखों में		
	1965-66	1966-67	1967-68
उत्पादन का मूल्य	365.44	481.74	628.56
विक्री	319.89	369.79	656.25

इन वर्षों में इस कम्पनी ने अपने किन्ही उत्पादों का निर्यात नहीं किया लेकिन विदेशी जहाजों की मरम्मत करके विदेशी मुद्रा कमाई जिसका ब्योरा इस प्रकार है :—

1965-66	7.76	लाख रुपये
1966-67	13.38	,, ,,
1967-68	3.47	,, ,,

(च) ऐसी किसी कम्पनी में जो दैनिक समस्याएं होती हैं उनके अलावा और कोई भी विशेष कठिनाइयां नहीं हैं ।

प्रागा टूल्स लिमिटेड

3217. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रागा टूल्स लिमिटेड की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1968 को अधिकृत और चुकता पूंजी कितनी-कितनी थी;

(ख) इस कम्पनी ने 31-3-1968 को केन्द्रीय सरकार, बैंकों अथवा अन्य फर्मों का पृथक-पृथक कितना ऋण देना था;

(ग) पिछले तीन वर्षों में ब्याज के रूप में इस कम्पनी ने कितनी धन राशि का भुगतान किया है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के कार्य के क्या परिणाम निकले हैं, कितना लाभ हुआ है और यदि हानि हुई है, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं और वर्ष 1968-69 के बारे में क्या अनुमान है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) प्रागा टूल्स लिमिटेड को, पहले पहल 28-5-1943 को निजी क्षेत्र में एक ज्वाइंट स्टाक कम्पनी के रूप में समाविष्ट किया गया था । 31-10-1944 को (वार्षिक लेखा के प्रथम वर्ष की अन्तिम तिथि) और 31-3-1968 को इस कम्पनी की अधिकृत और चुकता पूंजी इस प्रकार थी :—

(लाख रुपयों में)

	31-10-1944 को	31-3-1968 को
1. अधिकृत पूंजी	100.00	300.00
2. चुकता पूंजी	23.82	245.54

(ख) 31-3-1968 को कम्पनी के पास ऋण की राशि इस प्रकार थी :—

(1) केन्द्रीय सरकार से ऋण	174.72
(2) बैंक के पास नकद उधार व्यवस्था	60.49
(3) फ्रांस की ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत आस्थगित शर्तों पर माल की सप्लाई के लिए	28.00

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कम्पनी ने ब्याज के रूप में निम्नलिखित धनराशि की अदायगी की :—

(लाख रुपयों में)

	1965-66	1966-67	1967-68
(1) भारत सरकार के ऋण पर व्यय ब्याज	6.99	9.17	9.78
(2) बैंक के नगद उधार लेखा पर ब्याज	4.33	5.66	6.65

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी के काम के निम्नलिखित परिणाम थे :—

(लाख रुपयों में)

	1965-66	1966-67	1967-68
(1) लाभ	3.48	—	—
(2) हानि	—	22.01	11.81

गत तीन वर्षों में हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :—

(1) मशीनी उपकरणों की कम बिक्री ।

(2) विभिन्न प्रकार के ढलाई वस्तुओं का अभाव ।

(3) श्रमिकों की ओर से असहयोग और उनके द्वारा जान-बूझ कर उत्पादन की गति में कमी ।

1968-69 के प्राक्कलन का जहां तक प्रश्न है, वर्ष के लिए कम्पनी के संशोधित बजट में 250 लाख रुपए तक के उत्पादन कार्य की व्यवस्था है । और यदि यह उत्पादन लक्ष्य वास्तव में प्राप्त हो गया और माल की बिक्री भी सन्तोषजनक रही तो चालू वर्ष के दौरान कम्पनी को लाभ होने की आशा है । फिर भी, इस वर्ष अब तक इस कम्पनी में जो उत्पादन कार्य हुआ वह श्रमिक कठिनाइयों के कारण असन्तोषजनक रहा है । माल की बिक्री भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है जिस तक कि होनी चाहिए थी । इन अनिश्चितताओं को देखते हुए वर्ष के दौरान होने वाले लाभ या हानि के विषय में इस समय ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है ।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड

3218. **श्री प्रेम चन्द वर्मा:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना के समय और 31-3-1968 को इसकी अधिकृत और चुकता पूंजी कितनी-कितनी थी;

(ख) इस कम्पनी ने 31-3-1968 को केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य फर्मों का कितना-कितना ऋण देना था;

(ग) पिछले तीन वर्षों में ब्याज के रूप में इस कम्पनी ने कितनी धन राशि दी है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के कार्यों के क्या परिणाम निकले हैं, कितना लाभ हुआ है और

यदि हानि हुई है, तो उसके मुख्य कारण क्या थे और वर्ष 1968-69 के बारे में क्या अनुमान है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा (उत्पादन राज्यमंत्री) (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 7.50 करोड़ रुपये की अधिकृत अंश पूंजी से 11 मई, 1964 को स्थापित किया गया था। 31 मार्च, 1965 को अर्थात् उसकी स्थापना के पश्चात् पहले लेखा वर्ष की समाप्ति पर इस कम्पनी की प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख रुपये थी। 31 मार्च, 1968 को अधिकृत अंश पूंजी तथा प्रदत्त अंश पूंजी इस प्रकार थी :—

अधिकृत पूंजी	10.00 करोड़ रुपये
प्रदत्त पूंजी	899.80 लाख रुपये

(ख) 31 मार्च, 1968 को कम्पनी द्वारा देय ऋणों की राशियां इस प्रकार थीं :—

(एक) भारत सरकार से लिये गये ऋण	150 लाख रुपये
(दो) बेल्जियन संभरणकर्ताओं की ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत माल की सप्लाई के लिये	305.33 लाख रुपये

(ग) पिछले तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा दिये अथवा उसके द्वारा देय ब्याज के सम्बन्ध में जानकारी इस प्रकार है :—

	1965-66	1966-67	1967-68
(एक) भारत सरकार के ऋणों पर	—	—	4,56,242.00 रुपये
(दो) नगद ऋण सुविधा के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इंडिया से ओवरड्राफ्ट पर	—	75,768.00 रुपये	2,85,714.00 रुपये
(तीन) आस्थगित ऋण सप्लाइयों पर	—	—	10,43,074.00 रुपये

(घ) पिछले तीन वर्षों में कार्यकरण के परिणाम इस प्रकार हैं :—

(रुपये लाखों में)

	1965-66	1966-67	1967-68
(एक) बिक्री (जिसमें फालतू पुर्जे शामिल हैं)	517.43	565.92	1392.69
(दो) कर पूर्व लाभ	39.77	43.30	215.51
(तीन) कर उपबन्ध	8.00	11.00	115.00

(चार) कर पश्चात् लाभ	31.77	32.30	100.51
लाभांश	—	—	26.99

टिप्पणी I वर्ष 1967-68 के लिये 215.51 लाख रुपये के लाभ में पिछले वर्षों में सवारी-रेल-डिब्बों की बिक्री पर लाभ की बकाया राशि के सम्बन्ध में 109.47 लाख रुपये शामिल हैं।

टिप्पणी II इन तीन वर्षों में से किसी वर्ष भी कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई, इसलिये हानि के मुख्य कारण बताने का प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1968-69 के लिये अनुमान इस प्रकार है :—

बिक्री	लगभग 2000 लाख रुपये
कर पूर्वलाभ	लगभग 135 लाख रुपये।

यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड

3219. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी और इसके उद्देश्य क्या थे ;

(ख) क्या कारखाने की स्थापना और उसके उत्पादन और विकास के लक्ष्य परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो कब और कैसे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कारपोरेशन की स्थापना में कोई विदेशी सहयोग शामिल था और यदि हां, तो सहयोग देने वाले देशों के क्या नाम थे और कितनी विदेशी मुद्रा सहायता के रूप में प्राप्त हुई ;

(घ) यह कारपोरेशन इस समय किस चीज का और कितना उत्पादन कर रही है और क्या वे उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं ;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े क्या हैं और कितने माल का निर्यात किया गया ; और

(च) क्या कारपोरेशन को इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु ऊर्जा (उत्पादन तथा प्रयोग नियन्त्रण) आदेश 1953 में निर्धारित रेडियोधर्मी पदार्थों का खनन करने, प्राप्ति, पृथक्कीकरण, उपचार, शोधन, परिष्करण, उत्पादन, आयात, निर्यात तथा लेन-देन करने के उद्देश्य से युरेनियम

कारपोरेशन की स्थापना अक्टूबर 1967 में की गई थी ।

(ख) खान में शाफ्ट धंसाने तथा वाइंडरों को लगाने का कार्य पूरा करने के लिये पूर्व निश्चित अवधि मार्च, 1966 के मुकाबले में ये कार्य क्रमशः मार्च, 1967 तथा अक्टूबर, 1968 में पूरे किये गये । उपकरणों के आयात के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयां इस विलम्ब का मुख्य कारण थीं । मिल का निर्माणकार्य पूरा करने के लिये निश्चित अवधि सन् 1966 थी । तथापि मिल के संयंत्र का निर्माणकार्य मार्च, 1967 में पूरा हुआ । इस में देरी का मुख्य कारण भी उपकरणों का आयात करने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां थीं । सीमित स्तर पर उत्पादन मई, 1968 में शुरू हुआ । संयंत्र को अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने में अभी कुछ और समय लगेगा ।

(ग) इसकी स्थापना में कोई विदेशी सहयोग नहीं लिया गया ।

(घ) कारपोरेशन खान से यूरेनियम धातु को निकालती है तथा यूरेनियम आक्साइड युक्त सांद्रित यूरेनियम तैयार करने के लिये मिल में इसका उपचार करती है । मई, 1968 से अक्टूबर, 1968 तक उत्पादित सांद्रित यूरेनियम का मूल्य 70 लाख रुपये है । ये उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीयस्तर के हैं ।

(ङ) मई, 1968 में संयंत्र वाणिज्यिक स्तर पर चालू हुआ । पिछले वर्ष के दौरान कोई विक्रय अथवा निर्यात नहीं किया गया ।

(च) कारपोरेशन को किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है ।

Film "Spy in Rome"

3220. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to that part of the film "Spy in Rome" in which Indians have been called fools ; and

(b) if so, the reasons for allowing such remarks by the Board of Film Censors ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir, through a press comment which appeared in "Shravya Drishya Kalayen" column of Nagpur Bulletin (a Hindi Fortnightly) criticising the dialogue "Isi liye Hindustan ko bewaqoofon ka mulk kaha gaya hai" occurring in the film "Spy in Rome".

(b) The dialogue in question is spoken out of frustration by the villain, an enemy of India, for the Indian scientist who does not yield to any temptation to disclose the secret formula and undergoes all tortures at the hands of the villain. The intent and purpose of the dialogues is to bring out by contrast the good quality of an Indian scientists against the viles of a villain.

पाकिस्तान में परमाणु भट्ठी

3221. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस द्वारा पाकिस्तान में लगाई जाने वाली परमाणु भट्ठी के स्वरूप का ब्योरा

सरकार ने प्राप्त कर लिया है ;

(ख) क्या सितम्बर 1968 के मध्य में दिल्ली में रूस और भारत की सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठकों में इस विषय पर चर्चा की गई थी ;

(ग) क्या पाकिस्तान को सहायता मिलने से उस देश की परमाणु बम बनाने की क्षमता बढ़ जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). 13 अप्रैल, 1968 को सम्पन्न एक करार के अन्तर्गत सोवियत संघ पूर्वी पाकिस्तान में रूपपुर में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने की संभावना पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।

(ग) और (घ). हमारी सूचना के अनुसार पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता नहीं है । परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने का यह करार एक वाणिज्यिक सौदा है जिसका सम्बन्ध शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति के विकास से है ।

1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा सम्मेलन

3222. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 जुलाई, 1967 को वुरेनस्टाक स्विटजर लैंड में "1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे सम्मेलन" में अमरीका में तत्कालीन भारतीय राजदूत श्री वी० के० नेहरू ने भाग लिया था ;

(ख) क्या इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों द्वारा जारी किये गये वक्तव्य की एक प्रति सरकार को मिल गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उस वक्तव्य में उल्लिखित प्रस्तावों पर सरकार ने विचार किया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार उस सम्मेलन में भाग लेने वालों द्वारा जारी किये गये वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी तथा सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) जी हां । श्री वी० के० नेहरू ने, जो उस समय संयुक्त राज्य अमरीका में भारत के राजदूत थे, निजी हैसियत में इस सम्मेलन में भाग लिया था । यह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वही था । इसका आयोजन स्टेन ले फाउन्डेशन ने किया था और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशिष्ट

प्रबुद्धजनों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). इसमें संयुक्त राष्ट्र की कार्य पद्धति से संबद्ध कार्य थे और सरकार ने उन्हें ध्यान में रख लिया है ।

(ङ) इस वक्तव्य के मूल पाठ की एक प्रति और इस सम्मेलन में भाग लेने वालों की एक सूची सभा-पटल पर रखी गई । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2508/68]**

Exchange of Enclaves with Pakistan

3223. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any further action has been taken by Government for the exchange of enclaves between India and Pakistan ;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) the steps taken by Government for the security of Indian enclaves in Pakistan ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). Under the Constitution (Amendment) Act, 1960 and the Acquired Territories (Merger) Act, 1960 and the enclaves had to be demarcated before their exchange could be carried out. The Pakistan Survey authorities insist on the demarcation of Berubari Union No. 12 being taken up simultaneously with demarcation of any other areas covered by the Nehru-Noon Agreement. The demarcation of Berubari Union has been restrained by a decision of the Calcutta High Court. An appeal against this judgment has been filed in the Supreme Court and its outcome is awaited. The Government of Pakistan have agreed to the posting of an Indian police party in the Indian enclave of Salbari in exchange for Government of India's agreement to the replacement of the existing police party in the Pakistani enclave of Dehagram.

अणु शक्ति संयंत्र कलपक्कम (मद्रास)

3224. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के निकट कलपक्कम में अणु-शक्ति संयंत्र के निर्माण-कार्य को पूरा करने की निर्धारित तिथि क्या है ;

(ख) क्या यह निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ; और

(ग) क्या यह सच है कि यह संयंत्र मुख्यतया भारतीय तकनीकी जानकारी से तैयार किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सन् 1973 के अन्त तक ।

(ख) तथा (ग). जी हां ।

लड़ाकू विमानों के चालकों का प्रशिक्षण

3225. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लड़ाकू विमानों के बड़े बेड़े को ध्यान में रखते हुए उसके लिये बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों के चालकों को प्रशिक्षण देने के लिये कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक संख्या में लड़ाकू पाइलटों को प्रशिक्षित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में और अधिक ब्योरा देना जनहित में न होगा।

Chinese Propaganda on Border Areas

3227. **Shri Om Prakash Tyagi:**
Shri Raghuvir Singh Shastri:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Chinese Radio and the Indian agents of China are indulging in a very dirty propaganda against India in the areas bordering China ; and

(b) if so, the scheme drawn up by Government to counteract the evil effect of the Chinese propaganda and to acquaint the people of these areas with the correct position in this connection ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) Yes, Sir.

(b) Chinese propaganda is countered in news, news commentaries and talks put out in the External and Home Services from different stations of All India Radio. On the completion and commissioning of the super-power medium-wave transmitter at Calcutta it will be possible to strengthen and extend the present services in Nepali and Tibetan and introduce news services in other languages.

Role of Films in the Development of Nation

3228. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government agree that films play a significant role in the Development of the nation ;

(b) the total number of films produced in India in 1967 ;

(c) the number of films which made any contribution for propagation and achievements of the objectives of the Five Year Plans ; and

(d) the steps proposed to be taken by Government with a view to encourage film producers to produce such films in future ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) The Censor Board has certified 333 feature films and 826 short films including trailors during the year 1967.

(c) The number of such films produced by the Films Division is 15. Information in respect of films produced by the Industry is not available.

(d) The Government have introduced National Awards for Films and set up the Film Finance Corporation with the purpose of encouraging the production of films of high aesthetic and technical standard and of social and educational values.

राजस्थान के " बांकली " गांव पर वृत्त चलचित्र

3229. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें राजस्थान के पार जिले के "बांकली" गांव पर, जिसे वर्ष 1968 में स्वतंत्रता दिवस पर देश का सर्वश्रेष्ठ ग्राम होने के कारण पुरस्कृत किया गया था, वृत्त चित्र बनाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है तथा वृत्त चित्र कब तक तैयार हो जायगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। माननीय सदस्य द्वारा एक सुझाव दिया गया था।

(ख) जनता का ध्यान तुरन्त खींचने के लिये इस प्रकार की घटनाओं को साप्ताहिक समाचार चित्र में फिल्माया जाता है। "बांकली" गांव की फिल्म ले ली गई है और जिसको समाचार चित्र संख्या 1052 में स्थान दिया गया है जो चित्र 6 दिसम्बर, 1968 को सारे भारत में रिलीज किया जायेगा। पूरा वृत्त चित्र बनाना सम्भव नहीं है।

Pakhtoonistan Issue in United Nations

3230. **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri R. K. Amin :
Shri S. R. Damani :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the representative of Afghanistan raised the question of Pakhtoonistan's freedom in the recent Session of the United Nations General Assembly and supported the Pakhtoonistan's movement for independence ; and

(b) if so, the attitude adopted by the Indian representatives in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) In his general statement at the plenary session of the 23rd General Assembly the representative of Afghanistan referred to the question of Pakhtoonistan and called on the Government of Pakistan to settle it on the basis of the exercise by the people of the right of self-determination.

(b) Our representative did not refer to this question in our general statement at the plenary session, or in any other forum in the UN. This question is not on the agenda of the General Assembly.

Negotiations with Pakistan for Resolving Mutual Disputes

3231. **Shri Valmiki Choudhary**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Foreign Minister of both India and Pakistan have stressed in the October Session of U. N. General Assembly the need to solve their mutual disputes through negotiations; and

(b) if so, the programme of action chalked out for that purpose and the points of disputes proposed to be resolved in such a manner?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). On a number of occasions, the Government of India have offered to hold unconditional talks with Pakistan for the solution of all outstanding issues between the two countries. Among the proposals made by the Government of India for normalisation of relations with Pakistan are restoration of trade, reopening of all border check-posts, return of seized properties, resumption of civil airflights, increased cultural and other contacts, etc. This fact was mentioned by the Minister of State for External Affairs in his statement at the United Nations. While the Foreign Minister of Pakistan also expressed his Government's willingness to take up all outstanding issues, Pakistan has not responded to any of the above specific proposals.

गत हड़ताल की अवधि में कलकत्ता के 'अमृत बाजार पत्रिका' नामक समाचार-पत्र का परिचालन

3232. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश भर में कई समाचार-पत्रों के कर्मचारियों की हड़ताल के समय कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले "अमृत बाजार पत्रिका" नामक एक अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र के परिचालन में काफी वृद्धि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो समाचार-पत्रों में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने से पहले इस पत्र का दैनिक परिचालन कितना था तथा हड़ताल के बाद कितना है;

(ग) हड़ताल आरंभ होने से पूर्व इस समाचार-पत्र का दैनिक अथवा साप्ताहिक अथवा मासिक अखबारी कागज का कोटा कितना था; और

(घ) परिचालन में हुई इस वृद्धि को पूरा करने के लिये यह समाचार-पत्र अखबारी कागज का अतिरिक्त कोटा किस प्रकार प्राप्त कर सका ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क), (ख) तथा (घ). सरकार के पास इसकी सूचना तभी होगी जब समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार वर्ष के अन्त में डेटा एकत्र कर लेंगे ।

(ग) समाचार-पत्रों को अखबारी कागज वार्षिक आधार पर अलाट किया जाता है । इस समाचार-पत्र का इस वर्ष 4,307.70 मीटरी टन अखबारी कागज का हक था ।

समाचार-पत्रों में पढ़ने योग्य सामग्री का स्थान

3233. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमों के अनुसार दैनिक समाचार-पत्रों को पढ़ने योग्य सामग्री के लिए दो-तिहाई स्थान रखना होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता से अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्र अमृत बाजार पत्रिका द्वारा इन नियमों के उल्लंघन करके प्रायः विज्ञापनों के लिये एक-तिहाई से अधिक तथा पढ़ने योग्य सामग्री के लिये दो-तिहाई से कम स्थान रखा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या है अथवा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) ऐसा कोई नियम लागू नहीं है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

आकाशवाणी का "टु डे इन पार्लियामेंट" कार्यक्रम

3234. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा के गत सत्र में "टु डे इन पार्लियामेंट" कार्यक्रम के लिये लिपि प्रस्तुत करने के लिये किन व्यक्तियों/पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था ;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सेवा के लिए कितनी धनराशि दी गई थी ; और

(ग) 'स्पाट लाइट' कार्यक्रम में भाग लेने के लिये नियुक्त किये गये व्यक्तियों/पत्रकारों के नामों की सूची क्या है और जनवरी से अगस्त, 1968 तक उनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) और (ख). पिछले सत्र में "टु डे इन

पार्लियामेंट" कार्यक्रम के लिये स्क्रिप्ट लिखने के लिये जिन व्यक्तियों को आमन्त्रित किया गया उनके नाम तथा प्रत्येक व्यक्ति, उसकी सेवा के लिये कितनी धनराशि दी गई थी, इसका ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है (विवरण 1)। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2509/68]**

(ग) जनवरी से अगस्त, 1968 तक "स्पाट लाइट" कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों/पत्रकारों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई इसका ब्योरा भी सदन की मेज पर रख दिया गया है। (विवरण 2)। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2509/68]**

आकाशवाणी के कर्मचारियों को पुस्तकें लिखने की अनुमति

3235. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी का एक कर्मचारी उप-नाम से नियमित रूप से पुस्तकें लिख रहा है ;

(ख) क्या वहां पर अन्य कर्मचारी भी पुस्तकें लिखते हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और क्या उनको व्यापारिक प्रयोजन हेतु पुस्तकें लिखने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) यदि सरकार ने अन्य किसी व्यक्ति को व्यापारिक प्रयोजन हेतु पुस्तकें लिखने की अनुमति नहीं दी है तो कुछ कर्मचारी नियमित रूप से तथा व्यवस्थित रूप से ऐसा कैसे कर सकते हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Construction by Pakistan of a Dam on Teesta River

3236. **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri Deven Sen :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Pakistan Government are constructing a Dam on Teesta River in their territory ;

(b) the effect thereof on the Indian territory from where this river passes ; and

(c) the reaction of the Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) We have heard that they are contemplating to do so.

(b) It would appear that this will cause inundation to Indian territory.

(c) We have protested against the construction of a barrage across the Teesta River in East Pakistan that would involve inundation of Indian territory.

देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध

3237. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन कुछ देशों के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं, उन्होंने राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

ट्रांजिस्टर सेटों का निर्माण

3238. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बने अधिकांश ट्रांजिस्टर सेट विदेशों में निर्मित ट्रांजिस्टर सेटों की तुलना में घटिया किस्म के हैं जिसके फलस्वरूप इन सेटों को बड़ी संख्या में चोरी छिपे भारत में लाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारतीय ट्रांजिस्टरों की किस्म को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मंत्रियों के लिए आचरण संहिता

3239. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई "आचरण संहिता" लागू की है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक मंत्री तथा उप-मंत्री को अपनी आस्तियों तथा दायित्व का विवरण समय-समय पर प्रधान मंत्री को देना होगा ;

(ख) यदि हां, तो उन मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों के नाम क्या हैं जो स्वयं लागू की गई

"आचरण संहिता" को ध्यान में रखते हुए अपनी आस्तियों तथा दायित्व का विवरण प्रधान मंत्री को देते रहे हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा और कौन से उपाय अपनाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी, हां ।

सरकार ने मंत्रियों के बारे में एक आचरण संहिता 1964 में बनाई थी, और उसे सभा-पटल पर 18 नवम्बर,1964 को रखा । उस संहिता के अनुसार सभी केन्द्रीय मंत्री, जिसमें उप-मंत्री भी शामिल हैं, अपनी आस्तियों और दायित्वों के ब्योरे प्रधान मंत्री को प्रस्तुत करते हैं ।

(ग) किसी मजीद कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी जाती है ।

आकाशवाणी द्वारा प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में कार्यक्रम का प्रसारण

3241. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं सम्बन्धी कार्यक्रम को जिस ढीले ढाले ढंग से प्रसारित किया गया है उसके बारे में 19 अक्तूबर, 1968 के "पेट्रियट" में प्रकाशित समीक्षा में श्री जे० बी० कृपालानी द्वारा की गई आलोचना की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई प्रभावशाली कार्यवाही की गई है कि भविष्य में आकाशवाणी द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को अधिक अच्छे ढंग में प्रसारित किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). आलोचना कुछ सीमा तक ही ठीक है । तथापि, आवधिक पुनरीक्षण द्वारा आकाशवाणी के समाचारों के प्रसारण में सुधार करने के लिए लगातार प्रयत्न किया जाता है ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्य में संगणकों का प्रयोग

3242. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्य में संगणकों का प्रयोग करने का है ;

(ख) यदि हां, तो संगणक कब लगाये जायेंगे ; और

(ग) संगणक लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). सारणीकरण सम्बन्धी परम्परागत मशीनों द्वारा किये गये कार्य में योग देने के लिए विद्युच्चालित संगणकों को प्रयोग में लाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों का व्यापक रूप से तथा शीघ्रतापूर्वक विश्लेषण किया जा सके। केवल इसी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर संगणक लगाना (संस्थापित करना) आवश्यक नहीं है।

भारतीय सांख्यिकी संस्था, कलकत्ता में संगणक का लगाया जाना

3243. **श्री गणेश घोष :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री वि० कु० मोडक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांख्यिकी संस्था, कलकत्ता में संगणक के लगाये जाने के फलस्वरूप कुल कितने कर्मचारियों के फालतू घोषित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) क्या फालतू कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरियां दी जायेंगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). वर्तमान कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता में हनीवेल एच-400 संगणक मशीन के संस्थापन से किसी भी कर्मचारी को रोजगार से वंचित न होना पड़े।

भारतीय सांख्यिकी संस्था

3244. **श्री गणेश घोष :**

श्री वि० कु० मोडक :

श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकी संस्था को एक नई सर्वेक्षण अनुसंधान परियोजना सौंपने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना का ब्योरा क्या है ;

(ग) उस पर कुल कितनी धनराशि व्यय किये जाने का अनुमान है ; और

(घ) नई परियोजना सौंपे जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ). भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का कार्य जो संस्थान द्वारा इस समय किया जा रहा है यदि उस कार्य को किसी अन्य संगठन को सौंपा जाये तो उस दशा में संस्थान को पर्याप्त धनराशि दी जाये जिससे विभिन्न सर्वेक्षणों को चालू करने की एक सुदृढ़ परियोजना चलाई जाये जिसके अनुसरण से सर्वेक्षण की रूपरेखा तथा कार्य क्षमता में सुधार हो और नवीन प्रणाली एवं कार्य-विधि का विकास हो सके। संस्थान से अनुरोध किया गया है कि इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय सहित सरकार के विचारार्थ एक विस्तृत योजना बनाये।

भारतीय सांख्यिकी संस्था

3245. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री गणेश घोष :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकी संस्था परिषद् द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्था कार्य की जांच के लिए नियुक्त की गई देशमुख समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या भारतीय सांख्यिकी संस्था के कार्य-संचालन में सुधार करने के लिए की गई सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान विषयक समीक्षा समिति के प्रतिवेदन के बारे में परिषद् के अध्यक्ष तथा परिषद् को सलाह देने के लिए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान परिषद् द्वारा देशमुख समिति की नियुक्ति की गई।

(ख) देशमुख समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति संसदीय पुस्तकालय में रखी गई है।

(ग) से (ङ). मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कार्यों को छोड़कर, जो अभी विचाराधीन हैं, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान विषयक समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय कर लिए गये हैं।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान विषयक समीक्षा समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सदन के पटल पर पृथक रूप से रखा जा रहा है।

चीन तथा पाकिस्तान के बारे में लन्दन में उप प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

3246 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप प्रधान मंत्री ने हाल ही में लन्दन में सम्वाददाताओं को बताया था कि भारत चीन अथवा पाकिस्तान के आक्रमण का पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो उस समय इस प्रकार का वक्तव्य जारी करने के क्या कारण थे ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उप प्रधान मंत्री ने लन्दन में सम्वाददाताओं से उक्त विषय पर वास्तव में क्या कहा था ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). इण्डियन सोशियल क्लब के सदस्यों के समक्ष, जिन्होंने उन्हें उनकी यात्रा के दौरान चाय पर आमंत्रित किया था, भाषण करते हुए भारत के उप प्रधान मंत्री ने दूसरी बातों के अलावा देश की एकता का भी उल्लेख किया था और कहा था कि भारत ने अभी हाल ही में उस समय इस एकता का परिचय दिया था, जबकि पहले चीन ने और फिर पाकिस्तान ने भारत की प्रादेशिक अखण्डता का उल्लंघन किया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अगर इस प्रकार का साहस फिर दिखाया गया तो उन्हें एक बार फिर सबक सिखाया जायेगा।

जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अन्य वर्गों के सैनिकों को विशेष भत्ता

3247. **श्री हेम राज** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अन्य वर्गों के सैनिकों और अग्रिम क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को क्या विशेष भत्ता दिया जा रहा है और किन क्षेत्रों में ये भत्ते दिये जाते हैं ; और

(ख) क्या विशेष भत्ते दिये जाने के मामले में सम्बद्ध क्षेत्रों की समुद्र तट से ऊंचाई को ध्यान में रखा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). उत्तरी और उत्तर-पूर्वी सीमाओं पर स्थित जिन कुछ क्षेत्रों को रियायती क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां निम्नलिखित रूप से रणक्षेत्र सेवा रियायतें दी जाती हैं :—

(1) जूनियर कमीशंड अफसरों और अन्य जवानों को 10 रुपये मे लेकर 30 रुपये प्रतिमास की विभिन्न दरों पर विशेष प्रतिकर भत्ता।

(2) केवल विवाहित अफसरों के लिए 70 रुपयें प्रतिमास वियुक्ति भत्ता।

कुछ विशेष उल्लिखित क्षेत्रों में, जहां अधिक ऊंचाई या अन्य कारणों से सेवा की शर्तें विशेषरूप से विषम हों, थल सेना के सभी ओहदों के जवानों को 30 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह

तक विभिन्न दरों पर अधिक ऊंचाई प्रतिकूल जलवायु भत्ता दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में, जहां अधिक ऊंचाई तथा प्रतिकूल जलवायु भत्ता उपलब्ध है, विशेष प्रतिकर भत्ता नहीं दिया जाता है।

जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अन्य वर्गों के सैनिकों के बच्चों को शिक्षा भत्ता

3248. **श्री हेम राज :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अन्य सैनिकों के बच्चों को दिये जाने वाला शिक्षा भत्ता केवल उन्हीं के बच्चों को दिया जाता है जो सेवा में हों ;

(ख) क्या यह सच है कि जब एक जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी अपने बच्चों को यहां तक कि मिडिल या मैट्रिक या हायर सेकेन्डरी स्तर तक शिक्षा दिलाने से पहले, सेवा निवृत्त हो जाता है तो शिक्षा भत्ते का दिया जाना रोक दिया जाता है और उनके बच्चे को शिक्षा छोड़ देनी पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). 21 अगस्त, 1968 को लोक सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4678 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Defence Minister's visit to U.S.S.R.

3249. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Valmiki Choudhary :
Shri Shivachandra Jha :
Shri D. N. Patodia :
Shri S. R. Damani :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Nathu Ram Ahirwar :
Shri P. P. Esthose :
Shri C. K. Chakrapani :
Shri P. Gopalan :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he recently visited the U.S.S.R.

(b) if so, the names of other countries visited by him on this occasion ; and

(c) the object of his tour and the extent to which it was achieved ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) No other country was visited.

(c) In response to an invitation from the Defence Minister of the Soviet Union, the Defence Minister paid a goodwill visit to that country for 8 days towards the end of October 1968. During this visit the Defence Minister and his party saw a number of Defence installations and held cordial and useful discussions with the civil and military leaders of the Soviet Union.

Impact of Plan Programmes on Villages

3250. **Shri Himat Singka :**

Shri S. K. Tapuriah :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a recent study of the impact of the plan programmes by the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission has revealed that nearly half of the villages in the country do not have basic facilities like post offices, markets, doctors, radios and bus stops ;

(b) if so, what were the State-wise revelations of this study with regard to the rural backwardness in each of the States showing percentages of villages without each of these basic amenities in each State ; and

(c) the targets of achievement which are being proposed for rural uplift in each of the States under the Fourth Five Year Plan in the light of these revelations ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2510/68.]**

The findings are based on Sample Survey Study conducted by the State Bureaux of Economics and Statistics in their respective States and Co-ordinated by the Programme Evaluation Organisation.

(c) The matter is under consideration.

चीनी दूतावास, नई दिल्ली द्वारा चीन समर्थक साहित्य का वितरण

3251. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री न० कु० सांधी :

श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी दूतावास द्वारा दिल्ली में विद्यार्थियों में चीन समर्थक साहित्य बांटा जा रहा है ;

(ख) क्या इस प्रकार के साहित्य के वितरण की अनुमति है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ऐसा लगता है कि शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन और पुस्तकालय नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की डाक सूची पर है ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुसार किसी भी राजनयिक मिशन को उसके अपने देश से

सम्बद्ध सूचना और प्रचार सामग्री का वितरण करने की तभी तक इजाजत दी जाती है जब तक कि वह सामग्री आतिथेय देश के आंतरिक कानूनों का उल्लंघन न करती हो ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मजगांव गोदी

3252. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मजगांव गोदी में जहाज निर्माण सुविधाओं का विस्तार करने के लिये 8 करोड़ रुपये की एक परियोजना आरम्भ की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) अभी कितना लक्ष्य प्राप्त करना शेष है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). दक्षिणी यार्ड का प्रसार कार्य पूरा हो चुका है । दो नई स्लिपवे, क्रेन सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं से सम्पन्न एक आधुनिक प्लेटर्स और संयोजनशाला तथा भण्डारों और सुख-साधनों से युक्त एक इमारत पर काम पूरा हो चुका है और उनमें काम किया जा रहा है ।

उत्तरी यार्ड में वर्तमान ज्वार-भाटीय कसारा बेसिन को एक अवरूद्ध गोदी में परिवर्तित किया जा रहा है ताकि एक ही समय में कम से कम चार समुद्री जहाजों की मरम्मत तथा उन्हें फिट किया जा सके । खुदाई का काम पूरा हो चुका है तथा अगस्त 1968 से बेसिन से पानी भर दिया गया है । गोदी द्वार भी लगाया जा चुका है । 15 टन और 80 टन वजनी क्रेनों के लिए वहां जगह बनाने का काम सन्तोषजनक रूप से किया जा रहा है । 1968 के अन्त तक अधिकतर काम पूरा हो जाएगा । ऐसी आशा है कि वहां भूमि उद्धरण और घाटों के निर्माण जैसे शेष कार्य मार्च 1969 के अन्त तक पूरे हो जाएंगे ।

Non-Availability of Basic Amenities in Villages

3253. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even basic facilities like post offices, purchase and sale centres, doctors, radios, etc. are not available in about 50 per cent of the villages accordingly to a study conducted by the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission ;

(b) whether it is also a fact that the U. P. villages are most backward according to that study ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to provide basic amenities like post offices, hospitals, railway stations, bus stands, etc. in all the villages of the country ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). Attention is invited to reply given to Unstarred Question No. 3250 answered on 4-12-1968. The study has revealed **inter alia** that Uttar Pradesh is one of the States which have poor basic facilities in the villages.

Hindi Announcers in the A. I. R.

3254. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that posts of Hindi Announcers have been lying vacant in A. I. R. for quite a long time ;

(b) if so, the number of posts of Hindi Announcers which have been lying vacant and the time since when they have been lying vacant ;

(c) whether it is also a fact that interviews have been held many times for filling up these posts and selection of the candidates has been made, but appointments against those posts are not made with a view to discouraging Hindi Announcers ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b). Two posts of Hindi Announcers have been lying vacant at Delhi Station since 1966, one of them from 1.9.1966 and the other from 22.12.66.

(c) and (d). Selection was held only once in January-February, 1968. But due to certain administrative and procedural defects in this selection it was cancelled. Fresh selections are under way. It is not correct that there was over any intention to discourage Hindi announcers.

अक्सिलोस्कोपों का निर्माण

3255. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार कुछ विदेशी फर्मों के सहयोग से बड़े औद्योगिक कारखानों में आक्सिलोस्कोपों का निर्माण करने की अनुमति देने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में कोई 15 छोटे कारखानों में देशी तकनीकी जानकारी से आक्सिलोस्कोपों का पहले ही निर्माण किया जा रहा है और ये कारखाने भारतीय सेना के बहुत ही सूक्ष्म विवरणों के अनुसार निर्माण करने की योग्यता रखते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत के लघु उद्योगों की संस्था संघ ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी सहयोग से बड़े औद्योगिक कारखानों में आक्सिलोस्कोपों का निर्माण करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). विदेशी फर्म के सहयोग से अच्छे किस्म और बहुत सूक्ष्म आक्सीलोस्कोपों के निर्माण के लिए

सरकार निजी क्षेत्र की एक यूनिट से प्राप्त एक योजना पर इस समय विचार कर रही है। इस उपकरण की पूर्व निर्माण व्यवस्था, अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी और अधिक सूक्ष्म आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अच्छे किस्म और अधिक सूक्ष्म आसीलोस्कोपों की व्यवस्था बनाने की वांछनीयता तथा भारत की लघु उद्योगों के संघ द्वारा उठाए गए प्रश्न जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है।

समाचार पत्रों में प्रकाशित शिशु मृत्यु संख्या

3256. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशित शिशु मृत्यु संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मृत्यु दर क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है ; और

(घ) मृत्यु दर को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में 1965 से भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार एक सांख्यिकीय सर्वेक्षण कर रहे हैं। यह सूचना उनकी वार्षिक रिपोर्टों में शामिल है जिनको सदन के पटल पर रखा गया है।

(ग) तथा (घ). प्रेस रजिस्ट्रार के द्वारा की गई जांच के पर्याप्त उत्तर की कमी के परिणामस्वरूप, ऐसे किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव नहीं हो सका कि मृत्यु संख्या के क्या कारण हैं। जो थोड़ी बहुत सूचना उपलब्ध है वह विभिन्न कारण बताती है जिसमें प्रबन्ध सम्बन्धी योग्यता और आर्थिक स्रोतों की कमी भी शामिल है।

रेडियो तथा प्रसारण सम्बन्धी एशियाई सम्मेलन

3257. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 के दूसरे सप्ताह में कुआलालमपुर में रेडियो तथा प्रसारण सम्बन्धी पांच दिवसीय एशियाई सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय किये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान, सिलोन, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, इन्डोनेशिया, थाईलैण्ड तथा भारत।

इसके अतिरिक्त एफ०ए०ओ०, आई०टी०यू०, ए०बी०यू० तथा यूनेस्को के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

(ग) इस सम्मेलन की मुख्य सिफारिश यह थी कि कुआलालमपुर में प्रसारण के लिये एक प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए।

विदेशों में बसे हुए भारतीय

3258. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 के बाद कितने भारतीय उच्च अध्ययन या नौकरियों के लिये विदेशों में गये ;

(ख) उन देशों में बसे और वहां की राष्ट्रीयता स्वीकार करने वाले भारतीयों की संख्या क्या है ;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं और प्रत्येक देश में बसने वाले भारतीयों की संख्या क्या है ; और

(घ) इन व्यक्तियों द्वारा ऐसी कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

काश्मीर का प्रश्न

3259. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने जम्मू और काश्मीर में प्रथम युद्ध विराम के बाद अपनी ओर से न कि रक्षा उपाय के रूप में काश्मीर के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय फोरम के समक्ष उठाया है अथवा काश्मीर घाटी के कुछ भारतीय क्षेत्र के आक्रमण को समाप्त करने तथा पाकिस्तानी कब्जे को खत्म करने के लिये कितनी बार इस मामले को सीधे पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है ;

(ख) ऐसा किन वर्षों में किया गया और प्रत्येक बार इसमें कितनी सफलता हुई ; और

(ग) इस समय क्या स्थिति है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). पाकिस्तान जम्मू और काश्मीर राज्य के हिस्से अब भी गैर-कानूनी

तरीके से कब्जा किए हुए है ।

सरकार की नीति पाकिस्तानी आक्रमण को शांतिपूर्ण तरीकों से और द्विपक्षीय रीति से खाली कराने की है । यह बात सुरक्षा परिषद् में और अन्य भी अनेक बार स्पष्ट की जा चुकी हैं ।

प्रतिरक्षा उपकरणों का देश में उत्पादन

3260. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रतिरक्षा उपकरणों की कुल आवश्यकता का कितने प्रतिशत उत्पादन देश में ही होता है और तीनों सेवाओं के बारे में इसके अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ;

(ख) आयातों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है और यह कुल आवश्यकता का कितना प्रतिशत है ;

(ग) क्या देश में निर्मित उपकरण अन्य देशों में निर्मित इसी तरह के उपकरणों की तुलना में समान रूप से कारगर और तकनीकी रूप से विकसित हैं ; और

(घ) ऐसी वस्तुओं का, जो प्रतिरक्षा प्रयोजन के लिये अत्यावश्यक हैं, और जिनका अभी भी आयात किया जा रहा है, देश में उत्पादन करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तीनों सेनाओं के लिए प्रतिरक्षा उपकरणों की कुल आवश्यकता का कितना प्रतिशत उत्पादन देश में ही होता है यह स्थिति प्रत्येक उपकरण के सम्बन्ध में अलग-अलग है और प्रत्येक मामले में ठीक-ठीक प्रतिशत बताना भी सम्भव नहीं है । फिर भी सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की संस्थानों में प्रतिरक्षा उपकरणों का उत्पादन कार्य धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है । 1967-68 के दौरान 300 करोड़ रुपये का उत्पादन कार्य हुआ ।

(ख) यह सूचना देना जनहित में न होगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) ऐसे उपकरणों को देश में ही विकसित और निर्मित करने के लिए यथासम्भव प्रयत्न किए जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे उपकरणों को, जो कि अभी तक आयात किए जाते थे, देश में बनाए जा रहे हैं । रक्षा पूर्ति विभाग भी, जिसकी स्थापना तीन वर्ष पूर्व हुई थी, देश में ही उपकरणों की निर्माण व्यवस्था द्वारा आयात प्रतिस्थापन व्यवस्था को प्रोत्साहन देने में सहायता करता है ।

Use of Hindi in Department of Atomic Energy

3261. **Shri Nardeo Snatak :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was not even a single book in Hindi among the books

which had been distributed among the public in regard to the working of the Department of Atomic Energy in the exhibitions organised recently by the Department in the Hindi speaking areas like New Delhi, Lucknow and Patna ; and

(b) If so, the reasons therefor and the steps being taken to remove this lacuna in future ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). This was because the Department deals with highly scientific and technical matters, and there are some obvious difficulties in putting out such literature in Hindi at present. However, the Department will make every effort possible in this regard, for future.

Incidentally, no such exhibition was organised in Patna.

Destruction of an I. A. F. Plane in fire at Hindon Aerodrome

3262. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the first week of November, 1968, a plane of the Indian Air Force caught fire while landing at the Hindon Aerodrome near Delhi and was completely destroyed ;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) whether any enquiry has been instituted in the matter ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, Sir. An aircraft crashed while taking off on the runway at Hindon airfield on the 6th November, 1968.

(b) and (c). A Court of Inquiry has been ordered to investigate the cause of the accident and the details will be known when the proceedings of the Court of Inquiry are finalised.

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में लेखा एवं प्रशासन अधिकारी का पद बनाना

3263. **श्री दंडपाणि** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में लेखा-एवं प्रशासन अधिकारी का एक पद बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय जैसे एक अधीनस्थ कार्यालय में एक ऐसा पद बनाने का औचित्य क्या है ;

(ग) यह पद कब और कितनी अवधि के लिये बनाया गया था और पदधारी ने कब इस पर कार्य करना आरम्भ किया था ; और

(घ) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के आयव्ययक में विशिष्ट बचत का पता लगाये बिना वर्ष 1968-69 के लिये उपर्युक्त पद को अग्रेतर बनाये रखने की मंजूरी दी गई थी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में बढ़े हुए कार्य तथा लेखा एवं सामान्य प्रशासन के पर्यवेक्षण में वृद्धि के कारण इस पद का निर्माण किया गया ।

(ग) 29 फरवरी 1968 तक चलने वाले इस पद के निर्माण की मंजूरी का आदेश 30 जनवरी 1968 को जारी हुआ । पदधारी (इस पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी) ने 28 फरवरी 1968 को कार्यभार संभाल लिया ।

(घ) इस पद का कार्यकाल 28 फरवरी 1969 तक बढ़ेगा । पद की मंजूरी में ही इस बात का अनुबन्ध किया गया है कि इस पद पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय नमूना सवक्षण निदेशालय के 1968-69 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में कर्मचारियों की संख्या सम्बन्धी निरीक्षण

3264. **श्री दंडपाणि** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1968 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में लेखा एवं प्रशासन अधिकारी का पद बनाने से पहले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में पदों की सभी श्रेणियों के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय के स्टाफ इन्स्पेक्शनयूनिट का निरीक्षण किया गया था ;

(ख) क्या इसके बाद भी निरीक्षण किया गया है ;

(ग) 1 मार्च, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 तथा 1968 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में कितने कर्मचारी थे और उनकी संख्या में वर्षवार कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई ; और

(घ) क्या लेखा-एवं-प्रशासन अधिकारी के पद का बनाया जाना इस बारे में सरकार की नीति के अनुरूप है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) जानकारी नीचे विवरण में दी गई है ।

विवरण

वर्ष	**कर्मचारियों की संख्या**	**पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत**
1962	1882	20 प्रतिशत
1963	1882	कुछ नहीं
1964	1882	कुछ नहीं

1965	1866	–0.8 प्रतिशत
1966	1872	0.3 प्रतिशत
1967	1938	3.2 प्रतिशत
1968	1954	0.8 प्रतिशत

(घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में कार्य बढ़ने तथा लेखा एवं सामान्य प्रशासन में पर्यवेक्षण-व्यवस्था सुदृढ़ करने के कारण इस पद का निर्माण उचित (तर्क संगत) था ।

दैनिक, साप्ताहिक तथा अन्य प्रकाशन

3265. **श्री अब्दुल गनी दार :**

श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967-68 में प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक भाषा में कितने दैनिक, अर्द्ध-साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रिमासिक, छः मासिक और वार्षिक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होनी थी, और प्रत्येक भाषा के पत्र-पत्रिकाओं को कागज का कितना कोटा आवंटित किया गया था और प्रत्येक भाषा के पत्र को सरकारी विज्ञापन के लिये कितनी राशि दी गयी थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : 1967 में प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक भाषा में दैनिक, अर्द्ध साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रिमासिक, छः मासिक और वार्षिक पत्र-पत्रिकाओं की संख्या क्या थी और प्रत्येक भाषा के पत्र-पत्रिका को अखबारी कागज का कितना कोटा अलाट किया गया था उसके बारे में जानकारी भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट भाग 1, (प्रेस इन इंडिया 1968) में दी हुई है जो सदन की मेज पर 28 अगस्त, 1968 को रखी गई थी ।

अलग-अलग समाचारपत्रों को रिलीज किये गये विज्ञापनों का विवरण और उनको कितना धन दिया गया यह सूचना विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा पत्रों के मध्य गोपनीय समझी जाती है । बिना दूसरे पक्ष की सहमति के एक ही पक्ष की ओर से सूचना देना अच्छी व्यापार की नीति न होगा ।

केरल के मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत चौथी योजना के बारे में वैकल्पिक नीति दृष्टिकोण

3266. **श्री सरजू पाण्डेय :** **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**

श्री नि० रं० लास्कर : **श्री अदिचन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के मुख्य मंत्री ने चौथी योजना के बारे में एक वैकल्पिक नीति दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की है ;

(ख) क्या सरकार उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केरल के मुख्य मंत्री ने इस मामले पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक विशेष बैठक बुलाने की प्रार्थना की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) केरल के मुख्य मंत्री ने "चौथी योजना के लिए वैकल्पिक नीति ढांचे की ओर" शीर्षक से एक प्रलेख प्रस्तुत किया है ।

(ख) प्रलेख की एक प्रति सभा-पटल पर प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2511/68]**

(ग) जी, हां ।

(घ) चौथी योजना से सम्बन्धित मूल नीति निहितार्थों पर योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये "चौथी योजना मार्ग-निर्धारण" नामक दस्तावेज पर विचार करते समय राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में विचार किया गया था । इस दस्तावेज के आधार पर चौथी योजना तैयार करने का काम पहले ही काफी आगे बढ़ चुका है ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग द्वारा फसल के अनुमान एकत्र करना

3267. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग द्वारा फसल सम्बन्धी अनुमान एकत्र किये जाने को समाप्त करने का प्रस्ताव है क्योंकि इसके अनुमान खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अनुमानों की तुलना में 8 से 13 प्रतिशत अधिक होते हैं;

(ख) क्या यह विषमता मानवीय कारणों से है अथवा यह प्रणाली में अन्तर होने के कारण है; और

(ग) क्या सरकार एक निष्पक्ष सांख्यिकी अधिकारी से इसकी जांच करा कर जनता में विश्वास की भावना पुनः बनायेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण श्रेणी के फसल सम्बन्धी वर्तमान अनुमानों को बन्द करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) इस मामले की फसल अनुमान विषयक तकनीकी समिति द्वारा जांच की जा चुकी है। समिति के निष्कर्ष के अनुसार यह त्रुटि रीति विधान सम्बन्धी भिन्नता तथा मानवीय कारणों से है ।

(ग) फसल अनुमान के सरकारी अंकमालाओं (श्रेणियों) के गुणावस्था में सुधार के लिए कार्यवाही की जा रही है।

भारत और जापान के बीच गोलमेज सम्मेलन

3268. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** **श्री सीताराम केसरी :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री रा० बरुआ :**
श्री न० कु० सांघी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1968 में भारत और जापान के बीच हुए गोल मेज सम्मेलन का क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : भारत और जापान समितियों का गोलमेज सम्मेलन, गैर-सरकारी स्तर पर, परिवर्तनशील विश्व में भारतीय-जापानी आर्थिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए हुआ। इसका सम्बन्ध भारत-जापानी आर्थिक सम्बन्धों की दीर्घकालीन सम्भावनाओं से था और दोनों देशों के मध्य खास रोजमर्रा के बकाया प्रश्नों पर विचार करना इसके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता था।

सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार किया गया था उनमें आयोजन का अनुभव, वित्तीय, औद्योगिक, व्यापार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग तथा क्षेत्रीय निगम हैं। सम्मेलन द्वारा एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें निष्कर्षों और सिफारिशों का ब्योरा दिया गया है। इस विज्ञप्ति की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

मंत्रालयों के सचिवों की नियुक्ति

3269. **श्री बेणीशंकर शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों में सचिवों के रिक्त स्थानों में नियुक्ति में कुछ विलम्ब हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि इस मामले में मंत्रालय की पसन्द के कारण विलम्ब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों में क्या नीति अपनाई जाती है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

"हाउ टू स्टील ए मिलियन" के प्रकार के विदेशी चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाना

3270. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में चोरी करने की प्रेरणा उस अपराधी को "हाउ टू स्टील ए मिलियन" चलचित्र देखने के बाद मिली थी और तब उसने राष्ट्रीय संग्रहालय में चोरी की थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे चलचित्रों के प्रदर्शन की अनुमति क्यों दी जाती है; और

(ग) भारत में ऐसे चलचित्रों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). मामले की अभी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, तथापि, फिल्म केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा पास कर दी गई जिसने स्पष्ट रूप से फिल्म में कोई आपत्तिजनक बात नहीं पाई। अपनी कलात्मक योग्यता में, फिल्म को फिल्म आलोचकों तथा कला पारंगतों से बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई है।

ईरान में भूकम्प से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता

3271. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान में भूकम्प से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए भारतीय वायु सेना का एक विशेष विमान 2,000 ऊनी कम्बल, 2,000 पूरी बाजू की जर्सियां, 35 तम्बू और दवाइयों के 66 बंडल, जिन सबका मूल्य 1,79,979 रुपये था, ईरान ले गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 5 मई, 1967 को हुए एक पत्रकार सम्मेलन में ईरान के पाकिस्तान स्थित राजदूत जनरल हसन पाक रांवां ने कहा था कि "भारत के साथ पुनः संघर्ष होने की स्थिति में" ईरान हर सम्भव तरीके से पाकिस्तान की सहायता करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान के अखबारों ने और रेडियो ने इसकी खबर दी थी।

(ग) ईरान के भूकम्प पीड़ितों को मानवीय आधार पर, और भारत तथा ईरान के बढ़ते हुए संबंधों को देखते हुए भी, सहायता दी गई थी। भारत सरकार इस सहायता को भारतीय हितों के लिए हानिकर नहीं समझती।

चैकोस्लोवाकिया के प्रश्न पर भारत का दृष्टिकोण

3272. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया के प्रश्न पर भारत के दृष्टिकोण के बारे में रूस द्वारा कोई टिप्पणियां या आलोचना प्रकाशित की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). 30 अगस्त को प्रवदा में जो टिप्पणी प्रकाशित हुई थी, उसे सरकार ने नोट कर लिया है । उसने सुरक्षा परिषद् में भारत द्वारा चेकोस्लोवाकिया के संबंध में उठाए गए 'वास्तविक' कदम का उल्लेख किया था ।

TV Sets for Rural Areas

3273. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of television sets proposed to be installed in Delhi in 1968-69 ;

(b) the number of sets proposed to be installed in rural and urban areas respectively ; and

(c) if the scheme is meant for urban areas only, the reasons for not installing them in rural areas ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (c). Except for the TV sets installed in Schools and tele-clubs in urban and rural areas, there is no scheme for installing any more sets for the present.

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के महासंघ द्वारा चौथी योजना के बारे में सुझाव

3274. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के महासंघ ने चौथी योजना के बारे में सरकार को एक पांच सूत्री सुझाव पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) ये सुझाव हैं : (1) अधिक उत्पादन देने वाले क्षेत्रों में अधिक पूंजी विनियोजन किया जाय ; (2) योजना सुविशिष्ट और निर्देशक होनी चाहिए ; (3) योजना लचीली होनी

चाहिए; तथा हर वर्ष उसका परिशोधन होना चाहिए ; (4) परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा प्रबन्ध उच्चतम वाणिज्यिक मानकों के अनुरूप होना चाहिए ; और (5) आर्थिक नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह लागत चेतना को बढ़ावा दे और अधिक आर्थिक प्रयत्यों को को प्रोत्साहित करे।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। इन विचारों को इस प्रश्न पर व्यक्त अन्य विचारों सहित, चौथी योजना तैयार करते समय ध्यान में रखा जायेगा। फिर भी, योजना आयोग के दस्तावेज चौथी पंचवर्षीय योजना "मार्ग-निर्धारण" उन मूल नीति सम्बन्धी विषयों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें योजना तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है। वार्षिक योजनाओं की तैयारी तथा कार्यान्वयन परिशोधन के लिए आवश्यक लचीलापन और गुंजाइश उपलब्ध करता है।

भारत सरकार के सचिवों के पदों पर नियुक्तियां

3275. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार निकट भविष्य में भारत सरकार के सचिवों के पदों पर अनेक नियुक्तियां की घोषणा करने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये सब नियुक्तियां एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में तबादलों और पदोन्नतियों के द्वारा की जायेंगी ;

(ग) क्या राज्यों के कोटे में से भी कुछ व्यक्तियों को चुना जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ; और

(ङ) भारतीय प्रशासन सेवा के कितने व्यक्तियों को पदोन्नति सचिवों के रूप में की जायेगी ;

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) से (ङ). प्रायः शासन-सचिवों को सौंपे गये कार्यों के परिवर्तन के रूप में कुछ नियुक्तियां हुई हैं अथवा निकट भविष्य में होने की संभावना है।

केन्द्र तथा राज्यों के अधिकारियों की उपयुक्ता पर विचार करने के उपरांत सचिवों के पद पर नई नियुक्तियां की जाती हैं। राज्यों को इस प्रकार का कोई यथांश (कोटा) निर्धारित नहीं किया गया है।

अमरीका द्वारा वित्तपोषित हिमालय सीमा अध्ययन परियोजनायें

3276. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 अगस्त, 1968 को लोक सभा में दिये गये उनके इन आश्वासनों के सन्दर्भ में,

कि अमरीका द्वारा वित्तपोषित हिमालय सीमा अध्ययन परियोजनाओं की सावधानीपूर्वक जांच की जायेगी, क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित और अमरीका के प्रतिरक्षा विभाग द्वारा वित्तपोषित परियोजना की विस्तृत जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). इसके बाद, कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय की 'हिमालय सीमावर्ती देश परियोजना' पर सरकार पुनर्विचार कर चुकी है ।

(ग) इस परियोजना की अनुसंधान योजनाएं रोक दी गई हैं और पूरी तरह समाप्त कर दी गई हैं ।

श्री त्रिलोक चन्द की पाकिस्तान द्वारा रिहाई

3277. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 13 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 70 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने श्री त्रिलोकचन्द की रिहाई के प्रश्न को भारत द्वारा तीन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की तथाकथित "गैर कानूनी" नजरबन्दी के साथ जोड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों से सम्बन्धित वास्तविक तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने मानवीय आधार पर कैदियों के अदला-बदली के प्रस्ताव को अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). पाकिस्तान सरकार ने अपना यह पहला प्रस्ताव फिर दोहराया है कि वह भारत में सजा काट रहे दो पाक राष्ट्रिकों में से एक से त्रिलोक चन्द्र का बदला करने को तैयार है । हमारी सूचना के अनुसार चूंकि त्रिलोक चन्द्र अपनी कैद पहले ही पूरी कर चुका है इसलिए भारत सरकार ने त्रिलोक चन्द के बदले में किसी ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रिक को रिहा करने का प्रस्ताव किया है जिसकी भारत में कैद की मियाद पूरी होने वाली हो ।

नेपाल के साथ व्यापार करार

3278. **श्री वि० न० शास्त्री :**
श्री स्वैल :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री सु० कु० तापड़िया
श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के साथ कोई व्यापार करार करने के बारे में बातचीत की गई है ;

अथवा करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 11-9-1960 को भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच व्यापार और संक्रमण सन्धि पर हस्ताक्षर हुए थे। यह 1 नवम्बर, 1960 से लागू हुआ था और 31-10-1970 को इसकी अवधि पूरी हो जायेगी।

(ख) इस संधि की एक प्रति नवम्बर, 1960 में सदन की मेज पर रख दी गई थी और गत आठ वर्षों में कई बार सदन में इस बारे में विचार-विमर्श हुआ है।

आकाशवाणी के लिये निगम

3279. **श्री वि० ना० शास्त्री :** **श्री बाल्मीकी चौधरी :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री सीताराम केसरी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी के लिये एक निगम बनाने के प्रश्न पर कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). इस विषय पर चन्दा समिति की सिफारिश अभी विचाराधीन है और आकाशवाणी के संगठात्मक ढांचे में परिवर्तन करने के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

इसराईल के प्रतिरक्षा मंत्री की पत्नी की भारत यात्रा

3281. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 नवम्बर, 1968 को इसराईल के प्रतिरक्षा मंत्री की पत्नी श्रीमती मोशें दायान भारत की यात्रा पर आई थीं;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या उन्होंने इसराईल सरकार की ओर से भारतीय छात्रों को इसराईल में पढ़ने के लिए 12 छात्रवृत्तियां देने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) श्रीमती मोशे दायां 2 से 17 नवम्बर, 1968 के बीच भारत में थीं।

(ख) इसराईल के प्रतिनिधि के रूप में एक बैठक में शामिल होने के लिए वे भारत आई थीं, यह बैठक विकासशील देशों की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में दस्तकारी की भूमिका के विशेषज्ञों की थी और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया था।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने अखबारों की वे खबरें देखी हैं जिनमें श्रीमती दायां का वह उद्धरण दिया गया है कि उन्होंने (श्रीमती दायां) इस बात पर खेद प्रकट किया है कि इसराईली सरकार ने भारतीय विद्यार्थियों को 12 छात्रवृतियां देने की जो पेशकश की थी उसे भारत ने स्वीकार नहीं किया है। इसके बारे में भारत सरकार के पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध घृणा फैलाने का प्रचार

3282. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :**
श्री न० कु० सांघी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में हाल ही में भारत के विरुद्ध घृणा फैलाने का प्रचार तेज कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि ऐसे अभियान ताशकंद समझौते का उल्लंघन करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार से इसका कोई प्रत्युत्तर मिला है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पाकिस्तान में अब भी भारत के प्रति घृणा का आन्दोलन जोरों पर है।

(ख) और (ग). पाकिस्तान का भारत विरोधी यह आन्दोलन ताशकन्द घोषणा के अनुच्छेद IV के एकदम विपरीत है और हमने इस उल्लंघन के खिलाफ कई बार पाकिस्तान सरकार से विरोध भी प्रकट किया है, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं रही। उसने भारत विरोधी आन्दोलन में कोई कमी नहीं की है।

भारत में आयोजना के बारे में एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग द्वारा विश्लेषण

3283. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में आयोजना की हाल की प्रावृत्तियों के बारे में एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग द्वारा किये गये विश्लेषण से ऐसा संकेत मिला है कि देश

आयोजना के मूल विचारों से, जिनसे पहली तीन योजनाएं बनाई गई थीं; हट रहा है;

(ख) यदि हां, तो एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के अध्ययन के इस निष्कर्ष का क्या आधार है; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में एशिया तथा सुदूर पूर्व के आर्थिक सर्वेक्षण से—1967 में टिप्पणी की गई है।

टिप्पणी निम्न विश्लेषणों पर की गई है :—

(1) तीन वार्षिक योजनाओं तथा चौथी योजना के स्थगन से जैसा कि स्पष्ट है अल्प-कालीन अनुभव की नीतियां विकासशील आयोजन के स्थान पर अपनाई गई हैं, जो कि विगत वर्षों में दीर्घकालीन सम्भावनाओं पर विशेषरूप से आधारित थीं।

(2) विगत वर्षों में वित्तीय साधनों की उपलब्धि की इन्तजारी की अपेक्षा विनियोजन आयोजन द्वारा इस प्रकार की बचत निर्माण की नीति अपनाना था जो कि साधन जुटाने की प्रक्रिया का मार्ग-दर्शन करे। वर्तमान नीति साधनों को जुटाने में कम प्रयत्नों के द्योतक निम्न-दबाव की परिवर्तन नीति की ओर संकेत करते हैं; और

(3) योजना प्राथमिकताओं यानी औद्योगीकरण से कृषि की ओर मुड़ने पर बल दिया गया है।

सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में इस प्रकार की सूचना तथा टिप्पणियां हैं जो यथार्थ पर आधारित नहीं हैं और संदेहात्मक मान्यता के आर्थिक उक्तियों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गये हैं।

आयोजन के मूल विचारों से नहीं हटा गया है। असाधारण अवस्थाओं में ही चौथी योजना को अन्तिम रूप देने में देरी हुई है। इस तथ्य को इकाफे सर्वेक्षण भी मानता है। योजना प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान न पड़े, इस दृष्टि से ही 1966 से 1969 की अवधि के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गईं। इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों का विदेशियों से विवाह

3284. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को विदेशियों के साथ विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती; और

(ख) यदि हां, तो वे किन शर्तों पर ऐसा कर सकते हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को अब भारतीय राष्ट्रिकता से इतर राष्ट्रिकता के व्यक्ति से विवाह करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जाती है ।

आकाशवाणी द्वारा अनुश्रवण (मानिटरिंग) सेवा

3285. **श्री एस० डी० सोमसुंदरम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी की अनुश्रवण सेवा से सम्बधित संस्था को पर्याप्त राष्ट्रीय महत्व की संस्था माना जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि शिमला में अनुश्रवण सेवा के कार्यालय का प्रमुख अधिकारी सन्दिग्ध चरित्र वाला व्यक्ति है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसके चरित्र तथा उसके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किये जाने के बारे में कुछ गम्भीर शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). कुछ शिकायतें पहले प्राप्त हुई थीं परन्तु वे ठीक साबित नहीं हुई थीं । कुछ शिकायतें हाल में प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है ।

राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन

3286. **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंगलैंड में होने वाले राष्ट्र मण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारत को आमन्त्रित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा क्या मामले उठाये जायेंगे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) सम्मेलन से संबंधित विचार-विमर्श अनौपचारिक और गोपनीय हैं। कार्य-सूची को अग्रिम रूप में प्रचारित करने की प्रथा नहीं है।

गुड़गाव में प्रतिरक्षा के लिये ली गई भूमि का वापिस किया जाना

3287. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुड़गांव के ग्रामीणों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह प्रार्थना की गयी है कि गोला बारूद डिपो, हवाई अड्डा और अन्य प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये अर्जित की गयी भूमि लोगों को वापिस लौटा दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में ग्रामीणों की क्या मुख्य मांगें प्रस्तुत की गयी हैं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं :—रक्षा प्रयोजन में न बनाने वाली बेकार पड़ी हुई भूमि उन्हें दे दी जाय तथा रक्षा सेनाओं को जो भूमि चाहिए वह वे स्थाई रूप से अधिग्रहीत कर लें।

(ग) 31-7-1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 236 के उत्तर में मैं सदन को पहले ही सूचित कर चुका हूं कि रक्षा प्रयोजन में न आने वाली बेकार पड़ी 415 एकड़ भूमि को वापस देने और शेष भूमि अधिग्रहीत करने के संबंध में निर्णय लिए जा चुके हैं और उन्हें कार्यान्वित करने का काम हाथ में लिया गया है।

पूर्वी पाकिस्तान में रवीन्द्र नाथ टैगोर के अवशेष

3288. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में महाकवि रविन्द्रनाथ नाथ टैगोर के अवशेषों के परिरक्षण के बारे में पाकिस्तानी दूतावास ने एक भ्रामक प्रेस विज्ञाप्ति जारी की है ;

(ख) क्या उस विज्ञप्ति में कुस्तियां जिले के सिलैदाह की कूतिबाड़ी का उल्लेख किया गया है, परन्तु पंबना जिले में सहजादपुर के कवारीबाड़ी के बारे में जिसके बारे में प्रधान मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान सरकार को इसे ठीक तरह से सुरक्षित रखने के लिये कहा जायेगा, कुछ नहीं बताया गया ;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान की भ्रामक प्रेस विज्ञप्ति के बारे में पाकिस्तान सरकार को कोई पत्र लिखा है और सहजादपुर की कचारीबाड़ी के बारे में ताजा सूचना देने के लिये कहा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). हमारी पूछताछ के जवाब में, पूर्व पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि कवीन्द्र रवीन्द्र के शाहजादपुर-स्थित घर, 'काचारी बाड़ी' की पहली मंजिल का इस्तेमाल डाक बंगले के रूप में, उनके अध्ययन कक्ष का इस्तेमाल सार्वजनिक पेशाबघर के रूप में किए जाने से संबद्ध आरोप और फर्नीचन, कलाकृतियों और दूसरी चीजों के टूटने/खोजाने से संबद्ध आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं । उनका कहना है कि इस इमारत की, पुस्तकालय की तथा इसके फर्नीचर और दूसरी चीजों की उचित देखभाल और हिफाजत की जा रही है ।

Film "Aulad"

3289. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that disrespect has been shown to Pandas of Nepal in the Film "AULAD" released recently ;

(b) whether the Members of the Censor Board did not notice this fact while passing the film for exhibition ; and

(c) whether this film would be re-examined by the Censor Board and the portion in which disrespect has been shown to Pandas of Nepal would be deleted ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (c). The Central Board of Film Censors have duly certified the film for exhibition after considering all implications. In their opinion no disrespect to the Pandas was either intended or involved.

विदेशों में फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट

3290. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में कुछ भारतीय फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन फिल्मों के क्या नाम हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख). सूचना भारतीय दूतावासों की मार्फत एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

भारतीय वायु सेना के एक विमान का चांदा के निकट मजबूरन नीचे उतरना

3292. **श्री वेणी शंकर शर्मा** :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1968 को नागपुर से 100 मील की दूरी पर चांदा के निकट,

भारतीय बायु सेना के एक विमान को मजबूरन नीचे उतरना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जांच अदालत की कार्यवाहियां अभी पूरी नहीं हुई हैं ।

"बल प्रयोग न करने" की घोषणा

3293. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू सत्र में भारत सभी राष्ट्रों, विशेषकर बड़ी शक्तियों को "बल प्रयोग न करने की घोषणा" से सहमत कराने के लिए राजी करने का प्रयत्न करता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में किसी का समर्थन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) महा सभा के एक औपचारिक संकला लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). स्वयं संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सदस्य राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में किसी भी राज्य के खिलाफ शक्ति को न तो धमकी देंगे और न शक्ति का इस्तेमाल करेंगे । संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 2131(xx) और 2160 (xxi) पास किए जिनमें दूसरी बातों के साथ-साथ इस चार्टर की अपेक्षाओं का सख्ती से पालन करने की बात भी कही गई है । महासभा ने शक्ति के प्रयोग समेत कुछ बुनियादी सिद्धान्तों को स्थिर कर एक व्यापक घोषणा तैयार करने के लिए 31 सदस्य राज्यों की एक विशेष समिति बनाई है । भारत इस समिति का सदस्य है और दूसरों के साथ मिल कर इस तरह की घोषणा तैयार करने में व्यस्त हैं ।

रेडियो और टेलीविजन प्रसारण कर्मचारियो के प्रशिक्षण का संस्थान

3294. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**

श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को ने एशिया में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण कर्मचारियों

को अग्रेतर प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्था स्थापित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने उक्त प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है ।

मुरादाबाद के निकट एक उड़ती हुई वस्तु का फटना

3295. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के निकट एक बहुत तेज रफ्तार से उड़ती हुई वस्तु 7 सितम्बर, 1968 को फट गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच पूरी हो गई है कि यह विस्फोट किस प्रकार का था ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या किसी विदेश द्वारा भेजी गई कोई जासूसी की वस्तु थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

रोडेशिया के स्वतंत्रता सेनानियों की दया याचिकाओं को अस्वीकार किया जाना

REJECTION OF MERCY PETITIONS OF RHODESIAN FREEDOM FIGHTERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री चिन्तामणि पाणिग्रही तथा श्री मधु लिमये ने सूचित किया है कि रोडेशिया के स्वतंत्रता सेनानियों की दया याचिकायें अस्वीकार कर दी गई हैं और लगभग 36 व्यक्तियों को फांसी पर लटकाया जायेगा । यह लोमहर्षक समाचार है तथा सारा सदन यह चाहता है कि उन्हें बचाया जाये । हमारी यह अपील कि, उनका जीवन बचे, आगे पहुंचा दी जाये । मेरे विचार में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं का भी हो, उनके लिए फांसी का दण्ड नहीं चाहेगा ।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

श्री जी० मो० विस्वास की पश्चिम बंगाल में कथित अवैध गिरफ्तारी

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : कल श्री जि० मो० विस्वास ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था, उसके बारे में मैंने राज्य सरकार द्वारा भेजे गये कागजों को देखा है तथा उनकी एक प्रति अध्यक्ष महोदय को भी भेजी है । क्योंकि एक या दो प्रश्नों की स्थिति स्पष्ट नहीं है । मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभा-पटल पर रखा गया पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

भारतीय सांख्यिकीय संस्था समीक्षा समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

उपमंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : श्रीमती इन्दिरा गांधी की ओर से मैं भारतीय सांख्यिकीय संस्था समीक्षा समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2500/68]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

इकतालीसवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का इकतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

रोडेशिया के स्वतंत्रता सेनानियों की दया याचिकाओं को अस्वीकार किया जाना—जारी
REJECTION OF MERCY PETITIONS OF RHODESIAN FREEDOM FIGHTERS—Contd.

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Tomorrow evening the British High Commissioner is going to play host to Mr. Michael Stewart and has invited the members of

Parliament too. On the one hand, 36 persons are going to be hanged and on the other hand, people are being feasted. You should tell the Prime Minister to ask Mr. Michael Stewart to go from here at once, if he cannot save the lives of these people.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, the facist Government in Rhodesia has declared independence for that country. The African National Congress has opened an office today with the cooperation of the people. I have been informed today that 36 persons are going to be hanged. A party is being arranged in his honour. I have also received invitation to that but I will boycott it and I request others also to do likewise. I want that Government should convey our feelings to the Mr. Wilson, Prime Minister of Britain and to the U. S. Government and to Mr. U. Thant, Secretary General of U. N. O.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I am of the opinion that the attitude of the Government of U. K. is bad but we should not boycott the reception to be given to Mr. Michael Stewart.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

अध्यक्ष महोदय : हमें अपना विरोध एक अच्छे ढंग से प्रकट करना चाहिए । सारे सदन की ओर से हमने इस बात का विरोध किया है । **व्यवधान**** यह बात लिखी न जाये । संसद सर्वोपरि है । मुझे सरकार का पता नहीं है कि वह क्या करेगी ।

सड़क परिवहन जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी
MOTION RE : FINAL REPORT OF ROAD TRANSPORT ENQUIRY COMMITTEE—Contd.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, there are by-passes to national highways but no such by-passes exist for villages through which roads pass. The result is that there occur accidents in the villages due to these roads. I suggest construction of by-passes to the villages too.

My second suggestion relates to construction of "approach-roads" to the villages which are four to five miles from the road. The villages can give their lands for such roads and Government must provide funds.

My third suggestion is that local buses should be hired for ten miles or so in the villages. I would also suggest revision of transport fares as the cities have enlarged and the distance thereby has decreased but the fares have not been decreased in that ratio.

There are no bus stops in the villages where roads pass. The same should be provided for.

There is much over crowding in buses in the villages. The Motor Vehicles Act is not being enforced strictly there. I suggest that mini-buses should be put in vogue in villages. There should be sheds on the roads in rural areas and as a result thereof passengers have to go in rain and sun.

** अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।
**Not-recorded.

Much improvement should be done in the system of R. T. A. The Chairman of R.T.A. is the Divisional Commissioner who is awfully busy in other work. He nominates his own friends as members of R.T.A. I suggest the Chairman of R. T. A. should be a whole time paid person of the rank of Sessions Judge. There should be public men and non-officials as members of R. T. A. and they should be whole-timers.

The permits given for transport in rural areas have become the monopoly of certain people. I suggest that ex-servicemen, Harijans, transporters, conductors and drivers should be given those permits.

I would also suggest that in Delhi the permits for DLY and DLZ vehicles have been monopolised by certain sections only and they profit from them. I hope the Hon. Minister would give a thought to it.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Sir, the transport problems is faced with some defects. For nationalisation you require finance which we lack. We should have more foreign exchange for motor transport. The railways cannot cope with this problem. They are busy with transportation of military equipment. Why do not Government have some big tankers.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

I endorse what Shri Shashi Bhushan stated that the transporters give lakhs of rupees. I say they give it to the Ministers and even the late Prime Minister was not spared of it. More attention should be paid to the problem of transport.

Whereas Pakistan has integrated all the areas of Punjab, Sind, Frontier Province, Chitral, Bulochistan, etc., we have divided Punjab into four parts.

I suggest that the permits should be given for the whole of the country instead of giving it for certain areas.

We should pay attention to the difficulties being faced by conductors, drivers and operators.

In Delhi we find that there is shortage of kerosene.

I endorse the feelings of certain members that there should be a Board for motor transport on the lines of Railway Board. It is bad that Chairman and Members in transport authorities are appointed due to nepotism or on political grounds. We already suffer due to it in our public undertakings where Government have appointed politicians as their heads.

I am against monopoly in the giving of permits. The permit should be for the whole of the country and tax on that can be on the basis of distance.

I want strong men to be appointed in transport bodies. The roads should be in proper condition and the work of Transport should be smoothened.

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : केसकर समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान बहुत से रचनात्मक सुझाव दिये गये हैं । मोटर गाड़ी और सड़क परिवहन राज्य का विषय होने के कारण मैं इस चर्चा के रिकार्ड के सारांश राज्य सर-

सरकारों तथा सम्बन्धित मंत्रियों को भेजूंगा । जब तक राज्य सरकारें इन सुझावों को स्वीकार नहीं करतीं तब तक हम इन सुझावों को क्रियान्वित नहीं कर सकते । चर्चा के दौरान इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि मोटर परिवहन के विस्तार को ध्यान में रखते हुए मोटर गाड़ियों पर कर अधिक हैं । मैं भी इस बात से सहमत हूं । परन्तु इस सम्बन्ध में मेरा दृष्टिकोण यह रहा कि करों को कम करने के स्थान पर हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सड़क प्रयोक्ताओं से प्राप्त धनराशि यथासम्भव सड़कों के लिए ही खर्च की जाय । ऐसा करने से हमारे ध्येय की पूर्ति हो सकती है ।

जहां तक वर्तमान सभी करों के स्थान पर ईंधन कर लगाने का सम्बन्ध है, वह सिफारिश केसकर समिति की है और इसे परिवहन विकास परिषद को भेजा गया था परन्तु उन्होंने सर्वसम्मति से यह विचार व्यक्त किया था कि यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है । अतः राज्य सरकारों ने उसे स्वीकार नहीं किया है ।

श्री मुहम्मद इस्माइल ने वड़े एककों पर अधिक कर लगाने का सुझाव दिया है । जहां तक सड़क परिवहन उद्योग का सम्बन्ध है मेरे विचार में अभी इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है । यह उद्योग अभी निम्न मध्य वर्ग के लोगों के हाथ में है । मोटर गाड़ी अधिनियम में परमिट देने के लिए सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने का उपबन्ध है । कुछ राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों को भी प्राथमिकता दी जाती है ।

जहां तक चुंगी और पड़ताल चौकियों का सम्बन्ध है सभा के सभी दल इस बात से सहमत हैं कि इनकी संख्या अत्यधिक है और ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं । मैसूर में परिवहन विकास परिषद् की बैठक में राज्य सरकारों के सभी प्रतिनिधि इस बात पर सहमत थे कि चुंगी समाप्त कर देनी चाहिए और इसके स्थान पर केसकर समिति द्वारा दिये गये सुझावों में से कोई और कर लगा देना चाहिए । परन्तु मुझे खेद है कि पिछले दो-तीन महीनों में कुछ राज्यों में इन सुझावों के विपरीत कार्य हुये हैं । अब तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोई चुंगी नहीं लगाई जाती थी परन्तु अब सुझाव दिये जा रहे हैं कि कलकत्ता निगम को चुंगी लगानी चाहिये क्योंकि इससे निगम को 5 करोड़ रुपये की आय होगी । मैंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का ध्यान केसकर समिति की सिफारिशों और परिवहन विकास परिषद् की ओर दिलाया है और उन्हें सुझाव दिया है कि वह राजस्व प्राप्त करने के लिए किसी अन्य प्रकार का कर लगा सकते हैं ।

वास्तव में सबसे खतरनाक बात यह है कि नगरपालिकाएं ही नहीं बल्कि ग्राम पंचायतों को भी चुंगी लगाने की अनुमति दी गई है । यदि यही स्थिति बनी रही तो सड़क परिवहन की क्या दशा होगी । यह एक गम्भीर समस्या है और मुझे आशा है कि इस सभा में व्यक्त किये गये विचारों का नैतिक प्रभाव राज्य सरकारों पर पड़ेगा । मैं इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करूंगा जिससे परिवहन विकास परिषद् की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सके ।

यह कहना ठीक नहीं कि सरकार इस प्रकार के प्रतिवेदनों में उल्लिखित सिफारिशों को

लागू नहीं करती । मुझे आशा है कि मैं यह सत्र समाप्त होने से पूर्व एक ब्योरेवार सूची सभा-पटल पर रख सकूंगा जिसमें विभिन्न समितियों की सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्योरा होगा । सामान्यत: हम इन सिफारिशों को राज्य सरकारों को भेज देते हैं । फिर यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह उन्हें क्रियान्वित करे या न करे । हम तो केवल सिफारिशें स्वीकार करने के लिये उसे कह सकते हैं । कोई राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार करों में कटौती करने से सहमत नहीं हो सकती क्योंकि उन पर खर्च बढ़ाने का बोझ बना रहता है । उन्हें कई योजनाओं को क्रियान्वित करना होता है जिसके लिये उन्हें धन की आवश्यकता होती है ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि सड़क परिवहन का विस्तार होना चाहिये । परन्तु इससे पूर्व सड़कों की दशा सुधारने की आवश्यकता है । यह ठीक है कि गत कुछ वर्षों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने राजपथों आदि के सम्बन्ध में बहुत कम खर्च किया है । इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया है कि रेलवे की तरह एक अलग सड़क बजट बनाया जाये । परन्तु मेरे विचार में यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है । रेलवे एक केन्द्रीय विषय है परन्तु सड़कों का विषय आंशिक रूप से राज्यीय और आंशिक रूप से केन्द्रीय है । अत: अलग से सड़क बजट बनाना कठिन कार्य है । हमारे पास केन्द्रीय सड़क निधि है जिसमें 5 करोड़ रुपये की धनराशि है । इसमें से राज्य सरकारें 80 प्रतिशत तक और केन्द्रीय सरकार 20 प्रतिशत तक खर्च कर सकती है । इस निधि में वृद्धि करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं । परन्तु इसके साथ ही अतिरिक्त कर लगा कर इसे बढ़ाना सम्भव नहीं है ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : It may not be increased but has he got funds to import vehicles to meet the defence needs ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस सम्बन्ध में सीमा सड़क संगठन कार्यवाही करता है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और इस सम्बन्ध में उनसे कोई शिकायत नहीं है । 15,000 और 16,000 फुट की ऊंचाई पर सड़कें बनाने का जो उन्होंने कार्य किया है वह बहुत शानदार है । मुझे प्रतिरक्षा सड़कों की नहीं, असैनिक सड़कों की अर्थात् राष्ट्रीय राजपथों और राजकीय राजपथों के बारे में चिन्ता है जिनका सम्बन्ध व्यापार, उद्योग एवं कृषि से है । मैं इस सम्बन्ध में अधिक धन उपलब्ध करना चाहता हूं ।

जहां तक पश्चिम बंगाल में पश्चिमी तट सड़कों का सम्बन्ध है उसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है । इस सड़क का निर्माण कार्य संतोषपूर्ण ढंग से चल रहा है और अब केवल तीन पुल बनने शेष हैं । मांडवी पर कार्य पूरा होने ही वाला है । काली पर निर्माण कार्य में कुछ गड़-बड़ थी अब वह ठेका नये ठेकेदार को दिया गया है । हेनोवर पर भी योजना के अनुसार कार्य हो रहा है । वर्ष 1969 के अन्त तक यह सड़क बहुत सुन्दर बन जायेगी ।

मोटर चालकों को ऋण की सुविधाएं देने की बात कही गई है । यह मामला परिवहन विकास परिषद् को भेजा गया था । उन्होंने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है । फिर मैंने

राष्ट्रीय ऋण परिषद् के अध्यक्ष उप-प्रधान मंत्री को लिखा था। राष्ट्रीय ऋण परिषद् ने इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है। मुझे आशा है कि मोटर चालकों को ऋण देने के लिये कुछ व्यवस्था की जायेगी।

केसकर समिति अन्तर्राज्यीय आयोग पुनर्गठन सम्बन्धी प्रस्तावों का परिवहन विकास परिषद् ने अनुमोदन कर दिया है और हम इन प्रस्तावों को ठोस रूप प्रदान कर रहे हैं।

मैं इस बात से सहमत हूं कि अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग को कर लगाने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। फिर बिना संविधान में संशोधन किये ऐसा करना सम्भव भी नहीं है। परिवहन विकास परिषद् में भी राज्य सरकारें इस पक्ष में नहीं थीं कि उपरोक्त आयोग को कर लगाने के अधिकार दिये जायें।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर 9 मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Nine Minutes past Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

डा० वी० के० आर० वी० राव : परिवहन विकास परिषद् ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि अध्यक्ष पूरे समय के लिये होना चाहिये। वह व्यक्ति अच्छी ख्याति का होना चाहिये और उसे विशिष्ट ज्ञान होना चाहिये।

यह सुझाव दिया गया है कि अन्तर्राज्यीय परमिट जारी किये जाने चाहिये ताकि सारे भारत में मोटर गाड़ियां आ-जा सकें और अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग जैसे किसी केन्द्रीय संगठन को ही ये परमिट जारी करने चाहिये और प्रत्येक राज्य सीमा पर इन परमिटों पर प्रति हस्ताक्षर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय समझौतों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहा है। इससे अन्तर्राज्यीय परिवहन को एक स्थान पर कर देने की सुविधा हो जायेगी। यह व्यवस्था दक्षिणी क्षेत्र के चार राज्यों में बड़े सुचारुरूप से चल रही है। प्रत्येक राज्य की 200 मोटर गाड़ियों को अन्य राज्यों में निर्बाध जाने की अनुमति है। इस प्रकार सभी राज्यों से एकत्र हुई राशि को सभी राज्यों में बांट दिया जाता है।

सभा को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि परिवहन विकास परिषद की एक हाल की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक राज्य से 50 टैक्सियों और 10 बसों को पर्यटक वाहनों के रूप

में समूचे देश में निर्बाध आने-जाने की अनुमति दी जायेगी और उन्हें केवल अपने राज्य में ही कर चुकाना होगा। इन बसों और टैक्सियों पर विशेष रंग की पालिश हुई होगी। इस प्रस्ताव से सभी राज्य सरकारों ने सहमति व्यक्त की है। अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग क्षेत्रीय करारों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहा है। मेरे विचार में इस आयोग को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। इस बारे में राज्यों के मंत्रियों ने अनेक आपत्तियां उठायी थीं। हमने कहा है कि इस बारे में नियम राज्यों से मंत्रणा करने के बाद तैयार किये जायेंगे।

हम चाहते हैं कि दूर स्थित राज्यों से लोगों को परमिट प्राप्त करने के लिए दिल्ली न आना पड़े। इसके लिये राज्य सरकारों को अधिकार दिये जायेंगे अथवा आयोग की राज्यों में शाखाएं खोली जायेंगी। इस बारे में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा। यह मांग की गयी है कि हमें राष्ट्रीयकृत परिवहन को पुनः निजी क्षेत्र में ले लेना चाहिए। मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं, क्योंकि हमारे देश में बहुत कम सड़क परिवहन सरकारी क्षेत्र में है। यह बात सच नहीं कि सभी सरकारी परिवहन उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। महाराष्ट्र तथा गुजरात में सरकारी परिवहन उपक्रम बहुत लाभ से कार्य कर रहे हैं। इस समय हमारे देश के कुल सड़क परिवहन का केवल 37 से 38 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में है। हमारे अनुमान के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह 42 से 43 प्रतिशत तक हो जायेगा। ऐसी स्थिति में भी निजी परिवहन कम्पनियों के लिये काफी कार्य होगा।

सड़क परिवहन छोटे वर्ग के लोगों के हाथ में है। उनमें से अधिकांश भूतपूर्व सैनिक हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि इन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाये और इन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें। ट्रक वालों ने 1965 में भारत-पाक युद्ध में जो योगदान दिया था, वह बहुत सराहनीय था। हम उनके योगदान को नहीं भूले हैं तथा हम चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक सुविधायें दी जायें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने एक अध्ययन दल का गठन किया था। अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि सड़क परिवहन को सुदृढ़ बनाने के लिए पांच-पांच अथवा दस-दस ट्रकों का एक एकक बनाया जाना चाहिये।

श्री मुहम्मद इस्माइल ने सुझाव दिया है कि हमें सड़कों पर परिवहन कार्यकर्त्ताओं के लिये सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए। मैं इस सुझाव से सहमत हूं। इस प्रश्न को मैसूर परिवहन विकास परिषद में भी उठाया गया था। यह निर्णय किया गया है कि इस सम्बन्ध में एक अध्ययन दल का गठन किया जाये जिसमें तेल कम्पनियों तथा अन्य सम्बन्धित हितों के प्रतिनिधि हों। यह दल देखेगा कि परिवहन के कार्य में लगे लोगों को मार्गों पर किस प्रकार अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं। मोटर गाड़ी परिवहन कार्मिक अधिनियम के अन्तर्गत मोटर परिवहन में लगे मजदूरों के कल्याण का ध्यान रखा जाता है। इस सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय ने भी एक समिति गठित की है। मैं मानता हूं कि बैल गाड़ी वालों का सड़कों पर हर तरह से ख्याल किया जाना चाहिए।

श्री लोबो प्रभु : मंत्री महोदय को सड़कों की हालत और उनमें सुधार करने के बारे में भी बताना चाहिए और दिल्ली परिवहन के बारे में भी ।

डा वी० के० आर० वी० राव : दिल्ली परिवहन दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत है । हम तो केवल ऋण आदि देते हैं । हमने उन्हें सुझाव दिया है कि वे अन्य नगरों की परिवहन समस्या का अध्ययन करें ।

हमारी सड़कों की हालत के खराब होने का कारण यह है कि उनके बारे में राशि तो केन्द्र देता है परन्तु योजनाओं की कार्यान्विति राज्य सरकारों के हाथ में है । इस सम्बन्ध में हम एक समिति नियुक्त करेंगे जो यह सुनिश्चित करेगी कि सड़कों के रखरखाव के लिये दी गई राशि का ठीक तरह प्रयोग किया जाये ।

Shri Kameshwar Singh : Attention should be paid towards rural roads. There is dearth of roads in Northern Monghyr. The Minister should pay attention to that.

बीमा (संशोधन) विधेयक
INSURANCE (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि साधारण बीमा का कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं पर सामाजिक नियन्त्रण के विस्तारण का और तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने के लिए तथा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में भी संशोधन करने के लिए विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय ।"

बीमा (संशोधन) विधेयक सभा में 8 अप्रैल, 1968 को प्रस्तुत किया गया था तथा 13 अगस्त, 1968 को इसे दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया था । समिति ने 11 नवम्बर को अपना प्रतिवेदन पेश किया था । समिति ने अपने प्रतिवेदन में अनेक परिवर्तनों का सुझाव दिया है । इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रीमियम की दर उचित होनी चाहिये । बीमा पालीसी धारकों की पूर्ण सुरक्षा हो और उनकी निधियों को ठीक प्रकार से प्रयोग में लाया जाये और उद्योग ठीक ढंग से चले । सामान्य बीमे के धन लगाने को नियमित किया जा रहा है । अब किसी को निर्बाध शक्ति नहीं होगी । अब जीवन बीमे के लिये एकत्रित धन की भांति ही समान्य बीमे के धन को लगाये जाने को नियमित किया जायेगा ।

पालीसी धारकों के हितों की सुरक्षा भी इस विधेयक का एक उद्देश्य है । अब बीमा कम्पनियों को कानूनी तौर से अधिक राशि जमा करानी होगी । संयुक्त समिति ने इसके लिये 20 लाख रुपये की सिफारिश की है । इस प्रकार के और उपाय भी किये जा रहे हैं ।

सामाजिक नियंत्रण का एक तरीका उचित प्रीमियम दरों की व्यवस्था करना है । बीमा नियन्त्रक को और अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं । उनको विधेयक की धारा संख्या 33, 34 से 34-ज में दिया गया है ।

संयुक्त समिति ने इन उपबन्धों पर विशेषरूप से ध्यान दिया है। अब नियंत्रक को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त होंगे। उसे बीमा कम्पनी के मुख्य अधिकारियों के हटाने का अधिकार होगा। अब एक सलाहकार समिति बनायी जायगी। इसके अध्यक्ष बीमा नियंत्रक होंगे। एक अन्य उपबंध के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को नियन्त्रक के निर्णय के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा और केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

विधेयक में बीमा एजेन्टों के कमीशन से सम्बन्धित उपबन्धों में भी संशोधन किया गया है। सामान्य बीमों में लाभांश अधिकतर वाणिज्य और उद्योगों से, जहां बीमा एक व्यापारिक आवश्यकता है, प्राप्त किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप एजेंट व्यापार पर नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों के साथ कमीशन में भाग लेते हैं विशेषतौर से अग्नि बीमा में जहां व्यक्तिगत पालिसियों पर प्रीमियम बहुत अधिक होता है। पुरःस्थापित किये गये विधेयक में आग-बीमा व्यापार दिये जाने वाले अधिकतम कमीशन को कम करने और उसे खंड आधार पर विनियमित करने का प्रयत्न किया गया है। संयुक्त समिति का यह विचार है कि खंड प्रणाली के परिणाम-स्वरूप हिसाब लगाने में व्यावहारिक कठिनाई होगी और कमीशन के शीघ्र भुगतान करने में कठिनाई होगी। अतः यह निश्चित किया गया कि कमीशन की वर्तमान समान प्रणाली को जारी रखा जाये लेकिन उसके साथ-साथ समुद्री व्यापार में अधिकतम दर 5 प्रतिशत कम कर दी जाये।

विधेयक में दो और महत्वपूर्ण बातों की व्यवस्था की गई है जो सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण अंग है। विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि नियंत्रक दो या दो से अधिक बीमाकर्ताओं के एकीकरण के लिये एक योजना तैयार कर सकता है यदि वह यह उचित समझे कि ऐसा करना लोकहित या पालिसीधारियों या शेयरधारियों के हित में हो। प्रस्तावित योजना को केन्द्रीय सरकार के सम्मुख रखा जायेगा और वही इसका अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

यदि कोई बीमाकर्त्ता नियंत्रक द्वारा दिये गये निदेशों का पालन नहीं करता या पालिसी-होल्डर या शेयरहोल्डरों के हित के विरुद्ध काम करता है तो सरकार उसकी पालिसी को ले लेगी और उसको मुआवजा दे देगी।

संयुक्त समिति ने यह निर्णय किया है कि कुछ अन्य उपबन्ध भी उन पर लागू किये जाने चाहिये। मुख्यता ये धाराएं रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण सम्बन्धी धारा 3-ए, प्रबन्ध व्यय पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी धारा 40-सी, और अनुमोदित पुनः बीमाकर्ताओं के पुनः बीमा की अनिवार्य समाप्ति सम्बन्धी धारा 101-ए हैं।

संयुक्त समिति के सामने यह विचार भी लाया गया है कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में सामान्य बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता होगी। सरकार ने समिति को आश्वासन दिया था कि विधेयक के खण्ड 14 और

41 को तब तक लागू नहीं किया जायेगा जब तक बीमा कर्मचारियों के बारे में बोनस संदाय अधिनियम में उचित तौर से परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"साधारण बीमा का कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तारण का और तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने के लिए तथा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में भी संशोधन करने के लिए विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय"

कुछ संशोधन परिचालन के लिये हैं । क्या उनको प्रस्तुत किया जा रहा है ।

विधेयक पर राय जानने के लिये इसे परिचालित करने से सम्बन्धित चार संशोधन सर्व श्री जार्ज फरनेन्डीज, शिव चन्द्र झा, रामावतार शास्त्री और विश्वनाथ पाण्डे द्वारा प्रस्तुत किये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : समय के बारे में भी प्रश्न उठाया गया था । इस विधेयक के लिये पांच घंटे का समय निर्धारित किया गया था । अत: ऐसे अवसरों, जब इतने महत्वपूर्ण विधि सम्बन्धी विषयों पर चर्चा की जा रही हो तो उचित यही होगा कि बी. ए. सी. के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को समय में वृद्धि किये जाने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये । अब मैं इस पर सामान्य चर्चा के लिये 2 घंटे, खंडवार चर्चा के लिये 2 घंटे और तीसरे वाचन के लिये एक घंटे का समय निर्धारित करता हूं ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : You have just stated that extension of time to more than half an hour is not within your power. So I will request that the matter may be placed before the Business Advisory Committee and three hours should be allotted for discussion on it.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : (मंदसौर) हमें खंडवार चर्चा के लिये पूरा समय दिया जाना चाहिये और फिर इसका तीसरा वाचन किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सामान्य चर्चा के लिये $2\frac{1}{2}$ घंटे का समय अन्तिमरूप से निर्धारित किया गया है ।

श्री चं० चु० देसाई : (साबरकंठा) उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के सामान्य बीमा व्यापार में अनुशासन लाने के बारे में व्यक्त की गई इच्छा से हमें सहानुभूति है लेकिन हम इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि संयुक्त समिति से निकला है और इस समय सभा में विचाराधीन है ।

[**श्री रा० ढो० भंडारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

कांग्रेस द्वारा लाये गये संकल्प की ये तीन मुख्य बाते थीं—बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सामान्य

बीमा का राष्ट्रीयकरण और निजी थैलियों का समाप्त किया जाना। बैंकों के राष्ट्रीयकरण किये जाने के बारे में हमें विदित ही है। इसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया था।

सामान्य बीमा के सामाजिक नियंत्रण की मांग की गई थी। किसी हद तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात को समझा जा सकता था लेकिन सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण किया जाना न्यायोचित नहीं है। 1960 में जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ सामान्य बीमा के पर्याप्त भाग का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। ओरियन्टल बीमा कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप ओरियंटल आग और सामान्य बीमा कम्पनी का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। बहुत-सी और छोटी कम्पनियों का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। सामान्य बीमा का आधे से ज्यादा राष्ट्रीयकरण हो चुका है और जो कुछ भी रह गया है और लोगों का यह विचार है कि उनके पास काफी धनराशि है जिसका प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है तो मैं यह कहूंगा कि वह धनराशि बहुत कम है। अतः राष्ट्रीयकरण के लिये केवल नाममात्र के लिये शोर मचाया जा रहा है।

यदि सामान्य बीमा व्यापार में अभी सुधार की और आवश्यकता है तो यह सुधार जीवन बीमा निगम में किया जाना चाहिये।

बीमे के मामले में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई विभेद नहीं होना चाहिये। सरकारी क्षेत्र की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र अधिक कार्यदक्ष और अधिक लाभकारी हैं। सरकारी क्षेत्र की प्रबन्ध व्यवस्था बहुत खराब रही है। कुल 3000 करोड़ रुपये के विनियोजन पर एक प्रतिशत भी लाभ नहीं होता। लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है कि बहुत-सी कम्पनियां लाभ अर्जित कर रही हैं। हमें सरकारी क्षेत्र उपक्रमों का अनुभव रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि वित्त मंत्री को सरकारी क्षेत्र उपक्रमों की कठिनाइयों और कमियों का ज्ञान होते भी वे इनके क्षेत्र के विस्तार के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

जहां तक सामाजिक नियंत्रण का प्रश्न है, यह राष्ट्रीयकरण से भी खराब है। सामाजिक नियंत्रण के अन्तर्गत बीमा नियंत्रक के पास समूचे अधिकार होते हैं। मंत्री महोदय मुआवजा देने में असमर्थ हैं अतः वे राष्ट्रीयकरण की बात नहीं सोच सकते। अतः वे राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

किसी भी कम्पनी में शेयरधारी विशेषाधिकार द्वारा निदेशकों, अध्यक्ष और संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं। इस मामले में सरकार शेयर होल्डर नहीं है फिर भी बीमा नियंत्रक को किसी निदेशक की नियुक्ति की अनुमति देने और उसे निकालने का अधिकार है। ये कार्य शेयरधारियों को सौंपे जाने चाहिये थे और किसी प्रकार का मुआवजा दिये बिना तथा कम्पनी का अधिग्रहण किये बिना सरकार को ये कार्य अपने हाथ में नहीं लेने चाहिये थे।

यदि सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो यह सामाजिक नियंत्रण की अपेक्षा सीधा उपाय होता क्योंकि इस प्रकार से कम्पनियां सरकारी उपक्रम बन जातीं और तब

वे सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के द्वारा संसद के नियंत्रण में आ जातीं। लेकिन सामाजिक नियंत्रण के आधीन वे सरकारी उपक्रमों के अन्तर्गत नहीं आती हैं अतः वह संसद के क्षेत्राधिकार में भी नहीं आती हैं।

सरकारी कार्यों के लिये धन का उपयोग किये जाने की बात कही जाती है। इस बारे में हमारा अनुभव भिन्न रहा है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने पंजाब नेशनल बैंक को एक ऐसे उद्योगपति को काफी धन देने की सलाह दी जो देश की एक प्रमुख इस्पात कम्पनी के शेयर खरीद रहे हैं और यदि उस व्यक्ति को ये सुविधाएं न दी गई होतीं तो वह आज बहुत कठिनाई में होता।

यदि सामाजिक नियंत्रण के बाद धन का प्रयोग इस प्रकार होगा तो यह सोचना कि सामाजिक नियंत्रण के बाद हम कम्पनियों पर नियंत्रण कर सकेंगे ठीक नहीं होगा। इस प्रकार के नियंत्रण से सरकार एक और ऐसा अधिकार प्राप्त कर रही है जिसके अनुसार वह धन का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकती है।

संयुक्त समिति ने एक करोड़ रुपये से कम का व्यापार करने वाली कम्पनियों के लिये मियाद की रकम को 20 लाख रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। संशोधन करने का कारण यह दिया गया है कि इससे छोटे बीमाकर्ताओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। छोटे बीमाकर्ताओं को दी गई उदारता का दुरुपयोग किया गया है। यदि हमें इन सब दुरुपयोगों को दूर करना है तो हमें अन्य बड़ी बीमा कम्पनियों के साथ व्यापार करना होगा जिनमें देखरेख की व्यवस्था बहुत से छोटे बीमाकर्ताओं के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था की तुलना में बहुत आसान है तथा जिनकी गतिविधियां अप्रत्यक्ष रूप से इन कदाचारों और बुराइयों के बारे में मानदण्ड कायम करती हैं।

सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विधेयक में व्यवस्था दी गई है। इसमें उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण करने से पहले उसे हानि-निर्धारक या सर्वेक्षण के रूप में 7 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिये। सात वर्ष का अनुभव बहुत अधिक है। इस उपबन्ध के कारण जब किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार किये जाने पर उसे फिर रजिस्ट्रीकरण का अवसर नहीं मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप सरकार उन व्यक्तियों को व्यापार नहीं दे पायेगी जिन व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। अतः इस अवधि को घटाकर 3 वर्ष या 5 वर्ष कर दिया जाना चाहिये।

एक अन्य उपबन्ध में एजेन्टों के कमीशन को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की गई है। यह कमीशन अनार्जित आय नहीं है। यह एजेन्ट द्वारा की गई सेवा का पारिश्रमिक होता है।

एजेंट को न केवल लोगों के पास ही जाना पड़ता है अपितु उसे उनकी कठिनाइयों को समझना पड़ता है और जीवन बीमा कम्पनियों से उनके दावों को निबटाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। उसका काफी समय, शक्ति, व्यय आदि औपचारिकता की कार्यविधि में ही बीत जाता है। अतएव एजेंट के कमीशन को कम करने का विचार ही अपमानपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस सुझाव से सहमत होगी कि एजेंट के कमीशन को फिर से पुनःस्थापित किया जाये जो कि बहुत आवश्यक है।

मैं नहीं जानता कि परामर्शदात्री समिति किस प्रकार कार्य करेगी ? परन्तु इस तथाकथित अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति का सब दलों ने विरोध किया है मैं नहीं जानता कि इसी पद्धति पर दूसरी परमर्शदात्री समिति भी बनाई जायेगी। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब यह है कि बीमा नियंत्रक परामर्शदात्री समिति की सलाह को अस्वीकार कर सकता है और वह कोई भी मामला उसके आगे नहीं रख सकता है। परामर्शदात्री समिति के नाम पर ऐसा मजाक क्यों किया जा रहा है ? बीमा नियंत्रक पर ही सब बात क्यों नहीं सौंपी जा रही है जो मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होगी। मुझे आश्चर्य है कि सरकार ऐसा प्रस्ताव क्यों ला रही है जो कि निरर्थक है। वे ऐसी परामर्शदात्री समिति स्थापित करना चाहते हैं जिसके पास कोई अधिकार नहीं होगा और बीमा नियंत्रक उसके सुझाव को अस्वीकार भी कर सकता है।

मैं श्री हुमायून कबिर के इस सुझाव से सहमत हूं कि इन परामर्शदात्री समितियों का सभापति बीमा नियंत्रक नहीं होना चाहिए। बीमा नियंत्रक इसका सदस्य बन सकता है और उसके सुझावों पर गौर किया जा सकता है। ऐसे समितियों के सभापति को निष्पक्ष होना चाहिए। सरकार ऐसे व्यक्ति को मनोनीत भी कर सकती है, मेरा अपना दृढ़ मत यह है कि प्रशासन से सम्बन्धित व्यक्ति को समिति का सभापति नहीं बनना चाहिए।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मैं बीमा संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। संयुक्त समिति ने कई संशोधन पेश किये और मैं सामान्यतः उन सबका समर्थन करता हूं परन्तु मुझे परामर्शदात्री समिति के बारे में कुछ सुझाव देने हैं। विधेयक को देखने से मालूम होता है कि नियंत्रक इसका सभापति होगा, एक अन्य सरकारी अधिकारी उपसभापति होगा और सचिव भी कोई सरकारी अधिकारी होगा। वास्तव में इसमें सरकारी अधिकारियों का ही प्रभुत्व रहेगा और बीमा कम्पनियों द्वारा चुने गये अन्य सदस्य केवल सलाह देने वाले ही होंगे, मेरा सुझाव यह है कि परामर्शदात्री समिति के पास कुछ अधिक अधिकार होने चाहिए और नियंत्रक को उनके सुझाव को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

बीमा कम्पनियों द्वारा जमा करने का सुझाव भी स्वागत योग्य है क्योंकि इसके द्वारा पालिसीधारी की सुरक्षा का प्रबन्ध हो सकता है। बीमा कम्पनियों द्वारा धन नियोजित करने का सुझाव भी ठीक है।

मैं नहीं जानता कि श्री देसाई ने सामाजिक नियंत्रण का विरोध क्यों किया है। जीवन

बीमे का राष्ट्रीयकरण करना ठीक नहीं होगा क्योंकि यह जोखिमपूर्ण व्यवसाय है और इसमें कदाचार हो सकते हैं।

श्री चं० चु० देसाई : मैं राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हूं। मैंने कहा था कि राष्ट्रीयकरण सामाजिक नियंत्रण से अच्छा है।

श्री हिम्मतसिंहका : मुझे प्रसन्नता है कि श्री देसाई राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि जब तक वे उद्योग, जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया है, पूरा लाभ नहीं देते तब तक और आगे राष्ट्रीयकरण करना उचित नहीं है। सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है ताकि ऐसे उद्योग पर्याप्त लाभ दें। सरकार अब इस स्थिति में है कि वह सुधार ला सकती है जो इन उद्योगों के लिए आवश्यक है।

पालिसीधारी की सुरक्षा तथा उचित प्रीमियम दर के बारे में सुझाव ठीक हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक हैं। बीमा एजेंट के कमीशन से छोटे एजेंटों को परेशानी होगी क्योंकि आग आदि बीमा के मामले में प्रीमियम बहुत कम होगा। खण्ड 18 में बीमा एजेंटों को दिये जाने वाले कमीशन को कम किया गया है। मेरे विचार में कमीशन दिये जाने वाले प्रीमियम के आधार पर होना चाहिए और ऐसे मामलों में जहां, प्रीमियम एक सीमा से अधिक नहीं होता, वहां कमीशन की दर कुछ अधिक होनी चाहिए। अगर कमीशन की दर पालिसी के प्रीमियम पर आधारित रहेगी तो मेरे विचार में यह उचित रहेगा और छोटे एजेंटों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। मंत्री महोदय को एजेंटों को दिये जाने वाले कमीशन में वृद्धि करनी चाहिए। मैं अन्त में इस कार्रवाई का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय छोटे एजेंटों को दिये जाने वाले कमीशन के प्रश्न पर विचार करेंगे ताकि उनकी सहायता की जा सके।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं प्रवर समिति द्वारा लाये गये बीमा संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक में कई संशोधन को स्वीकार किया गया है और इसके परिणामस्वरूप इसमें काफी सुधार हुआ है। मैं सामाजिक नियंत्रण की योजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, मैं वास्तव में इसका विरोधी नहीं हूं। अगर प्रशासन सम्बन्धी कार्य ठीक तरह से चलता रहे तो यह योजना हमें बहुत लाभ पहुंचा सकती है। सामाजिक नियंत्रण राष्ट्रीयकरण की अपेक्षा जनता की भलाई सुचारु रूप से करेगा। राष्ट्रीयकरण के लिए धन भी उपलब्ध नहीं है, इन सब बातों को देखते हुए मैं सामाजिक नियंत्रण का पक्ष लेता हूं। परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि बीमा संशोधन विधेयक के कुछ उपबन्ध प्रश्नास्पद हैं। सरकार ने बीमा नियंत्रक को बहुत अधिकार दिये हैं। इस प्रकार अधिकार देने से निर्णय आदि लेने में देरी और हस्तक्षेप होता है। इसलिए सरकार को यहां बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।

नियंत्रक को वास्तव में बहुत अधिकार दिए गये हैं। वह कई मामलों में निर्देश दे सकता है और कुछ कार्यों को निषिद्ध भी कर सकता है। नए शाखाओं को खोलने के अतिरिक्त नियंत्रक की मंजूरी बहुत आवश्यक है। सरकार ने अब सलाहकार समिति स्थापित की है जिसका अध्यक्ष

नियंत्रक होगा। सरकार ने सलाहकार समिति में चार या पांच सदस्य मनोनीत किए हैं तो सरकार क्यों नहीं उनमें से एक को सभापति मनोनीत करती है ? दूसरा, इस सलाहकार समिति को बीमा का परामर्शदात्री बोर्ड कहा जाये और इसके पास पर्याप्त अधिकार होने चाहिये। इसके निर्णय अन्तिम माने जाने चाहिए और नियंत्रक को भी इसे स्वीकार करने चाहिए। यह एक रास्ता है जिसके द्वारा नियंत्रक के अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। कम से कम नियंत्रक पर कुछ रोक होनी चाहिए ताकि वह विवेकपूर्ण ढंग से कार्य कर सके और सलाहकार समिति के निर्णयों की अवहेलना न करे।

विधेयक के एक उपबन्ध के अनुसार बीमाकर्त्ता नियंत्रक के निर्णय के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकता है। यहां भी केन्द्रीय सरकार को निर्णय देने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार अपीलीय अधिकरण को क्यों नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में उचित न्याय नहीं मिल पायेगा। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर पुनर्विचार करें और अपीलीय अधिकरण को नियंत्रक के निर्णय के विरुद्ध विचार करने का अधिकार दें। एक उपबन्ध के अनुसार नियंत्रक किसी मैनेजर अथवा अधिकारी को निकाल सकता है। ऐसा होने से अन्य बीमा कम्पनी उस अधिकारी को अपने यहां नियुक्त करने में हिचकिचाते हैं। ऐसी हालत में उस अधिकारी को रोजगार ढूंढने में कठिनाई होती है और अगर विधेयक में यह दिया हुआ है कि उसको क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी तो उसकी जिंदगी बरबाद हो सकती है। अतएव अगर किसी अधिकारी को निकाला जाता है तो उसे पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। निवेश के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। निवेश का 75 प्रतिशत स्वीकृत प्रतिभूतियों में होना चाहिए। इससे नए औद्योगिक उपक्रमों के निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है अतएव इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए।

नियंत्रक को सख्ती से रियायत तथा अन्य कदाचारों को दबा देना चाहिए बीमा कम्पनियों को अनुशासन में रहना चाहिए अगर ऐसा नहीं होता तो नियंत्रक को चाहिए कि वह उनके साथ कठोरता से पेश आए और रियायतों पर नियंत्रण रखे। मेरा सुझाव है कि पांच मुख्य गैर-सरकारी कम्पनियों, सरकारी बीमा कम्पनियों और जीवन बीमा कम्पनियों को मिलाकर रियायतों को समाप्त कर देने के उपाय पर विचार करना चाहिए। जहां तक सर्वेक्षकों का सम्बन्ध है, मेरा उनके बारे में यह सुझाव है कि उनको लाइसेंस दिये जायें। लाइसेंस देने में सरकार चाहे जैसा भी कठोर हो सकती है।

नियंत्रक को विदेशों के साथ कार्य कर रहे बीमाकर्त्ताओं के क्रियाकलापों पर निगरानी रखनी चाहिए। क्योंकि भारतीय बीमाकर्त्ताओं द्वारा उपार्जित धन का प्रयोग विदेशी बीमाकर्त्ताओं के लिए किया जाता है यह एक गम्भीर मामला है। इससे विदेशी मुद्रा की हानि होती है और इसकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। विदेशों के साथ कार्य कर रहे कम्पनियों के क्रियाकलापों पर रोक लगायी जानी चाहिए।

अग्नि बीमा प्रीमियम दरों की कटौती पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए । अग्नि बीमा आम बीमाकर्त्ताओं के कार्य को संभाले हुए है क्योंकि जहाजी तथा मोटर गाड़ी बीमा लाभ-प्रद नहीं है । अगर अग्नि बीमा प्रीमियम दरों में कटौती की जाएगी तो कुछ बीमाकर्त्ताओं को बहुत नुकसान होगा और वे दिवालिए हो सकते हैं अतएव नियंत्रक को इस ओर सावधानी बरतनी चाहिए ।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था में व्याप्त बहुत से कदाचारों को कम करना है । प्रबन्ध निदेशक अथवा बीमा कम्पनियों को चलाने वाले अधिकारी अधिक से अधिक लाभ कमाने की सोचते हैं और कम्पनियों के हितों की ओर ध्यान नहीं देते । वे पालिसीधारियों को लाभांश भी नहीं बताते । इन सब कदाचारों को दूर करने का साधन राष्ट्रीयकरण है । परन्तु राष्ट्रीयकरण के लिए हमें कार्यकुशलता व ईमानदार सेवा की आवश्यकता है और इसके अभाव में राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता है । परन्तु जब तक सुदृढ़, कार्यकुशल व ईमानदार सेवा प्रस्तुत नहीं की जाती तब तक के लिए सामाजिक नियंत्रण उचित रहेगा । अब तक निदेशक मंडल में उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व होता रहा है जो कि कम्पनियों को चलाते हैं । अब आवश्यकता इस बात की है कि इसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये ।

किसी भी सरकारी उपक्रम में कर्मचारियों को प्रबन्ध में भाग नहीं लेने दिया जाता है । न तो कर्मचारियों और न ही पालिसीहोल्डरों को, जिनके हित के लिए सम्पूर्ण बीमा व्यवसाय चलता है, निदेशक मण्डल में कोई अधिकार दिया गया है । अधिनियम के अन्तर्गत एक सलाहकार समिति की व्यवस्था है, जिसके सदस्य बीमा नियंत्रक, नियंत्रक द्वारा मनोनीत उसका एक अधिकारी, भारतीय बीमाकर्त्ताओं के दस तक प्रतिनिधि (अपनी व्यक्तिगत हैसियत में) और विदेशों में निगमित अथवा निवासी बीमाकर्ताओं के चार तक प्रतिनिधि होते हैं । बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों को इसमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जाता है ? वास्तव में व्यवसाय को चलाने वाले लोग यही हैं । कर्मचारियों में भागीदारी की भावना पैदा की जानी चाहिए । गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में पहले ही से विद्यमान पूंजीवादी व्यवस्था यहां पर भी रखने के क्या कारण हैं ? सलाहकार समिति में, जो सारे व्यवसाय पर नियंत्रण रखने वाली परामर्शदात्री समिति है, कर्मचारियों और पालिसीहोल्डरों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक निर्णय से पालिसीहोल्डर पर प्रभाव पड़ता है । तीसरे आपने नियंत्रक के कार्यालय के एक व्यक्ति को नियुक्त किया है, जिसका अनेक मामलों में निर्णय अन्तिम होगा । इसके लिये एक व्यक्ति को अधिकार देने के स्थान पर एक समिति क्यों नहीं होनी चाहिए, जिसमें सभी हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ? सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था में मूल कमी यह है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों और पालिसी-होल्डरों को बिल्कुल निकाल दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक नियंत्रण के नाम पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण हो जाता है । बीमाकर्ताओं के हितों की पूर्ति होगी और अन्य हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त न होने के कारण निर्णय करते समय सरकार के सम्मुख पूर्ण स्थिति नहीं होगी ।

यह उपबन्ध किया गया है कि विलय किये जाने पर आपको कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार होगा। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य कर्मचारियों के हितों को नुक्सान पहुंचाना नहीं बल्कि बीमा व्यवसाय के रूप में राष्ट्र की अधिक अच्छी सेवा करना है ताकि लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। इस व्यवस्था को चलाने वाले कर्मचारियों के हितों को नुक्सान पहुंचाने के स्थान पर उनकी सेवा को अधिक अच्छा बनाया जाना चाहिए।

इस विधेयक में सहकारी समितियों पर भी नियंत्रक के नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। पहले ही विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत सहकारी समितियों पर अनेक अधिकारियों का नियंत्रण है। जितने अधिक पर्यवेक्षी अधिकारी होंगे उतनी ही अधिक रुकावटें आयेंगी। मैं रेलवे की एक घटना का इस सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहूंगा। एक व्यक्ति से जब एक पैकेट पर भाड़े के अतिरिक्त कर्मचारी के हिस्से के रूप में चार आने मांगे गये, तो उसने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की, तो भ्रष्टाचार निरोध कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई। लेकिन जब दूसरी बार वह वहां गया, तो उससे भाड़े के अतिरिक्त आठ आने मांगे गये, चार आने कर्मचारी का हिस्सा और चार आने भ्रष्टाचार निरोध कर्मचारियों का हिस्सा इस प्रकार अधिकारियों की संख्या बढ़ाने से भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसलिए अधिकारियों की संख्या कम से कम रखनी चाहिए। उनका वेतन अवश्य अच्छा होना चाहिए। सहकारी समितियां मूल रूप से निर्धन वर्ग के लिये होती हैं। अधिकारियों की संख्या बढ़ाने और दोहरे नियंत्रण से व्यय बढ़ेगा और सहकारिता आन्दोलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सभी कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिए तथा न्यूनतम और अधिकतम राशि में अंतर को कम किया जाना चाहिए। होता यह है कि छोटे कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता तो 5 रुपये बढ़ाया जाता है परन्तु उच्चतम अधिकारियों को 100 रुपये मिलते हैं यद्यपि दोनों की जीवनोपयोगी आवश्यकताएं एकसी ही होती हैं। बोनस के मामले में भी ऐसा ही होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में तो ऐसा हो सकता है परन्तु यदि आप समाजवाद का नारा लगाते हैं, तो समाजवाद को इन बातों में भी अपनाया जाना चाहिए।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Government claims that the present bill has been moved here with a view to increase the general insurance business. But is this Bill really going to achieve this aim? Will it result in popularisation of insurance in rural areas and cities. Are the nepotism, corruption and malpractices now prevalent in the insurance business going to be eradicated through this Bill? I think that it is not possible through a Bill of this type. Nationalisation is the only remedy for all these ills. Even our present Finance Minister had warned in 1962 that the general insurance business would be nationalised if the malpractices were not stopped. This threat was merely a paper tiger. Then on 12th May, 1967 the Congress working committee appealed to Government through a resolution to nationalise the general insurance business. But the Finance Minister has not implemented the decision of his organisation. It only means that he is influenced by the capitalists, profiteers and monopolists. Not only

Congress but the entire nation has been demanding nationalisation of general insurance. The only way to expand the general insurance business is to withdraw this Bill and bring forward a bill for nationalisation.

An advisory committee has been proposed in the Bill. There will be four representatives of foreign companies also in the committee. It is very essential to delete part D of 644. Instead you should include four Members of Parliament, one from Rajya and three from Lok Sabha. You should also provide for participation in management by the workers. At least one representative of the workers should be included because they know best the loop-holes and irregularities. You have given unlimited powers to the controller. If you keep a representative, he will be able to keep a check on him and restrain him from taking arbitrary decisions.

The agents are the back-bone of insurance business and the whole show is in fact run by them by acquiring business. Instead of providing for his well-being and education of his children, you have reduced his commission from 15% and 10% in case of fire and marine insurance to 5% only. It is not proper. They should be paid at least 10% as commission otherwise the insurance business can not flourish and expand because they are the persons who earn business.

There are three types of companies—one, those paying good salaries to their workers, the second, those paying moderate salaries; and the third, like Madras Motor and General Insurance Company, Pioneer Fire and General Insurance Co., and Indian Mutual General Insurance Society, who pay very low salaries to their employees. They are not getting subsistence wages. The emoluments of employees of L. I. C. are comparatively much higher but still they are agitating for higher wages and the matter has been referred to arbitration. There should be uniform pay scales and similar facilities for the employees of various companies. A pay commission should be appointed to consider a suitable pay structure for the general insurance employees like other industries.

In the end, I will appeal that you should give up the race with Swatantra Party as to who can better serve the cause of capitalists. The country can prosper only through socialistic development. The general insurance should be nationalised and taken over by Government.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : The introduction of this Bill is another step towards socialism. It has been stated in the aims and objects of the Bill that it is intended to bring social control on general insurance and to check corruption, misuse of funds and other malpractices. But if the present Bill fails to achieve the desired results, the general insurance will have to be nationalised.

The nationalisation of life business has yielded millions of rupees, which has been utilised for the development of all the regions. But in case of general insurance only the interests of the people controlling the whole show are served and not those of the nation. Large funds flow out of the country as there are many foreign companies and in case of many Indian Companies foreigners also hold shares. Thus the much needed foreign exchange goes out of the country. This Bill should be so implemented that the wealth of the country may remain here.

About fire, marine and accident insurance, I am to say that too much time is taken by the insurance companies in conducting inquiries in case of accidents and the vehicles continue to lie

on the road for a long period and no proper compensation is paid. There should be provision for proper and expeditious enquiry in cases of accidents and adequate compensation should be paid. But there is no such provision in the Bill.

The general insurance employees should be given all facilities which are now available to the life insurance workers The commission provided for insurance agents in the rural areas is very low. It should be increased so that they may be prompted to expand the business in the rural areas with increased vigour. The net work of general insurance should also be spread all over country on the pattern of life insurance. With these words I support the Bill.

श्री वी० कृष्णामूर्ति (कड्डलूर) : श्रीमन्, मुझे यह देखकर बहुत निराशा हुई है कि इस विधेयक द्वारा विनियोजन और धन के दुरुपयोग पर नियंत्रण में कुछ भी सुधार नहीं किया गया है। माननीय वित्त मंत्री, ने जो संयुक्त समिति के सभापति थे, कुछ उपबन्धों को बहुत हल्का कर दिया है, कुछ सदस्यों ने सलाहकार बोर्ड बनाने के उनके कुछ संशोधन स्वीकार करने के लिये उन्हें धन्यवाद दिया है। इस देश में यह अच्छी तरह मालूम है कि जब तक यह सरकार सत्तारूढ़ रहेगी, आम जनता और निर्धन लोगों की स्थिति नहीं सुधर सकती। केन्द्र में कांग्रेसी मंत्रियों ने समाजवाद का सही अर्थ नहीं समझा है। वे निहित स्वार्थों के संरक्षक हैं। मेरा दल तो धन सम्बन्धी सभी संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण में विश्वास करता है चाहे वह बीमा हो अथवा बैंकिंग।

यदि बैंकिंग व्यवस्था और बीमा उद्योग पर गैर-सरकारी व्यक्तियों, उद्योगपतियों और निहित स्वार्थों का नियंत्रण रहने देंगे, तो इस देश की स्थिति वही होगी जो मानव हृदय अथवा रुधिर संचार व्यवस्था में कोई दोष उत्पन्न होने पर मानव शरीर की होती है। सत्तारूढ़ दल के नव युवक सदस्य 'यंगतुर्क'—मुझे नहीं मालूम यदि वे मंत्री पद प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील हैं—मांग कर रहे थे कि बीमा और बैंकिंग व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, स्वतंत्र पार्टी के अतिरिक्त इस ओर बैठे सभी लोग इसकी मांग करते रहे हैं। लेकिन श्री मोरार जी देसाई के अपने कुछ लोगों के हित हैं। सामाजिक नियंत्रण लाने के लिये रखे गये बैंकिंग (संशोधन) विधेयक में उन्होंने धारा 36 ए० डी० के द्वारा कर्मचारियों के अधिकारों को कुचल दिया है।

इस विधेयक में भी नियंत्रण कहां है? कौन नहीं चाहता कि इसका राष्ट्रीयकरण न हो? जब तब बैंकिंग और बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता, इस देश का भला नहीं हो सकता है। तीसरी योजना के लिये जीवन बीमा निगम से बहुत-सा धन प्राप्त हुआ है।

इस धन को डालमिया, बिरला, टाटा आदि बड़े उद्योगपति अपने निजी उपयोग में लाते रहे थे। जीवन बीमा निगम की स्थापना के बाद पालिसीहोल्डरों से तथा निगम द्वारा एकत्रित धनराशि देश के लोगों के कल्याण के लिये बनी परियोजनाओं पर लगाई जाने लगी। तो क्या सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण करना गलत है? सरकार इसे स्वीकार क्यों नहीं करती? इसका कारण यही है कि सरकार सरमायेदारी में विश्वास रखती है प्रजातंत्रवाद में नहीं। यदि यही सरकार की नीति रही तो देश में एक दिन क्रान्ति आकर ही रहेगी।

मैं तो समझता हूं कि यह विधेयक केवल एक धोखा है। जैसा कि मंत्री महोदय ने घोषणा की थी, इस विधेयक में सामाजिक नियंत्रण की बात कहां है ?

इस विधेयक में बीमा नियंत्रक की नियुक्ति की जो बात है वह संसद द्वारा की जानी चाहिए। यदि यह अधिकार किसी एक व्यक्ति को दिया गया तो इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है।

प्रत्येक संसद सदस्य को एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि ओरियन्टल अग्नि बीमा कम्पनी में लाखों रुपयों का गोल-माल हुआ है। बीमा नियंत्रक को भी एक पत्र लिखा गया था। क्या सरकार ने इस संदर्भ में कोई जांच की ? सरकार को ये सन्देह दूर करने चाहिए। संसद को समुचित और सही तथ्य दिये जाने चाहिये।

सरकार सामाजिक नियंत्रण के नाम का सहारा लेकर कुछ भी नहीं कर रही है तथा देश से पूंजीवाद समाप्त नहीं हो सकेगा। अतः पालिसी होल्डरों, देश की सामान्य तथा गरीब जनता तथा इसी संस्थान में कार्य कर रहे गरीब कर्मचारियों की ओर से मैं यह मांग करता हूं कि जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण किया जाये। बैंक उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण किया जाये। जब तक धन के संचलन पर नियंत्रण नहीं होगा, यह गोल-माल का सिलसिला देश से नहीं जायेगा। सामान्य बीमा तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण की अपनी घोषित नीति को लागू करने में सरकार असफल रही है।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I admit that we have not achieved the target but what we have done in this regard that should be appreciated. I do demand that we should have socialism—cent percent socialism. Until we get total nationalisation, we will have to face difficulties and noise in the country. It is, therefore, my earnest desire that all the institutions dealing in money should be nationalised and this eighty percent of this money should be invested in the rural areas.

The General Insurance is controlled by a handful of big businessmen whereas it should be an organisation of farmers, poor Harijans and landless labourers. The money of this organisation i. e. the General Insurance should be utilised for national and rural development. A Committee similar to that of Life Insurance Corporation should also be set up for General Insurance to check misappropriation and other irregularities. The Administrative Reforms Commission should also be asked to give their report as to how an improvement can be brought in this organisation and how it can be controlled throughout the country.

The activities of the General Insurance should be very well published among all the farmers and other poor people in rural areas. Eighty percent of its activities should be carried out in the rural areas.

I want that the cattle, tractors and all other belongings of the farmers, labourers, etc. in the rural areas should be covered under General Insurance, and this can be achieved only if it is publicised in those areas. So, the agents, development officers should be sent to the rural areas. For this the agents should be appointed on salary and not on commission as the people in rural areas are very poor.

Secondly, the people in rural areas should be given incentive in different fields like credit, rural development, rural electrification, irrigation, etc. They should be given facilities to purchase tractors, pumping set, tube-wells, etc. and the conditions of surrender value should not be put on them. So, this General Insurance, which is now in the hands of a few capitalists, should go to the villages. Then sufficient relaxation should also be given to them in the repayment of premium instalments since the income of the farmers is very poor and irregular.

Fourthly, the malpractices existing in this organisation should be checked and stopped.

I congratulate the Hon. Minister for bringing this Bill here since it meets seventy-five percent of our needs.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : अभी-अभी जो माननीय सदस्य बोले हैं वह विधेयक का एक शब्द भी नहीं समझते बल्कि किसानों, भैंसों तथा प्रोत्साहन आदि के बारे में उपदेश दे गये। वस्तु स्थिति तो यह है कि जहां इस सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण करने की भारी मांग है वहां सरकार सामाजिक नियन्त्रण करना चाहती है। इससे वास्तव में कोई भी लाभ न होगा।

यह राष्ट्रीयकरण की मांग क्यों है ? वास्तव में कारण यह है कि गैर सरकारी बीमा कम्पनियों ने भारी लूट मचा रखी है। न्यू ग्रेट बीमा कम्पनी के पास वर्ष 1947 में केवल 60 लाख की सम्पत्ति थी जबकि वर्ष 1967 अर्थात् केवल बीस वर्ष में यह 400 लाख रुपये हो गई। इसी प्रकार बिरला की रूबी बीमा कम्पनी की सम्पत्ति भी वर्ष 1957 में 1.13 करोड़ से वर्ष 1967 में 2.87 अर्थात् दुगनी से भी अधिक हो गयी। ये कम्पनियां अन्य कम्पनियों को भारी लाभ पहुंचाती हैं। इस प्रकार सारा धन केवल कुछ ही हाथों में केन्द्रित होकर रह गया है। इन कम्पनियों को अपनी प्रदत्त पूंजी के मुकाबले भारी लाभ होता है। ट्रिटोन बीमा कम्पनी को तो केवल एक वर्ष में अपनी प्रदत्त पूंजी की राशि से भी अधिक का लाभ हुआ। इसी प्रकार न्यू इण्डिया बीमा कम्पनी को 170.90 लाख की प्रदत्त पूंजी से 177.99 लाख रुपया का लाभ केवल एक वर्ष में हुआ। न जाने यह धनराशि किसकी है तथा यह सब कुछ कैसे कुछ ही हाथों में एकत्रित हो रही है ? यही कारण है कि देश ने इनका राष्ट्रीयकरण करने की मांग की है। इस विधेयक से गरीबों को लाभ नहीं होगा। इस धन का तो एक पैसा भी आप नहीं छू रहे हैं। और आप राष्ट्रीयकरण की बात छोड़ कर सामाजिक नियन्त्रण के नाम इन लुटेरों के हाथ और अधिक दृढ़ कर रहे हैं। यही कारण है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं तथा वास्तविक राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे हैं ताकि सामान्य जनता को लाभ पहुंचे।

आप सतरह आदमियों की एक समिति बनाकर एक नियंत्रक नियुक्त करना चाहते हैं। परन्तु ये सतरह आदमी भी तो उन्हीं कम्पनियों के तथा चार विदेशी कम्पनियों के लुटेरे प्रतिनिधि हैं। फिर भारतीय कम्पनियों के विदेशी सलाहकार क्यों हैं ? वे जलयान-बीमा पर छाये हुए हैं जहां कि सबसे अधिक घपला होता है। आप सभी को मूर्ख नहीं बना सकते। सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में आजकल क्या कुछ हो रहा है।

राष्ट्रीयकरण की बात विवियन बोस आयोग की रिपोर्ट के बाद उठी थी। उस रिपोर्ट के पृष्ठ 105 पर कहा गया है कि चाहे ये कम्पनियां कैसे भी हों परन्तु डालमियां तो बड़े ही अच्छे ढंग से लूट मचाई है। उन्होंने बीमा कम्पनियों का 1.25 करोड़ रुपया डालमियां सिमेंट एण्ड पेपर कम्पनी को ट्रान्सफर कर दिया। यह कितनी भंयकर तथा बदनामी की बात है कि ऐसा सिलसिला जारी रहा है।

इसीलिये हमने राष्ट्रीयकरण की मांग की है जिसे सरकार इन सतरह आदमियों की समिति बनाकर टालना चाहती है। इससे तो कोई भी लाभ न होगा। और फिर उस मनोनीत सलाहकार समिति के गठन का भी क्या लाभ है? वह तो केवल किसी कम्पनी की नीति सम्बन्धी मामलों पर अपनी रिपोर्ट दे सकती है।

विधेयक में कहा गया है कि मुआवजे की अदायगी बाजार के मूल्य और वास्तविक मूल्य में से जो भी अधिक हो उस हिसाब से की जानी चाहिए। परन्तु वास्तविक मूल्य तो कोई कितना भी बता सकता है। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति अपने कोट का मूल्य सौ रुपये न बताकर 1000 रुपया बताता है तो आप कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? अतः किसी कम्पनी को अधिकार में लेते समय मुआवजा यदि इसी दर से दिया जाय तो यह एकदम अनुचित होगा। अतः मुआवजे की रकम प्रदत्त राशि तक ही सीमित रहनी चाहिए।

मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक में सुधार करना बड़ा ही कठिन है। किसी कम्पनी को अधिकार में लेने के बारे में, माना कि आपके पास इसके लिये सलाहकार हैं परन्तु वे भी क्या करेंगे? उस कम्पनी का प्रतिनिधि आपकी सलाहकार समिति आ जायेगा तथा वे लोक लेखा पुस्तकों आदि को इस प्रकार बनायेंगे कि सारी कम्पनी की प्रदत्त राशि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करा देंगे ताकि मुआवजे में उनको वास्तविक मूल्य से बहुत अधिक धन मिल जाये। अतः यह बात भी लुटेरों के ही लाभ की सिद्ध होती है। मेरा सुझाव है कि इस सलाहकार समिति में कर्मचारियों तथा संसद के प्रतिनिधि हों तथा कोई विदेशी प्रतिनिधि भी न रखा जाये।

सामान्य बीमा के कर्मचारियों की सेवा शर्तें भी बहुत बुरी हैं तथा उनमें सुधार किया जाना चाहिए। यद्यपि ये कम्पनियां इतनी लूट मचाती रही हैं फिर भी इन्होंने अपने कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं दिया। अपनी आजादी के 20 वर्ष बाद भी क्या हमें ऐसा होते रहने देना चाहिए?

इसलिए आप ऐसा काम मत कीजिए कि सभी लोग आपके विरुद्ध हो जायें। इस बारे में भारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आप सारे बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी विधेयक पेश कीजिए। तभी आप बड़े गर्व से कह सकेंगे कि "हमने काम किया है।" अन्यथा सरकार और शासक दल को लोगों का भयंकर रोष सहना होगा।

Shri Onkarlal Bohra (Chitorgarh) : I was enjoying Shri Nambiar's dramatic speech which was meant to convince the Hon. Members here. But had he did the same to prepare the masses for a purpose, he might have been more understood.

I welcome this Insurance (Amendment) Bill. It has been a long standing demand that the General Insurance should be nationalised. The General Insurance is our national issue and a social subject and we should see that it benefits our crores of people. By our alround progress in the fields of industry, business, transport, production, etc., the General Insurance industry has also fast developed and expanded. But why to nationalise it ? It is because when money gets concentrated into only a few selfish hands, there is an alround dissatisfaction in the general masses. And our democratic set up does not allow us to ignore the common people, otherwise we will have to face reactions.

Now there is a great demand that this General Insurance should be nationalised so that the ordinary policy holders may get the maximum benefit. The nationalisation of this industry will take place today or tomorrow but I heartily congratulate this Bill which provides for a social control over this industry and which is itself a preface to complete nationalisation.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Whereas I find that there are good things in this Bill there are certain discrepancies also. I welcome the conditions laid down in regard to deposits but the provision of instalments in this regard may encourage some bogus companies to misuse this provision. Similarly I welcome the provision of surprise checks by the Controller as also the power to fix rates of premium.

I have always been in favour of public undertakings. But it is regretted that we offer those important posts to those people who have played a part in starting these undertakings during the time of Britishers. Therefore, the unlimited powers given to the Controllers should be checked. That we can do by not appointing a Controller as the Chairman of that Advisory Committee we are going to form. The Chairman of that Advisory Committee should be some famous Judge or a leader of high standard or a Member of Parliament or some neutral person.

Advisory Committee should have the representatives of Parliament, policy holders, public and the representatives of the agents. It should be a kind of compositive Board. As a result of it thousands of people concerning General Insurance will be benefited. The main complaints against General Insurance today are that of paying wrong and inappropriate rebate. This method of paying rebate should be stopped.

There has been a great increase in the insurance business recently. It is, therefore, necessary that the rate of premium should be revised. These rates of premium should at least be reduced by 15 percent. The rates of premium should be similar throughout the country.

You have made a provision of five percent Commission in the Fire and Marine Insurance but in the motor insurance you have made a provision of ten percent commission. The rate of commission should be five percent. The rates of premium should be reduced. As a result of

it the general policy holder will be benefited. Establishing of bogus agencies should be checked. Many foreign companies are sending several crores of rupees out of India. This should be stopped.

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : आज समाजवाद बेचने वाली वस्तु हो गई है । आज कांग्रेस दल झूठे समाजवाद को स्थापित करने का दावा कर रहा है ।

1955 के बाद कांग्रेस ने बैंकिंग प्रणाली के राष्ट्रीयकरण, निजी थैलियों को समाप्त करने और सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण आदि करने के बारे में दस सूत्री संकल्प पास किया था । सरकार महाराजाओं की निजी थैलियों को समाप्त करने के बारे में गम्भीर नहीं है। सरकार बैंकिंग प्रणाली के राष्ट्रीयकरण के बारे में भी गम्भीर नहीं है । बैंकिंग प्रणाली पर सामाजिक नियंत्रण देश के लिए हानिकारक है । हमें विदित ही है कि जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण किये जाने के पश्चात् जीवन बीमा निगम का धन बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में चला गया था और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जीवन बीमा निगम को और भी प्रभावशाली ढंग से चलाया जा सकता है लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार अयोग्य है ।

जीवन बीमा निगम ने गत दस वर्षों में काफी अच्छा कार्य किया है इसके कार्य में और भी विकास किये जाने की सम्भावना है । इसके कार्य का गांवों में भी विकास किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इसकी उपयोगिता अनुभव करें ।

जब भी किसी विधेयक को सभा में प्रस्तुत किया जाता है तब उस विधेयक पर सभा में पूरी चर्चा की जाती है । लेकिन इस विधेयक के बारे में अभूतपूर्व तरीका अपनाया गया । यह विधेयक लोक सभा में 8 अप्रैल को लाया गया था और इस पर चर्चा किये बगैर इसे संयुक्त समिति को सौंप दिया गया था ।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) ऐसा अक्सर किया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कार्य मंत्रालय समिति की अनुमति से किया जाता है ।

श्री एस० एम० कृष्ण : मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि चूंकि यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है अतः इस पर और चर्चा की जानी चाहिए थी । जब तक वर्तमान सरकार सत्ता में रहेगी हम उससे कोई सामाजिक कानून की आशा नहीं कर सकते ।

एक सलाहकार समिति की स्थापना की गई है । इस सलाहकार समिति में समस्त बड़ी सामान्य बीमा कम्पनियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा । विदेशी बीमा कम्पनियों को प्राप्त होने वाली धनराशि में से बहुत सा धन विदेशों को भेजा जा रहा है । इन सब विदेशी बीमा कम्पनियों में भारतीय निदेशकों की संख्या बहुत कम है । यह वित्त मंत्री तथा सभा के लिए गम्भीर मामला है । इसकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सलाहकार समितियों का अध्यक्ष नियंत्रक होगा । इससे सलाहकार समिति के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती । जब वह अध्यक्ष होगा और उसके कार्यों

पर चर्चा की जायेगी तो स्वभावतया वह स्वतंत्र और उचित रूप से नहीं की जा सकेगी । अतः यह सुझाव दिया गया है कि इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर एक निर्दलीय और बाहर के व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। नियंत्रक को कुछ अधिकार दिये जाने चाहिए । लेकिन यह नियुक्त किये गये नियंत्रक पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं । हारे हुए राजनीतिज्ञ को इस पद पर नियुक्त करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा जीवन बीमा और बैंकिंग प्रणाली के राष्ट्रीयकरण किये जाने के संकल्प के कारण इस विषय में जनता की बहुत रुचि है । जीवन बीमा निगम में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इसी कारण जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण की मांग की जा रही है । विधेयक में निहित सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य प्रशंसनीय है लेकिन प्रश्न यह है कि हमने किस संदर्भ में जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण करने का विचार किया है। हम आशा करते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप धन के एक जगह जमाव में कमी होगी । चौथी योजना के दौरान साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का उद्देश्य होना चाहिए । 75 करोड़ रुपये की विनियोजित आय में से केवल 15 करोड़ रुपये को सार्वजनिक क्षेत्र में लगाया गया है और इतनी ही धनराशि विदेशी कम्पनियों में लगाई गई है ।

देश में सूखे की स्थिति पर वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव–जारी

MOTIONS RE : STATEMENT ON DROUGHT CONDITIONS IN THE COUNTRY—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सूखा की स्थिति के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे ।

Shri Amrit Nahata (Badmer) : The statement placed by the Hon. Food Minister does not show the serious famine conditions prevailing in Rajasthan.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

From its report its appears that some formality has been followed. There are 435 villages in Rajasthan where there has been no rains for the last seven years. Hunger has brought that similarity which could not be brought by social reformers. From the report it appears that the seriousness of the situation has not been understood even now. Inspite of this they have not been declared as famine stricken areas. Thousands of people are not getting drinking water and lakhs of cattles are dying due to shortage of fodder and drinking water. Bikaner, Jaselmer, Badmer, Jalaul and Jodhpur should be declared as famine stricken areas. The Government has been very negligent there.

Out of 140 tube-wells digged in Western Rajasthan, 127 tube-wells have not been working for the last four years. Their water has not been utilised.

Nothing has been done for improving the breed of the cattle in those areas.

Neither there are roads nor there are means of transport in that area. No arrangements for drinking water have been made. There has never been a lady Doctor in District Badmer and Jaselmer for the last thirty years. These areas have been neglected for the last so many years. This should be stopped. Efforts should be made to derive out famine conditions for ever.

The Rajasthan Government has informed that none has died there due to famine. I have got the list of the people who have died there.

Shri Shashi Bhusan Bajpai (Khargone) : That list should be placed on the Table of the House. Is there any objection in it ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : एतराज है। उनके लिये उचित कदम यह होगा कि वह यह सब जानकारी मुख्य मंत्री को भेज दें ताकि इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हो सके।

Shri Amrit Nahata : I have already sent that list there. People are dying due to lack of Vitamins 'A' and 'D'. I have brought this piece of bread with me. People have become blind after taking these breads. I have received a letter from an M.L.A. in which it has been mentioned that three adults have been died during the last three days.

श्री कुचेलर (बेल्लौर) : हमारे देश में सूखे का कारण केवल वर्षा का न होना ही नहीं है बल्कि इसका कारण प्रशासन की असफलता भी है।

मंत्री महोदय द्वारा सहायता कार्यवाही के बारे में जो वक्तव्य दिया गया है मैं उसकी सराहना करता हूं। इसके साथ-साथ मुझे दुःख है कि यद्यपि मंत्री महोदय यह अनुभव करते हैं कि मद्रास राज्य में अकाल स्थिति है तथापि वहां सहायता दल नहीं भेजा गया।

Shri Amrit Nahata : Mr. Speaker, you are not giving me full time, therefore, I walk out from here.

इसके पश्चात् श्री अमृत नाहाटा सभा छोड़ कर चले गये
Shri Amrit Nahata then left the House

श्री जी० कुचेलर (बेल्लौर) : वास्तव में मुझे मेरे कुछ मित्रों ने बताया था कि राजस्थान में पशुओं को चारे के लिये 30-35 मील दूर ले जाना पड़ा था। राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं तथा मनुष्यों के पीने के लिये बिल्कुल पानी उपलब्ध नहीं था। यह दुख की बात है कि उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई।

आज पहली बार सूखा नहीं पड़ा है। राजस्थान तथा देश के अन्य भागों में प्रतिवर्ष सूखा पड़ता रहता है। यद्यपि वर्तमान सरकार 20 वर्ष से सत्तारूढ़ है किन्तु यह दुख की बात है कि उसने सूखे की स्थिति को रोकने के लिये कोई स्थायी उपाय नहीं किये हैं जिसके कारण प्रतिवर्ष

बड़े पैमाने पर क्षति होती है। रूस और अमरीका जैसे देशों में मानसून पर नियंत्रण करने की दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं किन्तु भारत में इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

सरकार को बरसात के दिनों में बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिये कोई स्थायी व्यवस्था करनी चाहिये थी। पिछले 20 वर्षों से ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदियों के लिये एक राष्ट्रीय योजना बनाने के बारे में कहा जा रहा है। किन्तु समझ में नहीं आता कि इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की बाढ़ से पश्चिम बंगाल और अन्य क्षेत्रों में जान और माल की क्षति उत्तरोतर बढ़ती ही जा रही है। यदि इस सम्बन्ध में कोई उपाय किये जाते तो जान-माल की यह क्षति रोकी जा सकती थी।

तमिल नाडु के दक्षिण आर्कट, तिरुनवेली तथा रामनाथपुरम जिलों में पीने का पानी नहीं मिलता है। जिन कुओं से पीने का पानी मिलता था वे सूख गये हैं। वहां पर पानी की व्यवस्था के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लगभग 16 करोड़ रुपये मांगे थे। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने यह रकम नहीं दी। यदि यह रकम दे दी जाती तो राज्य में थोड़ा-बहुत सिंचाई कार्य हो जाता। राज्य सरकार धन की कमी के कारण बहुत से कार्य आरम्भ नहीं कर पा रही है। यदि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की इस समस्या पर विचार नहीं किया तो तमिल नाडु के लोग कठिनाइयों का सामना करते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे। लोगों की पुकार से सत्तारूढ़ दल नष्ट हो जायेगा। अतः मैं खाद्य मंत्री, उपप्रधान मंत्री और वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। जब तक वित्त मंत्री धन नहीं देंगे तब तक खाद्य मंत्री खाद्यान्न का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। अतः मैं फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि राजस्थान में सूखा पड़ा है, इसलिये मैंने वहां के संसद् सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है। आन्ध्र प्रदेश में भी सूखे की स्थिति है। समय बहुत कम है अतः सदस्य कम समय लें।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : देश के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखे तथा तूफान से क्षति होती रहती है। आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में पिछले चार वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है। श्री काकुलम जिले के सोमपेहा, तक्कली तथा इचापुरम, तीन तालुकों में अक्तूबर, 1968 में तूफान आया था। उसके बाद 11 और 12 नवम्बर को वहां बरसात से बहुत क्षति हुई थी जिसके परिणामस्वरूप 28,899 मकानों के ढहने अथवा क्षतिग्रस्त होने का तथा 1,004 सिंचाई साधनों के खराब होने का अनुमान है। लगभग 60,000 एकड़ भूमि में धान की खेती खराब हो गई। कुल मिलाकर लगभग 23.50 करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान है, किन्तु सहायता कार्य के लिये केवल 50 लाख रुपये मंजूर किये गये। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिये 3 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से मांगे थे। अब पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार आन्ध्र प्रदेश सरकार को सहायता कार्य के लिये कुल मिलाकर 3.43 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

कृष्ण जिले के तटवर्ती निचले क्षेत्रों में 6 नवम्बर, 1968 को तूफान से काफी क्षति हुई थी। राज्य सरकार के अनुसार इसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान है। गुंटूर जिले के कुछ भाग पर भी इस तूफान का प्रभाव पड़ा था। इसमें हुई क्षति के लिए शीघ्र ही केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी जायेगी।

वर्ष 1965-66 में राज्य के 20 जिलों में से 16 जिलों में सूखा पड़ा था। वर्ष 1966-67 में 6 जिलों में तथा वर्ष 1967-68 में 11 जिलों में सूखा पड़ा था। इस वर्ष राज्य के सभी जिलों में सूखा पड़ा है जिसका प्रभाव लगभग 1करोड़ 30 लाख लोगों पर पड़ा है।

16 जिलों में राज्य सरकार ने राहत कार्य आरम्भ कर दिया है किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य में राज्य सरकार की कोई विशेष सहायता नहीं की। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिये 15 करोड़ रुपये मांगे थे किन्तु केन्द्रीय सरकार ने केवल 7.50 करोड़ रुपये ही दिये। क्षति का अनुमान लगाने के लिये वित्त मंत्रालय के अधिकारी भेजे जाते हैं। समझ में नहीं आता कि इन कर्मचारियों को भेजने की क्या आवश्यकता है। जब कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय यह कार्य अच्छी तरह करता है। इस कार्य के अपेक्षित 15 करोड़ रुपये यदि केन्द्रीय सरकार ने नहीं दिये तो राज्य सरकार को अनेक जिलों में राहत कार्य बन्द करना पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

सूखाग्रस्त जिलों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार ने पानी की व्यवस्था करने के हेतु केन्द्रीय सरकार से रिग मांगे हैं किन्तु अभी तक केवल 20 रिग दिए गये हैं जो कि इतने जिलों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। प्रत्येक जिले के लिए कम से कम 2-3 रिगों की आवश्यकता है। अत: सरकार को शीघ्र अधिक रिगों की व्यवस्था करनी चाहिए।

राज्य सरकार का कहना है जब तक उसे केन्द्र से धन नहीं मिलेगा वह और राहत कार्य करने में असमर्थ है। अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाये। रायल सीमा में प्रतिवर्ष दुर्भिक्ष और सूखा रहता है। राज्य सरकार बिना केन्द्र की सहायता से कोई भी स्थायी उपाय इस सम्बन्ध में नहीं कर सकती है। अत: कृषि मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस बारे में कोई उचित कार्यवाही की जाये।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : Mr. Speaker, Sir, it appears that droughts and famines have become a regular feature in India and different parts of the country are in severe grip of drought and famine. The condition of Rajasthan this year is very serious and alarming. It is regretted that the Hon. Minister in his statement has not given a detailed and vivid picture of the situation prevailing in the State.

In this connection a memorandum was also submitted to the Prime Minister some time in the last week of October by Shri Rajeshwar Rao and Shri H. K. Vyas, the General Secretary and a veteran leader of our party respectively after they undertook a tour of Rajasthan to

study the grim situation there which has arisen out of the drought condition and the report submitted by the said leaders revealed a very grim picture of the situation.

Today 85 per cent of the villages in Rajasthan are badly affected by the drought condition but the worst hit areas are the districts of Bikaner, Jaselmerh, Barhmer, Jalor and Jodhpur. Barhmer is the district which has been facing this condition for the last six years and similar is the case with other areas also. The plight of the people is miserable. They are facing starvation deaths but the Central Government have not declared it a famine area. This is a very sorry state of affairs. So far as the cattle wealth in the State is concerned, no fodder is available for them and it is estimated that famine has taken a toll of about 2 million cattle, the majority of which is consisted of cows and oxen and the loss in rupees amounts to 50 crores.

It is said that various camps have been organised by the Government where three kilos fodder per cattle was distributed free of charge but we did not find any quantity of fodder in those camps when we visited them. As regards food supplies people are not getting wheat even at the rate of Rs. 110/- per quintal and the prices are still rising and it is beyond the purchasing capacity of the poor to buy foodgrains at such exorbitant rates.

The question is what should be done to give immediate relief to the people of drought affected areas of the State. First, the drought affected parts of the State should be declared drought affected areas. Secondly, two lakh maunds of additional foodgrains should be supplied to the State per month. Thirdly, the State should be given a financial assistance of Rs. 50 crores in order to meet all relief operations in the State. Fourthly, all-party popular committees should be set up for the purpose of equitable relief distribution.

In the end, I have one more suggestion to make. The scheme of Rajasthan canal drawn up in 1952-53 should immediately be implemented so that an additional .35 lakh acre of land would be brought under irrigation and the problem of fodder for the cattle could also be solved along with the food problem of the State. In addition to this it is necessary to provide five hundred tube-wells in the State so that the desert could be converted into a fertile land.

श्री राजशेखरन (कनकपुरा) : विपक्षी सदस्यों ने स्थिति के बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहा है। इसमें संयम से काम करने की आवश्यकता है। यह एक ऐसी समस्या है जिसको हम सबने मिलकर हल करना है। देश में दुर्भिक्ष तथा सूखा कोई नई बात नहीं है। किन्तु पिछली कई दशाब्दियों के अनुभव से हमने कुछ नहीं सीखा है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान वर्ष 1945 में सर जॉन वुडहेड की अध्यक्षता में नियुक्त दुर्भिक्ष जांच समिति के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं। इस प्रतिवेदन में सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक समेकित योजना बनाने की सिफारिश की थी।

भुखमरी और कुपोषण के कारण लोगों को कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसका हल अल्पकालिक सहानुभूतिपूर्ण उपायों से नहीं हो सकता है। इसे वैज्ञानिक आधार पर दीर्घ कालिक योजना से हल किया जा सकता है। आज देश में सबसे बड़ी समस्या अतिबृष्टि तथा अनावृष्टि की है। इस सम्बन्ध में वैज्ञानिकों द्वारा अनुसन्धान किये जाने की आवश्यकता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। खाद्यान्नों का आयात खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में एक बाधा है अतः इनका आयात बन्द किया जाना चाहिए।

वर्ष 1945 में नियुक्त दूर्भिक्ष जांच समिति ने जनसंख्या को बढ़ने से रोकने का सुझाव भी दिया था। भारत में प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल विद्यमान है। सरकार को इस जल का उपयोग करने की ओर ध्यान देना चाहिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री मेकनमारा ने अभी हाल में अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा था कि भारत द्वारा अनुरोध किये जाने पर उसे शक्तिशाली बरमे दिये जा सकते हैं जो भूमिगत जल का प्रयोग करने के बारे काफी उपयोगी साबित होंगे।

सरकार को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ऐसी फसलें पैदा करनी चाहिए जो कम बारिश तथा कम समय में तैयार हो सकें।

Shri Nihal Singh (Chandauli): The Government are spending huge amounts on the development of urban areas. They have been neglecting rural areas and have not paid adequate attention towards agriculture with the result that we could not provide adequate irrigational facilities to the farmers so far and the position is that the area covered by irrigation today does not constitute even one-third of the total area under cultivation despite the fact that we have had enough irrigational potential to cover the entire area under cultivation in the country. That is why we have not been able to achieve self-sufficiency in food production and we have to continue importing food-grains.

There is a great difference between a flood havoc and drought condition. Although both bring devastation, yet the flood destroys one crop whereas the drought takes toll of the crops till drought continues. The eastern regions of Uttar Pradesh, particularly Varanasi and Mirzapur are worst hit by the drought since the year 1966. There were nine starvation deaths in Naugarh area of Varanasi. We can cambat famine conditions in Mirzapur and Varanasi by taking some remedial measures. The position might improve once for all if 20 pumping sets (pumping canals) are installed along the banks of the Ganges which would provide adequate irrigational facilities in the area. Besides, if the electricity generated at the Rihand Dam in Mirzapur is made available to farmers of the area for agricultural purposes, it would improve the position a lot. It is regretted that this electricity therefrom is supplied to Birlas for industrial purposes, but denied to the needy farmers. It is a sorry state of affairs.

That area is at present in the acute grip of the drought and the people are badly effected thereby. In these circumstances, it is absolutely necessary for the Government to open relief centres, Test Works, free Kitchens and fair price shops in the area and arrangements for free supply of food and cloth for the blind and the handicapped should be made so that the people may be saved there from starvation deaths.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मेरे जिले, सम्बलपुर में पिछले दस महीनों में केवल 17 इंच वर्षा हुई है जब कि वहां सामान्यत: लगभग 50 से 60 इंच तक वर्षा होती है। उड़ीसा के सम्बलपुर और कालाहांडी जिलों में वर्ष 1965-66 में भी भयानक सूखा पड़ा था जबकि अन्य गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं तथा समितियों के अतिरिक्त केवल सरकार ने वहां राहत-कार्यों पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए थे। लेकिन इस क्षेत्र में इस समय जैसा कि लोग कहते हैं, वर्ष 1965-66 से भी अधिक सूखा पड़ा हुआ है। इस वर्ष जुलाई और अगस्त में वहां वर्षा न होने

के कारण वहां के तालाब तथा जलाशय जो कि सिंचाई के सबसे अच्छे साधन थे, सूख गये और अनाज भूमि से ऊपर नहीं उठा और पौदे नहीं लगाये जा सके और यहां तक कि सबसे बढ़िया खेतों में भी हताश किसानों ने सितम्बर तथा अक्तूबर से अपने ढोर चराने शुरु कर दिये। ऐसी वहां की स्थिति है।

आज इस क्षेत्र में किसानों की दयनीय स्थिति है। वे वर्ष 1965-66 तथा बाद से भारी कर्जों में दबे हुए हैं और अभी तक उन्हें उतार नहीं पाये हैं। और स्थिति ऐसी है कि यदि वे और कर्जा लें, तो उनका दिवाला निकल जायेगा। इस पर भी जबकि वे भयंकर सूखे की स्थिति से पीड़ित हैं, सरकार उनसे पिछले वर्षों के ऋणों की किस्तें मांग रही है।

खेतिहर मजदूरों की हालत सबसे दयनीय है क्योंकि जब खेतों से ही कुछ मिलने की आशा नहीं है, तो किसान उन्हें काम पर क्यों लगायें। ऐसा कोई सार्वजनिक काम भी नहीं चल रहे हैं, जहां इन भूमिहीन आदिवासियों तथा हरिजनों को रोजगार मिल सके। उड़ीसा सरकार ने धन की कमी के कारण पिछले $1\frac{1}{2}$ वर्ष से जब से वह सत्तारूढ़ हुई, सभी विकास कार्य बन्द कर दिये हैं।

रिपोर्टों से मालूम होता है कि राहत उपायों के लिये 3 लाख रुपये नियत किये गये हैं। वर्ष 1965-66 में 10 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। सम्बलपुर जिले के लिये केवल 50,000 रुपये नियत किये गये हैं जो बहुत कम राशि है। इसलिये, मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का उचित मूल्यांकन (अनुमान) करने के लिये वहां एक वैसा ही दल भेजें जैसाकि उन्होंने तूफान-ग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति का उचित अनुमान लगाने के लिये एक दल भेजा था और अनुमान लगायें कि कौन-से राहत उपाय करने जरूरी हैं और तदनुसार राज्य सरकार को सलाह दें।

Shai Satya Narain Singh (Varanasi): Sir, I do not agree with the Hon. Minister when he says that such statements are made in the House for the purpose of carrying out political propaganda against the Government. My view is that those who exploit such situations and make political capital out of it commit a heinous crime. But it is not an exaggeration when one body says that hundreds of men, children and cattle are dying of starvation in Rajasthan today. They are not getting drinking water and food and there is no fodder for the cattle. It is reality and this is the situation there.

Today the same situation is prevailing in the areas of Banaras, Gazipur and Mirzapur. People are facing the drought condition there. This year rains failed in the early months of the Kharif season and the seedlings died in before they could come out of the ground for want rain or irrigation. Thus, there was nothing to reap any harvest from the fields. There was no fodder for the cattle. The agricultural labourers, mainly, the landless Harijans and others are the worst sufferers because the cultivators cannot afford to employ them when they themselves are a victim of the situation. There is scarcity of drinking water and food for human beings and non-availability of fodder for the cattle. This is a very serious and awful situation which the people are facing there.

There are people who try to exploit such situations. Some anti-social elements, particularly, the profiteers indulge in corrupt practices as a tendency to make maximum profits grows among them. They indulge in hoarding and profiteering and create new problems for the people and put them in acute difficulties. This tendency must be checked otherwise the nation will go to dogs.

I will, therefore, request the Hon. Minister not to go into controversies and should try to seek cooperation from all the parties in this behalf, take steps to grow a spirit of cooperation and help among the people and solve the problem with concerted efforts.

अध्यक्ष महोदय : श्री अन्नासाहिब शिन्दे ।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : Sir, I have a submission to make. When there is a question of 14 or 18 lakhs of people, so much of time is allotted for the debate but when it relates to only 1½ lakhs of people, hardly three hours are allotted for the purpose. We strongly resent this.

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से उत्तर देने के लिए कह चुका हूं ।

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : This matter was discussed in the Rajya Sabha for four and half hours.

Shri Naval Kishore Sharma : If we are not given a chance, then we all the Rajasthanis walk out on this point.

इसके पश्चात् श्री नवल किशोर शर्मा तथा अन्य कुछ सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये ।
(Shri Naval Kishore Sharma and a few others then left the House.)

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : माननीय सदस्यों ने देश के विभिन्न भागों में विशेषतः राजस्थान में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में जो चिन्ता व्यक्त की है, उससे सरकार सहमत है और वह भी इस बारे में उतनी चिन्तित है । इसीलिये खाद्य मंत्री वहां की स्थिति का स्वयं अध्ययन करने के लिये सबसे पहले राजस्थान गये थे । इसी सिलसिले में प्रधान मंत्री भी वहां गई थीं और मैं भी गया था । हम स्थिति की गम्भीरता समझते हैं लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने इसे राजनैतिक रंग देने की कोशिश की है ।

[**श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

यह कहना निराधार तथा गलत है कि सूखे सम्बन्धी राहत कार्यों के सम्बन्ध में राजनैतिक भेद-भाव बरता गया है । प्राकृतिक प्रकोप यथा तूफान बाढ़ तथा सूखा राष्ट्रीय समस्याएं हैं जो दल राजनीति से परे हैं और इसी दृष्टि से हमें उन्हें देखना चाहिए और उसमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए । इसलिए माननीय सदस्यों को इस मामले में राजस्थान सरकार तथा भारत सरकार को सहयोग देना चाहिए ताकि इस समस्या को और अधिक दक्षतापूर्वक हल किया जा सके ।

देश के भिन्न-भिन्न भागों के कई क्षेत्रों में सूखा पड़ा है किन्तु राजस्थान में उसका प्रकोप सबसे भीषण हुआ है। पश्चिम राजस्थान में ढोर सम्पत्ति पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। जैसा कि विदित हैं, पश्चिम राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था मुख्यतः ढोई सम्पत्ति पर निर्भर है इसलिए राजस्थान सरकार ने ढोर सम्पत्ति को बचाने के लिए कई राहत उपाय किये हैं। राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में राजस्थान की ढोरों को अपने यहां शरण देने का प्रयत्न करें और उन्होंने हमारे इस अनुरोध का पालन किया है जिसके लिए हम सच्चे दिल से उनके शुक्र गुजार हैं। चूंकि उपरोक्त राज्यों तक पहुंचने में ढोरों को कई सौ मील चलना पड़ता है, अतः राजस्थान सरकार ने उनके लिए मार्ग में चारे तथा पीने के पानी की व्यवस्था की है और भिन्न स्थानों पर पड़ाव तथा शिविर खोले हैं जहां प्रति ढोर तीन किलो चारा मुफ्त दिया जाता है।

सूखे का खाद्य उपलब्धता पर तुरन्त प्रभाव पड़ता है। हम राजस्थान सरकार को पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध करने के लिये प्रयत्नशील हैं ताकि वह सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में अनाज की सप्लाई कर सके और उचित मूल्य स्तर बनाये रख सके। इसीलिए राजस्थान सरकार उचित मूल्य की दुकानों तथा अन्य माध्यमों से लोगों की खाद्य सम्बन्धी उचित आवश्यकताओं को पूरी करने की स्थिति में है और मूल्य स्तर भी ऊंचा नहीं है। इसके अलावा राजस्थान सरकार राजस्थान नहर में लगभग 25000 लोगों को काम भी दे रही है।

इसके साथ-साथ यह भी निर्णय किया गया है कि राजस्थान में निम्न वरीयता प्राप्त कई सीमा सड़कों का निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया जाये ताकि उन लोगों को जिन्हें रोजगार की तीव्र आवश्यकता है, रोजगार मिल सके।

इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने राज्य के विभिन्न भागों में राहत-कार्य शुरू किये हैं।

जहां तक भूख से मौतों का सम्बन्ध है, जब कभी ऐसी किसी बात की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है, हम इस बारे में राजस्थान सरकार को लिखते हैं, इन घटनाओं के सम्बन्ध में जिनके बारे में समाचार-पत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार के वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं, हमने राजस्थान सरकार से विशेष पूछ-ताछ की है और उसने स्पष्टतः कहा हैं कि अब तक राज्य में भूख से मरने की कोई घटना नहीं हुई है।

Shri Yogendra Sharma : Why do the Government persist in the old and imperialistic definition of starvation death and do not give a new definition to it?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वर्ष 1966-67 की कठिन अवधि में उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश में गैर-कांग्रेसी सरकारें सत्तारूढ़ थीं। उस समय इन सभी राज्यों के सम्बन्ध में मौत की कहानियां प्रकाशित हुई थीं लेकिन किसी भी गैर-कांग्रेसी सरकार ने उनकी पुष्टि नहीं की।

राज्य सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि राज्य में भूख से कोई मृत्यु हुई

है । मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि राज्य सरकार पर भरोसा न किया जाये । ऐसी कोई धारणा नहीं फैलनी चाहिये कि राजस्थान में स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है ।

आम तौर पर यह कहा जाता है कि सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये स्थायी सहायता की व्यवस्था करने के लिये उपाय क्यों नहीं किये जाते । यह एक तर्क संगत प्रश्न है और यह ही इस समस्या को हल करने का सही तरीका है । परन्तु क्या सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है ? गत 20 वर्षों में सारे देश में अनेक बड़ी सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं । इनकी संख्या लगभग 34 है और इनसे मुख्यतया सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा । इनमें से बहुत-सी पूरी हो गई हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं और कुछ आगामी कुछ वर्षों में पूरी हो जायेंगी। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि कुछ नहीं किया गया है । सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के बचाव के लिये सिंचाई की सुविधा ही सबसे अधिक जरूरी है । जहां कहीं भी ऐसी सिंचाई परियोजनाओं की सम्भावना है । सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही कर रही है कि ये क्षेत्र उन परियोजनाओं से लाभान्वित हो सकें ।

कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिन्हें बड़ी सिंचाई योजनाओं से लाभ नहीं पहुंच सकता । वहां छोटी सिंचाई योजनाओं को उचित महत्व दिया जा रहा है । इसे दृष्टि में रखते हुये भूमि जल संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिये हमने राज्य सरकारों को सहायता देनी आरम्भ कर दी है । आन्ध्र प्रदेश में नलकूप लगाने के बारे में पिछले वर्षों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी । परन्तु आन्ध्र सरकार की पहल और केन्द्र सरकार की सहायता से वहां पर अब आन्ध्र प्रदेश के सबसे अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र अनन्तपुर में नलकूप लगाये जा रहे हैं । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार और राज्य सरकार छोटी सिंचाई सुविधाओं के विकास पर पर्याप्त जोर दे रही हैं । भूमिगत जल संसाधनों के उपयोग का यह एक तरीका है । हम राज्य सरकारों के भूमिगत जल संसाधनों में वृद्धि करने के लिये पूरे प्रयत्न कर रहे हैं । तीसरी योजना के अन्त तक राज्य सरकारों के पास केवल 3400 बर्मे और 449 ड्रिलिंग रिग थे । 1966-69 की अवधि में उनमें क्रमश: लगभग 2800 और लगभग 300 की वृद्धि की गई है । इनमें से अधिकांश चालू हैं । बड़ी खुशी की बात है कि अब अनेक प्रकार के रिग देश में बनाये जा रहे हैं । केवल दो तरह के रिग अभी देश में नहीं बनने लगे हैं । यदि राज्य सरकारों को उनके आयात के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी तो उन्हें वह उपलब्ध कराई जायेगी । ऐसे रिगों के आयात के लिये राज्य सरकारों को 4.75 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई है ।

इस बारे में कार्यवाही की जा रही है कि राज्य सरकारें अपने कार्यक्रमों में अधिकाधिक पम्पिगं सेट लगाने तथा उठाऊ सिंचाई योजनाओं को शामिल करें । इसके लिये उन्हें केन्द्र आवश्यक सहायता दे रहा है ।

केन्द्र के दलों ने विभिन्न राज्यों के दौरों के परिणामस्वरूप दैवी विपत्तियों से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये 82,61,00,000 रुपये की सहायता की सिफारिश की है और

वास्तव में 46,88,00,000 रुपये राज्यों को दे भी दिये गये हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकारों को राहत कार्यों के लिये सहायता देने में कोई देरी नहीं हुई है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्र से राहत कार्यों के लिये तीन करोड़ रुपये की अन्तिरम सहायता देने के लिये कहा है। क्या वह भेज दी गई है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह इस सप्ताह या अगले सप्ताह के आरम्भ में भेज दी जायेगी। भारत सरकार केन्द्रीय दल की सिफारिशों पर पूरा ध्यान देगी।

मैं दूसरे सदन में दिया गया आश्वासन यहां भी दोहराना चाहता हू कि सूखे या अन्य दैवी विपत्तियों से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये पर्याप्त सहायता देने में वित्तीय कठिनाई बीच में नहीं आयेगी।

अन्त में मेरा केवल इतना निवेदन है कि हम दैवी विपत्तियों के कारण उत्पन्न हुई कठिन स्थिति का सामना लोगों का मनोबल बनाये रख कर ही कर सकते हैं। इसलिये लोगों का मनोबल बनाये रखने में हमें माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिये और हम इस स्थिति का सामना करने में समर्थ हैं।

सभापति द्वारा श्री जार्ज फरनेन्डीज का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Substitute motion No. 1 was put and negatived

सभापति महोदय द्वारा श्री अमृत नाहाटा का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Substitute motion No. 2 was put and negatived

सभापति महोदय द्वारा श्री रंगा का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Substitute motion No. 6 was put and negatived

सभापति महोदय द्वारा शेषसभी स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the remaining substitute motions were put and negatived

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये विमान**

AIRCRAFT FOR I. A. C. **

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : भारतीय एयरलाइंस कारपोरेशन के लिये पुराने विमानों के स्थान पर या विमान बेड़े में वृद्धि करने के लिये कुछ और नए विमान खरीदने के

** आधे-घंटे की चर्चा।
**Half-an-Hour Discussion.

प्रस्ताव पर सरकार गत दो वर्षों से विचार कर रही है। परन्तु गत छै मास से इस पर अधिक गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। इसका एक कारण जम्बो जेट का आविष्कार है। दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संघ ने भविष्यवाणी की है कि 1972 तक अन्दरूनी विमान यातायात 120 प्रतिशत हो जायेगा। इसलिये यह सोचा गया कि इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में पर्याप्त वृद्धि की जाये और ये 5 या 6 विमान ख़रीद लिये जायें ताकि जम्बो जेट के आने पर हम पीछे न रह जायें। इस पृष्ठभूमि में यह निर्णय किया गया कि अन्तिम फैसला इसके विभिन्न पहलुओं के विस्तार से अध्ययन के बाद ही किया जाना चाहिये। इस उद्देश्य से सहायक जनरल मैनेजर और दो इंजीनियरिंग अधिकारियों का एक दल इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के लिये विभिन्न प्रकार के विमानों का मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त किया गया। यह दल बोइंग 737 के पक्ष में था। इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के निदेशक मंडल को यह प्रतिवेदन पेश किया गया। उन्होंने उस पर आगे विचार किया और एक उप समिति नियुक्त की और देश के कुछ प्रमुख व्यक्तियों जैसे एयर वाइस मार्शल लाल, श्री जे. आर. डी. टाटा और एयर-मार्शल अर्जुन सिंह और एयर इंडिया और वायु सेना के तकनीकी कर्मचारियों की सहायता भी ली। असैनिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक का भी परामर्श लिया गया। इन निष्कर्षों और विस्तृत जांच के आधार पर जुलाई, 1968 में निदेशक मण्डल ने एकमत से सिफारिश की। परन्तु उसके बाद दो और विमान बोइंग और बी ए सी III बाजार में आए। इसलिये यह उचित ही था कि इन विमानों के बारे में अध्ययन करने के बाद ही कोई बड़ा निर्णय किया जाये। इसलिये इस सारे मामले पर पुनः विचार किया गया और तुलनात्मक अध्ययन किये गये और इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा आवश्यक विमानों के चयन के बारे में निदेशक मण्डल का अन्तिम प्रतिवेदन अक्तूबर, 1968 में प्राप्त हुआ।

कई विमान सामने थे : डी. सी.-9, बोइंग 737, 736, बी. ए. सी. III, टी.यू.-134 बाद में बोइंग 727 और टी. यू.-154 सामने आए। समिति की सिफारिशें क्या थीं ? उदाहरण के लिये उन्होंने यह पता लगाया कि डी. सी.-9 कितने समय तक काम में लाया जा सकता है। यह पता लगा कि प्रत्येक 5200 घंटों के बाद उसकी सफाई करने पर यह विमान कितने ही सालों तक काम दे सकता है। परन्तु टी यू-134 के बारे में उन्हें पता लगा कि पहले 2500 घण्टे के बाद सफाई और दूसरी बार 5000 घण्टे के बाद सफाई और 7500 घण्टे पूरे होने के बाद सफाई की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सारा का सारा विमान रद्दी हो जाता है। सारे इंजन को बदलने की आवश्यकता होती है।

दूसरी बात भुगतान की शर्तों के बारे में थी। इस बारे में प्रायः सभी विमान निर्माताओं ने एक तरह के ही प्रस्ताव दिये थे कि भुगतान 10 वर्षों में किसी निश्चित ब्याज पर किया जा सकता है। रूसी इसे रुपया भुगतान करार का अंग बनाने के लिये सहमत हो गये थे। अमरीकी और ब्रिटिश निर्माता इस बात के लिये सहमत हो गये थे कि जो भी ऋण दिया जायेगा। वह साधारण सहायता के अतिरिक्त होगा और एक पृथक अभिकरण द्वारा दिया जायेगा। इसलिये शर्तें प्रायः एक जैसी ही थीं।

डी० सी० 9 और बी० ए० सी० III आदि हर पहलू से लाभकारी पाये गये थे। परन्तु टी० यू० 134 के बारे में समिति की राय यह थी कि 10 वर्ष में इससे 93 प्रतिशत हानि होगी और कुल ऋण दुगुना हो जायेगा। इस निष्कर्ष के बाद रूसियों द्वारा कहा गया कि यदि टी० यू० 134 स्वीकार्य नहीं है तो अब टी० यू० 134 ले लीजिये और बाद में उन्हें टी०यू० 154 विमानों से बदल दिया जायेगा। टी० यू० 154 के बारे में स्थिति यह है कि अभी यह विमान बनाया जाना है। अभी तो इसके बनाने की योजना ही बनी है। इसलिये इसकी सफलता के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता।

इस समिति के इन एकमत निष्कर्षों के आधार पर माननीय मंत्री ने सभा में घोषणा की थी कि वे उनके आधार पर विमान खरीदने के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। परन्तु बाद में क्या हुआ ? हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि कैबिनट की एक नई उपसमिति इसका विस्तार से अध्ययन करेगी और तब तक कोई निर्णय नहीं किया जायेगा।

समाचार-पत्रों में लिखा था कि रूसी दबाव के कारण यह उपसमिति बनाई गई है। उनके अनुसार श्री दिनेश सिंह जब रूस गये तो उन पर निर्णय को स्थगित करने के लिये दबाव डाला गया। मुझे नहीं पता कि ये समाचार ठीक हैं अथवा गलत। मंत्री महोदय ही इसका उत्तर दे सकते हैं। परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जिन परिस्थितियों में कैबिनट की यह उपसमिति बनाई गई है वह सन्देहातीत नहीं है। क्योंकि इस एकमत सिफारिश किये जाने के तुरन्त बाद रूसी रेडियो और प्रेस ने उस निर्णय और यहां तक कि उस उपसमिति के सदस्यों की आलोचना करना शुरू कर दिया था।

इस पृष्ठभूमि में मैं माननीय मंत्री से कुछ आश्वासन चाहता हूं। पहला आश्वासन यह चाहता हूं कि राजनैतिक दबाव के कारण मंत्री महोदय निर्णय में देरी की अनुमति नहीं देंगे और यह देखेंगे कि यातायात के बढ़ जाने पर इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के पास बढ़े हुए यातायात की आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त विमान हों और हमें अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा से हाथ न धोना पड़े।

हम माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहते हैं कि जिस विमान को वह खरीदने का निर्णय करें उससे इतना लाभ होना चाहिये कि हम ऋण का भुगतान कर सकें। रूस का विमान ठीक नहीं होगा। हमें सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना होगा।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि उपसमिति ने कब यह सिफारिश की थी और यह मामला कब से सरकार के समक्ष विचारार्थ पड़ा है ? क्या इंडियन एयरलाइन्स में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, यदि हां, तो कितनी ?

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस रिपोर्ट को तैयार करने

में इतनी राशि क्यों व्यय की है ? इस रिपोर्ट को बोर्ड के समक्ष क्यों रखा गया था । सरकार को तुरन्त उन विमानों के खरीदने का आर्डर दे देना चाहिये । जब सरकार किसी निर्णय को नहीं करना चाहती तो समिति के बाद समिति नियुक्त करती रहती है और अन्त में उस विषय को दबा देती है । मंत्री महोदय को स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिये कि कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ? इस विलम्ब से कितनी हानि हो रही है ?

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh): I would like the Hon. Minister to give an assurance that Indian Airlines will not be subjected to such kind of pressure. The corporation will be allowed to look after its interests. The recommendations of technical sub-committee should be accepted.

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : माननीय सदस्यों ने उड्डयन के बारे में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है और अपने गहन ज्ञान का परिचय दिया है । श्री पाटोदिया ने सब तथ्य रखकर मेरा कार्य सरल कर दिया है । इस बात में सन्देह नहीं है कि हमें अपनी यात्री-क्षमता बढ़ानी है । हमें पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये यह करना है और जम्बो जेट विमानों की व्यवस्था करनी है । हमें वाइकाउंट विमानों को भी 1972-73 तक बदलना है । इस प्रश्न पर एक अध्ययन करने के लिये तकनीकी उपसमिति गठित की गयी थी । उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है । उन्होंने एक बोइंग विमान डी० सी० 9 का सुझाव दिया है । अब इस पर सरकार विचार करेगी । इस विमान में अधिक माल रखने की क्षमता है । सरकार को सभी बातों पर विचार करना होगा । हमें आगामी 15 वर्षों के लिये सोचना है ।

यह सरकार का कर्तव्य है कि निर्णय करते समय सभी बातों को ध्यान में रखे और देश के समूचे हितों को ध्यान में रखकर निर्णय करे । हमें एयर इंडिया की फालतू क्षमता को भी ध्यान में रखना है । हम अमरीका अथवा रूस के दबाव में आकर निर्णय नहीं करते । मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि लाभ देने की क्षमता, ऋण का भुगतान, संसाधनों, आदि को ध्यान में रखा जायेगा । और यह निर्णय शीघ्र किया जायगा ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 5 दिसम्बर, 1968/14 अग्रहायण 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 5, 1968/Agrahayana 14, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 2-4-69—600.